राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम सत्र, १९६० का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, विद्युत, राजस्व, शिक्षा, रसद, सार्वजनिक निर्माण, विकास तथा उद्योग-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री दयाकृष्ण विजय।

अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु पंचायत समितियों को प्रदत्त धन-राशि

३५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या मार्च, १९६० में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये कुछ राशि राजस्थान की पंचायत समितियों को प्रदान की गई है ?

(२) यदि हां, तो सबसे अधिक व सबसे कम रकम किन किन पंचायत समितियों को दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि धन राशि के वितरण में समानता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि शाहबाद पंचायत समिति को जो कि सहरिया जाति से भरी हुई है, सबसे कम राशि प्रदान की गई है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखब-चन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जिन पंचायत समितियों को सबसे अधिक व सबसे कम रकम प्रदान की गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) धन राशि में जिस जाति विशेष के लिये प्रावधान था उसकी जनसंख्या का

Page No.2

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आधार मान कर ही अनुपात से वितरण की गई। पहिले दी गई धन राशि को भी ध्यान में रखा गया।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : जहां सबसे कम धन राशि दी गई वहां की जन-संख्या क्या है और जहां सब से अधिक धन-राशि दी गई वहां की जन संख्या क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने जन संख्या का हिसाब पूछा नहीं था इसलिये मैं इस समय बता नहीं सकता। आपने धन राशि के लिये पूछा था उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बौंली, जिला सवाई माधोपुर, को सबसे कम और वल्लभनगर को सबसे ज्यादा यानी ५६,५०० रुपया दिया गया जब कि यहां उसका जिक्र नहीं किया गया है ? रुपया जो दिया जाना चाहिये वह जहां इन जातियों की जन-संख्या ज्यादा हो वहां ज्यादा मिलना चाहिये जैसे शाहबाद को जो रुपया दिया गया है वह बहुत कम है जब कि वहां सहरिया जाति के लोगों की काफी संख्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शाहबाद को १,३५,४००) रुपये के करीब दिया जा चुका है जो सन् '५५-५६ और ५६-५७ में दिया गया है। इस तरह से रकम देते समय पहले दिया हुआ रुपया भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या अभी तक सहरिया लोगों की बस्ती में सड़कें, औषधालय वगैरह बनाने के लिये रुपयों की बहुत आवश्यकता है उसके लिये क्या अधिक धन-राशि दी जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें कोई शक नहीं कि ये चीजें होनी चाहिये लेकिन जितना रुपया उपलब्ध होगा उतना ही तो दिया जायगा। जहां तक हो सकता है हम अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं।

श्री के० सी० सत्संगी को पुनर्नियुक्ति

३६. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री सत्संगी इन्जीनियर जयपुर का सैशन जज की अदालत में बरी होने पर पुनः अपने पद पर नियुक्त कर दिये गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सैशन कोर्ट के इस फैसले की अपील करने के बाबत डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री चटर्जी ने सरकार से निवेदन किया था ? यदि हां, तो फिर अपील क्यों नहीं की गई ? कृपया डी० ए० जी० ने जो अपील करने के विषय में सरकार को पत्र लिखा उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा इस मामले में श्री के० सी० सत्संगी के विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, सहायक राजकीय अभिभाषक श्री चटर्जी की राय आने पर विधि एवं न्याय विभाग ने उनकी राय पर गौर किया और सरकार को यह राय दी कि इस विवाद में अपील करने की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार की गोपनीय प्रतिलिपियां सदन के समक्ष रखना उचित नहीं।

(ग) जी नहीं, इसके लिये गुन्जाइश नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि डिप्टी एडवोकेट जनरल, श्री चटर्जी, ने इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करने की राय दी थी ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर 'हां' में मिल चुका है।

जयपुर पॉवर हाउस में वाष्प कोयले को उतारने एवं स्टेकिंग हेतु टेण्डर

३७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister-in-charge Electricity be pleased to state :—

(i) Is it a fact that tenders were invited for unloading and stacking of steam coal in the year ending 31st March, 1959 in Jaipur Power House ? If so, how many tenders were received, whose tender was accepted and at what rate ?

(ii) How much money has been paid to this contractor for this work ?

(iii) Is it a fact that this contractor did not do any stacking work but received payment for this ?

(iv) If not, was there any complaint in this connection made to the Authorities concerned, and if so, by whom ? Please place the copy of the same on the table of the House together with subsequent orders in that behalf.

(v) Is it a fact that a book is kept in the Department for recording measurements of the articles received ? If so, was any measurement taken for stacking in this case ? If not, on what basis this payment was made ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Yes. Eight tenders were received and the lowest tender of M/s. Moz Deen Deep Chand was accepted at the rateg 60 N. P. Per ton for unloading and stacking coal at railway siding Jaipur.

(ii) Rs. 31, 129.89 (Rupees Thirty One Thousand, One Hundred twenty nine and N. P. 89 only) has

(श्री हरिश्चन्द्र)

been paid to the contractor on this account so far.

(iii) and (iv) The contractor did the work of stacking also. There is no complaint. However, certain objections were raised by the Accounts Branch and clarifications were given. Copies of the correspondence has been placed on the Table of the House.

(v) Yes. The Board is maintaining books for recording measurements of the articles received. In this case the work of stacking implies "levelling down of the coal heaps", which is done on receipt of large quantity of coal unloaded on the sides of railway track. As the coal is not consumed at the same rate, the heaps of coal keep on rising which makes further unloading difficult. To facilitate further unloading these heaps are to be pulled back and levelled down. As such the question of measurements, after the stacking has been done, does not arise in this case. The payments were made as per weights given in the Railway Receipt less 5%.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो मेज़रमेंट बुक डिपार्टमेंट में रखी जाती है उस मेज़रमेंट बुक में उस कोयले के स्टेकिंग के बारे में कोई मेजरमेंट मौजूद नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कि अर्ज किया जो आर० आर० रिसीट आती है, उसमें जो मेज़रमेंट लिखा जाता है वही दर्ज होता है ;

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपने एग्रीमेंट किया उसमें स्पेसिफिक कन्डीशन लिखी हुई है कि पॉवर हाउस में जाने तक स्टेकिंग होना चाहिये और उसी का मेज़रमेंट होना चाहिये, लेकिन बुक्स में वह मेज़रमेंट दर्ज नहीं है ! उसके बारे में इन्टर्नल ऑडिट ने ऑब्जेक्शन भी किया था और आपको यह लिखा है रनिंग बिल्स के पेमेंट के बारे में । अकाउन्ट्स ऑफिसर ने भी अपना ऑब्जेक्शन रेज़ करते हुए चीफ इन्जीनियर को लिखा है :

"The final payment to the above contractor may be made after verifying the measurements entries relating to the description and quantities of unloading and stacking of coal from the measurement book".

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ए० ओ० ने जो क्लेरिफिकेशन सीक किया कि वह मेजरमेंट बुक्स में है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे जवाब में निवेदन कर दिया है कि स्टेकिंग का मतलब लेवलिंग डाउन ऑफ दी हीप है । मैं अर्ज कर दूं कि जो रेलवे साइडिंग होता है, जब रेलवे वेगन आता है तो वेगन खाली होकर वहां से चालीस फीट दूरी पर हीप करके लेवल डाउन कर देते हैं । यही स्टेकिंग का मतलब है । यह स्टेकिंग हिल स्टेकिंग का मतलब नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या उस जगह पर चालीस फीट की दूरी पर स्टेकिंग किया गया और इसका इन्दराज मेजरमेन्ट बुक में है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देखिये, फिर आप समझ लीजिये, मेज़रमेन्ट बुक में चालीस फीट दूरी पर हीप करके मेज़रमेन्ट लिया गया, इसका इन्द्राज है ? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं। मैं सूचना दे रहा हूं कि नहीं है। आप फिर सोच कर जवाब दें।

श्री हरिश्चन्द्र : चालीस फीट दूरी पर से जाकर हीप लगाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चालीस फीट दूरी पर पटक कर बराबर करके स्टेकिंग करके मेज़रमेन्ट लिया गया और इसका इन्द्राज मेज़रमेन्ट बुक में है। इस पर आपने 'हां' कहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

तहसील शेरगढ़ के अग्नि पीड़ितों को सरकारी सहायता

३८. **श्री सूरजमल** (फलोदी-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

शेरगढ़ तहसील के गांवों में सन् १९५२ से १९५९ तक अग्नि पीड़ितों की कुल कितनी संख्या थी और उनमें से कुल कितनों को आज तक सरकार द्वारा कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी गई ? नाम सहित गांवों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १९५२ से १९५५ तक की सूची उपलब्ध नहीं है। सन् १९५६ से सन् १९५९ की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में

३९. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें न मिलने का क्या कारण रहता है व भविष्य में इस समस्या को खत्म करने के वास्ते सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्थान में छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कराये जाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है और वे सभी पुस्तकें सामान्य विज्ञान कक्षा ६ के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कक्षा ६ से ८ तक की जिन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया गया है उनका देर में आने का कारण केन्द्रीय कर्मचारी लोगों की हड़ताल थी। सामान्य विज्ञान कक्षा ६ की ७५,००० प्रतियों का अब तक विक्रय हो चुका है तथा और प्रतियों को छपवाने का प्रबन्ध किया जा चुका है और ये शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जावेंगी।

पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में छपवाई गई हैं इसलिये इसमें चिन्ता का कारण नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : वितरण की जो व्यवस्था आपकी है पहले

Page No.6

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स दे दिया करते थे या स्थानीय डीलर के पास से मिल जाया करती थी, पर अब जयपुर से मंगानी पड़ती हैं या बीकानेर से इस कारण विद्यार्थियों को पुस्तकें मिलने में कठिनाई हो रही है, क्या इस ओर से भी सरकार जागरूक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : पहले इन्सपेक्टर और स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं के पास पुस्तकें भेज दी जाती थी, पर अब जयपुर से मिलती हैं इस कारण से दिक्कत है, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आप जानकारी दे रहे हैं। इसकी वजह से अगर दिक्कत है तो देखूंगा।

श्री किशनाराम : आपको पता नहीं है क्या। आप मुख्य मन्त्री हैं, आपको सब पता है ? यह तो भुलावा देने की बात है कि आपको पता नहीं। आपको किस चीज़ का पता नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किताबें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, ऐसी तो बात नहीं है। आम तौर से पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब छठी क्लॉस में एक पुस्तक है जिसकी ७५ हज़ार प्रतियां दी जा चुकी हैं। बाकी और छपवाई हैं। उनके छपने पर वे भी दे दी जावेंगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पाठ्यक्रम की पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है, कुछ परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम का और इसके कारण पुस्तकें नहीं छपवाई गईं और इसलिये दिक्कत आ रही है, क्या यह सही नहीं है ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पुस्तकें वितरण की वजह से भी उपलब्ध नहीं होती हैं। पुस्तक विक्रेता कहता है कि निर्धारित पुस्तक के साथ और दो-तीन पुस्तकें, उसके नोट्स हैं या और कमेन्ट्री हैं, लोगे तो मिलेगी, नहीं तो विक्रेता कह देता है कि पुस्तक उसके पास नहीं है। तो इस तरह से वितरण की वजह से भी दिक्कत है, क्या यह बात सरकार के ध्यान में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ हद तक ठीक है यह बात और इसके बारे में भी हम इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं कि जिससे साथ में जो नोट्स और कॉमेन्ट्रीज़ देने के लिये कम्पल्शन करते हैं इसको रोका जावे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : प्रत्येक किस्म की कितनी प्रतियां छपवाई गई हैं और प्रत्येक किस्म की प्रतियों में से किस किस की कितनी कितनी प्रतियां अब भी छप कर प्राप्त नहीं हुईं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग प्रश्न है। यहां यह सवाल नहीं है कि एक एक के लिये कितनी छपवाई गई। जिस में कम थी जैसे छठी के सामान्य विज्ञान की, तो उसकी ७५ हज़ार प्रतियां छपवाई गईं और कम हुईं तो और छपवाई गईं, वे आ रही हैं। बाकी तो सभी पर्याप्त मात्रा में बँट गईं।

Page No.7

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जिनको प्रतियां चार लाख जरूरत के हिसाब से छपवानी थीं उनकी ५० पर्सेन्ट से भी कम प्रतियां छपवाई गईं, जिन पुस्तकों की टोटल डिमान्ड चार लाख है उनकी प्रतियां जो रिलीज़ की गई हैं वे एक लाख से भी कम हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वस्तुतः किस किस की कितनी कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं, अगर इसकी जानकारी वे चाहेंगे तो उनको सूचना भेज सकता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : यह पुस्तकें छपवाने का निर्धारण किस आधार पर किया गया और यह कैसे तय किया गया कि इस पुस्तक की इतनी आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितने विद्यार्थी जिस कक्षा में हैं उनकी सूचना शिक्षा विभाग को मालूम रहती है, उससे ज्यादा ही करीब डेढ़ गुना और दो गुना पुस्तकें छपवाई जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह भी मालूम है कि तीन–चार किताबें एक ही कक्षा में पढ़ाई जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, यह कुछ मामूली जानकारी है।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इससे मालूम पड़ता है कि स्कूलें खुलने के बाद आपका किताबें छपवाने का काम शुरू होता है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अपने जवाब में कहा है न कि यह स्ट्राइक की वजह से देर हुई है।

श्री पी. के. चौधरी : स्ट्राइक तो ११ जुलाई से शुरू हुई जब कि हमारी स्कूलें तो पहली जुलाई को ही खुल गई थीं। तो यह स्ट्राइक का कारण नहीं है। आप यह क्यों नहीं कारण बताते कि नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड में फार साइटेडनैस (Far sightedness) का अभाव है कि पहली जुलाई से जब से कि स्कूलें खुलीं उससे पहले वे पुस्तकें प्राप्त करके लड़कों को उपलब्ध नहीं करा सका ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा इसमें कन्ट्रोल रेट पर कागज़ प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है और समय पर पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है पर बीच में अगर इस तरह की उलझन खड़ी हो जाती है तो उसके लिये पहले से कुछ सोचा जाना सम्भव नहीं है, उनकी आशा नहीं की जा सकती।

श्री पी. के. चौधरी : आपने तो कारण स्ट्राइक को बताया ?

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी वजह से ठीक समय पर पहुँचने में विलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री किशनाराम : हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को सब चीजों का पता है, पर फिर भी टालमट्टल जवाब देते हैं।

Page No.8

श्री अध्यक्ष : मालूम है, तभी तो कहते हैं।

श्री किशनाराम : पर इस तरह की बातों से जनता के सामने जो कठिनाइयां हैं उनका हल नहीं होने वाला है। इस तरह की बातों से काम थोड़े चलने वाला है। आप क्या कर रहे हैं, आपका विभाग क्या कर रहा है, इसकी जानकारी भी इनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी है तभी तो उत्तर दे रहे हैं।

श्री किशनाराम : उत्तर वे गलत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप ठीक नहीं कह रहे हैं, आप बताइये किस तरह से गलत है। किस तरह से जवाब देना चाहिये? आपको "गलत" नहीं कहना चाहिये।

श्री किशनाराम : क्यों नहीं कहना चाहिये? क्या वे मुख्य मन्त्री हैं इसलिये नहीं कहना चाहिये?

श्री अध्यक्ष : आप कहें न कि किस कारण से ऐसा जवाब नहीं देना चाहिये?

श्री किशनाराम : आज सारी जनता को कठिनाइयां हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सारी जनता की बात छोड़ कर कहिये न कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में, आपकी तहसील में, आपके गांव में या आपकी स्कूल में यह दिक्कत है और फलां किताब नहीं मिली?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जान सकता हूं किस विषय की किताबें आपके यहां नहीं मिल रही हैं?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह मुश्किल है।

श्री किशनाराम : सातवीं की नहीं मिल रही हैं कुछ किताबें, कुछ और क्लासों की...

प्रश्न संख्या ४०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया।

बाला होटल छात्रावास, चांदपोल गेट, जयपुर के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल

४१. **श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-मु०) :** क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि गत शिक्षा-सत्र में बाला होटल, चांदपोल गेट, जयपुर में संचालित छात्रावास के विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल की थी? यदि हां, तो किन किन तिथियों को और कितने लड़कों ने?

(२) विद्यार्थियों की क्या क्या मांगे थीं?

(३) क्या सरकार द्वारा संचालित अन्य छात्रावास में भी इस प्रकार की हड़तालें की गई हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

Page No.9

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी नहीं ।

(२) इस छात्रावास के विद्यार्थियों ने निम्न मांगें की थीं :-

(क) छात्रावास में बिजली का समुचित प्रबन्ध ।

(ख) छात्रों के १९५८-५९ के परीक्षा शुल्क का चुकारा ।

(ग) छात्रों के लिये उचित स्टेशनरी का प्रबन्ध ।

(घ) छात्रावास में भोजन स्केल के अनुसार न मिलना, जैसे सब्जी आदि ।

(ङ) छात्रावास के लिये अच्छे मकान की व्यवस्था ।

(३) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : जब हड़ताल नहीं की तो इन मांगों का आपको कैसे पता चला ?

श्री अध्यक्ष : मांग तो बगैर हड़ताल के भी रखी जा सकती है ।

डॉ० चन्द्रकला : वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ज्ञापन दिया गया या शिष्ट मण्डल मिला ? क्या हुआ, कैसे जाना गया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनका ज्ञापन आया था । उन्होंने कहा था कि हमारी ये मांगें हैं, मानी नहीं जायेंगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे; यह भी कहा था । पर जब उनकी असुविधाएं मिटा दी गईं तो भूख हड़ताल का कोई कारण नहीं रहा ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जब पर्याप्त ग्रान्ट मिलती है तो इस तरह की असुविधाएं क्यों उत्पन्न होती हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितनी ग्रान्ट मिलती है, उसमें सभी सुविधाओं का मिलना तो सम्भव नहीं हुआ करता, पर यहां कुछ व्यवस्था सम्बन्धी असुविधाएं थीं जिनको दूर कर दिया गया । फिर शिकायत नहीं रही ।

श्री लादूराम सुलाणियां : अच्छा भोजन और मकान मिलने की मांग तो कम से कम सबसे पहले दूर होनी चाहिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अच्छा भोजन मिलना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती । पर व्यवस्था की शिकायत थी जिसे दूर कर दिया गया ।

श्री लादूराम सुलाणिया : बनीपार्क से क्या यहां मकान की अधिक सुविधा है जिसके आधार पर बनो पार्क से बदल कर छात्रावास को यहां बालावास में लाया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मैं नहीं कह सकता । पर उनको जो असुविधाएं थीं उनकी जांच की गई और उन्हें दूर कर दिया गया । बाकी हड़ताल नहीं हुई ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या उन छात्रों की यह भी मांग थी कि यहां से हटाकर वापिस बनीपार्क में या अन्य स्थान में उनको ले जाया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

Page No.10

श्री लादूराम सुलाणिया : तो क्या यह सत्य है कि वहां उनको अन्य कई तरह की असुविधाएं थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको जो भी असुविधाएं थी वे मिटा दी गई ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं बताऊं कि जब बनी पार्क से बदल कर छात्रवास यहां वाला होटल छात्रावास में लाया गया तो यहां न तो टट्टियां थीं, न पेशाब करने की जगह थी और न पढ़ने के लिये हवादार कमरे थे । जिनकी वजह से मेरे खयाल से पिछले साल ८० प्रतिशत लड़के फेल रहे और इस तरह से कितने हरिजन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ और इसीलिये हड़ताल की थी कि उन्हें और किसी स्वस्थ आबहवा की जगह ले जाया जाय ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनकी पुरानी मांग थी इसलिये वह हड़ताल के ऊपर उतारू हुए और लोगों ने जाकर उनको दबोचा ।

राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षणालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा प्रदत्त सर्टि-फिकेट को मान्यता

४२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जोधपुर में राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षणालय, राजस्थान, जोधपुर नामक कोई संस्था चलती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी संस्था है अथवा गैर सरकारी ?

(ग) इस शिक्षणालय में किस किस विषय का कहां कहां तक शिक्षण दिया जाता है ?

(घ) क्या डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स पास करने वाले व्यक्ति ट्रेन्ड समझे जाते हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो सर्टिफिकेट कोर्स पास करने वालों को ट्रेन्ड क्यों नहीं समझा जाता है तथा ट्रेन्ड का ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता ?

(च) यदि सर्टिफिकेट कोर्स वालों को ट्रेन्ड नहीं समझा जाता है, तो फिर यह कोर्स क्यों चालू कर रखा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) यह सरकारी संस्था है ।

(ग) इस शिक्षणालय में शारीरिक शिक्षा संबंधी सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती है । डिप्लोमा कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता बी० ए० तथा सर्टि-फिकेट कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन लोगों को, जो शिक्षण प्राप्त करते हैं उनको ट्रेन्ड क्यों नहीं समझा जाता ? प्रश्न मेरा यह था कि जो

Page No.11

(श्री दयाकृष्ण विजय) ..

सर्टिफिकेट कोर्स पास करते हैं वे ट्रेन्ड नहीं समझे जाते है और उनको ट्रेन्ड ग्रेड नहीं दी जाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा नहीं है कि इनको ट्रेन्ड नहीं समझा जाता। असल में ट्रेन्ड ग्रेड जितने होते हैं उनके अगेन्स्ट जितने अपॉइन्ट होते हैं उनको ट्रेन्ड ग्रेड मिलता है। अगर पोस्ट नहीं है तो ट्रेन्ड ग्रेड होकर भी अनट्रेन्ड की ग्रेड की सेलेरी और स्केल मिलेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) तो यह सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों के शारीरिक शिक्षण कोर्स हैं वह एक हैं या अलग अलग ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग अलग हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : ट्रेनिंग करने वाले छात्रों को या अध्यापकों को क्या सुविधा मिली कि ट्रेनिंग करने के बाद में भी उनको ट्रेन्ड ग्रेड नहीं मिलती. जब कि वह ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग ग्रेड मिलनी चाहिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रेन्ड ग्रेड्स तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जितने रख सकते हैं उन्हीं को तो ट्रेन्ड ग्रेड में अपॉइन्ट किया जा सकता है। बहुत सी जगह ग्रेजुएट्स होते हैं पर वह मैट्रिक की पोस्ट पर काम करते हैं या उनका अपॉइन्टमेन्ट होता है तो उनको ग्रेजुएट की ग्रेड तो नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ और चुरू सब-डिविज़न के पटवारियों, गिरदावरों तथा नायब तहसीलदारों के विरुद्ध की गई शिकायतें

४३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) रतनगढ़, चूरू सब-डिवीज़न के किन किन पटवारियों, गिरदावरों तथा नायब तहसीलदारों के विरुद्ध १ जनवरी, १९५९ से अब तक किस किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार ने किन किन अधिकारियों को कब कब जांच करने के आदेश दिए तथा जांच का क्या परिणाम रहा ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) यह सूचना सूची में नामों के आगे अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री किशनाराम : और भी कुछ कहना है इसके बारे में ? पटवारी का तबादला किया पर कलेक्टर ने उल्टे उसको अपने घर पर भेज दिया। लैण्ड रेवेन्यू कानून है उसके अन्दर ऐसा प्रावधान है कि कोई भी पटवारी या रेवेन्यू के अधिकारी को अपने घर

Page No.12

(श्री किशनाराम)

पर नहीं रख सकते। लेकिन उसकी कलेक्टर के पास शिकायत गई और कलेक्टर साहब ने यह किया कि उसको उसके घर पर ही भेज दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ तो गया थोड़ा थोड़ा। आप यह कह रहे हैं कि पटवारी अपने हलके में नहीं रह सकता लेकिन कलेक्टर ने उसको वहां पर भेज दिया यही कह रहे हैं न आप ?

श्री किशनाराम : कानून में ऐसा है कि पटवारी जिस सर्किल में रहता है या रेवेन्यू इन्सपेक्टर रहता है तो वहां उसका रेज़ीडेन्स नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके कानून में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पटवारियों के लिए यह कायदा है कि जिस गांव का पटवारी रहने वाला है उसका गांव जिस पटवार हलके में पड़ता है उसको वहां पोस्ट नहीं किया जाये और रेवेन्यू इन्सपेक्टर के लिए यह है कि रेवेन्यू का जितना भी हल्का है यदि उसके अन्दर उसका गांव पड़ता है तो उसको उसके अन्दर नहीं रखा जाये। यह पूरे जिले या तहसील से मतलब नहीं है।

श्री किशनाराम : मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको अपने रेज़ीडेन्स पर भेज दिया गया है। उस पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है, फिर भी उसको उसके घर पर ही भेज दिया गया जबकि उनको बाहर भेजना चाहिए था। उसको तो घर पर इसलिए भेज दिया ताकि वह ज्यादा भ्रष्टाचार करे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई सूची से मालूम नहीं होता है कि उसी पटवारी को उसी के गांव के हल्के में रखा गया हो।

श्री किशनाराम : लादूराम है जिसका नाम नम्बर ११ पर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका तो तबादला किया गया है।

श्री किशनाराम : तबादला किया गया लेकिन उसको अपने घर पर ही भेजा गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है अगर आप बतायेंगे तो इसको ठीक कर दिया जायेगा। हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है;

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा लीजिये कि माननीय सदस्य सच कह रहे हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लादूराम के लिए कह रहे हैं आप ?

श्री किशनाराम : जी हां, लादूराम के लिए।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

जयपुर नगर में हार्ड कोक तथा सोफ्ट कोक का ठेका

४४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) जयपुर शहर में हार्ड कोक और सोफ्ट कोक का ठेका किसके नाम है ? क्या

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

यह ठेका कोऑपरेटिव बेसिस पर चल रहा है ? अगर हां, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) शहर जयपुर में और उसके बाहर कितने डिपो हैं और वे किन आधारों पर खोले जाते हैं ।

(ग) क्या गांधी नगर, बापूनगर व मोती डूंगरी में भी कोयले का डिपो है ? अगर हां, तो किस जगह और अगर नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जयपुर शहर में घरेलु उपयोग के लिए कोयला वितरण करने का ठेका मेसर्स जयपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि० के नाम है । हां, इस सहकारी समिति का कार्य कोऑपरेटिव बेसिस पर चल रहा है । इस संस्था के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(ख) जयपुर शहर में इस समय चार डिपो खुले हैं और जयपुर शहर से बाहर जिले में ११ स्थानों पर कोयले के डिपो हैं । यह डिपो जनता की आवश्यकता, सुविधा एवं आबादी के हिसाब से खोले जाते हैं ।

(ग) गांधीनगर, बापूनगर में इस समय कोयले के डिपो नहीं खोले गये हैं । सहकारी समिति में कार्य प्रारम्भ करने के लिए केवल ४ स्थानों पर डिपो खोले गये थे । बाद में पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने पर अधिक डिपो खोलने का विचार था लेकिन बीच में हड़ताल के कारण यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो गई और इसलिए कोयले के अभाव में नये डिपो नहीं खोले जा सके ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने (ग) के उत्तर में यह बताया कि यातायात में कठिनाई उत्पन्न होने की वजह से ४ डिपो नहीं खोले गये तो क्या अब भी वही स्थिति है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा है कि वैगन्स की शोर्टेज होने की वजह से अभी कोल पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है इसलिए कोल की जरूरत है । लेकिन यह जरूर व्यवस्था है, जयपुर नगर के लिए कि यहां करीब करीब ८ डिपो खोले जाने चाहिए और ज्यों ही वैगन्स आदि की सुविधा हो जायेगी ये डिपो खोल दिए जायेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि गांधी-नगर, बापू नगर, बजाजनगर में एक भी डिपो नहीं है । तो कोयला लेने के लिए यहां के लोग कहां जाते हैं ? शहर जाते हैं या बाहर जाते हैं, कहां जाते हैं ? वहां पर खोलने की तजवीज़ थी लेकिन डिपो अभी तक नहीं खोले गए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जयपुर नगर में कोयले के वितरण के लिए एक एडवाइ-ज़री कमेटी का निर्माण किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि कोयले का वितरण कलेक्टर के सुपुर्द है और यहां पर जो कुछ डिपो

Page No.14

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

वगैरह खोलने का था उसके लिए यही निर्णय किया गया था कि यह काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: राज्य सरकार ने जयपुर नगर में कोयले के वितरण के लिए कोल एडवाइज़री कमेटी बनाई थी जिसको यह अधिकार दिया गया था कि वितरण के लिए कोयला किन किन डिपो को दिया जाये और कितना कितना दिया जाये, यह कमेटी का काम था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कलेक्टर को इसकी जानकारी है क्योंकि उन्होंने यह कमेटी बनाई होगी। सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का निर्णय नहीं किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निश्चित रूप से जानकारी दे रहा हूं कि कोल एडवाइज़री कमेटी बनी थी और डॉ० चन्द्रकला भी उसकी एक सदस्या थीं। वे बनी थीं और उसके सम्बन्धित कागजात भी घर पर पड़े हैं। मैं भी उसका मेम्बर था और उसकी एक, दो मीटिंगें भी डाइरेक्टर के आरडर में हुई थी। उस कमेटी का यह फंक्शन था कि कोयले का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाये। लेकिन उस एडवाइज़री कमेटी की एक, दो मीटिंगें हुई और उसके बाद में डाइरेक्टर साहब दौरे पर चले गए और उसके बाद में उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। अगर वाकई सहकारी संस्थाओं को ही यह काम देना था तो या तो कमेटी को भंग कर दिया जाता और अगर नहीं किया गया तो उसकी मीटिंगें तो की होतीं।

श्री अध्यक्ष : कमेटी का निर्माण सरकार ने किया है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां, सरकार ने किया है मेरे पास आर्डर्स हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सोचा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वितरण कार्य दे दिया गया तो वे ठीक प्रकार से वितरण कर सकेंगी, वितरण के लिए और भी डिपो खोल सकेंगी। पहले तो इन्डिविजुअल्स को डिपो खोलने के लिए इजाजत दी गई तो काफी गड़बड़ रही और इसलिए सोचा गया कि यदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यह कार्य दे दिया जाये तो वे ठीक से वितरण कार्य कर सकेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज भी मैं सैकड़ों ठेले आपको पकड़वा सकता हूँ जो ब्लैक से बिकते हैं। आखिर उनके पास यह कोयला कहां से आता है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोयले की दलाली में काला हाथ तो होता ही है।

सेंट जेवियर स्कूल जयपुर को सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता

४५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर को कोई सरकारी सहायता दी जाती है ?

(ख) यदि हां, तो वार्षिक कितनी ?

(ग) क्या उक्त संस्था के हिसाब का सरकार की ओर से कभी निरीक्षण किया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितनी बार उसका निरीक्षण हो चुका है ?

(घ) उक्त संस्था में प्रत्येक कक्षा के छात्रों से क्रमशः क्या फीस ली जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(ङ) क्या सरकार के शिक्षा निरीक्षक यहां के अध्यापकों की योग्यता तथा उनकी पाठन विधि का कभी निरीक्षण करते हैं ? यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) कोई सहायता नहीं दी जाती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उक्त संस्था में नीचे लिखे अनुसार फीस ली जाती है :

१. प्राइमरी कक्षाओं में १६ रुपये माहवार ।

२. मिडिल स्तर कक्षा ८ तक २१ रुपये माहवार ।

३. सेकिन्डरी स्तर कक्षा ६ से ११ तक २३ रुपये माहवार ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या भवन निर्माण कार्य के लिए कोई सहायता सरकार की ओर से उन्हें दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। जिस समय वेंकटाचारी की सरकार थी उस वक्त में ४,४०,०००) रु० उसको सैंक्शन किया गया था जो अलग अलग वर्षों में उनको दिया गया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या उनके हिसाब की जांच भी कराई जाती है ? क्या यह भी देखने का प्रयास किया जाता है कि जो रुपया दिया जाता है उसका पूरा पूरा सदुपयोग भी होता है या नहीं ? जिस काम के लिए रुपया दिया गया है वह उस काम में आया भी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार की ओर से उनको कोई रेगुलर ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती है, लेकिन जो ऑल इंडिया स्तर की कक्षाएं उनके यहां पर चलती हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन की एक कौंसिल है जो इसको जांच करती है। वे समय समय पर आकर देखते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी स्पष्ट है कि जितना रुपया दिया गया है उससे कहीं ज्यादा वहां का खर्चा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शिक्षा विभाग का कोई नियंत्रण उस पर है या नहीं? वहां के अध्यापकों की योग्यता आदि के बारे में कोई जानकारी है या नहीं ? हमारे बच्चे जो वहां पर पढ़ते हैं वे योग्य अध्यापकों के अन्डर में शिक्षा पाते हैं या नहीं, यह देखना तो सरकार का काम है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां के हिसाब की जांच का तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि कोई ग्रान्ट-इन-एड उन्हें नहीं दी जाती है । अध्यापकों की योग्यता का प्रश्न

Page No.16

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी नहीं है क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार सब ट्रेंड अध्यापक हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वहां के अध्यापकों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो यहां की किसी भी संस्था से मान्य हो। वह अपनी थ्योलोजी में ट्रेनिंग लेकर आते हैं जिसका आपके यहां की शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि जो परिणाम वहां के हैं उनको देखते हुए कोई अलग से ट्रेनिंग हो, ऐसी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

एक माननीय सदस्य : वहां जो बच्चे पढ़ने भेजते हैं उन्हें मां-बाप अपनी मर्जी से भेजते हैं या किसी जबरदस्ती से जाते हैं?

(विराम)

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : जब सरकारी सहायता से स्कूल चलते हैं उनमें हरिजनों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस माफ की जाती है या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री लादूराम सुलाणिया : जैसे और सरकारी स्कूलों में होता है तो फिर यहां फीस माफ क्यों नहीं होती?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सरकारी स्कूल नहीं है।

विकास खंड, सांगानेर द्वारा केन्द्रीय मंत्री, श्री एस. के डे-को कुआं खुदवाने हेतु प्रदत्त तकावी

४६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सांगानेर विकास खंड द्वारा केन्द्रीय मंत्री, श्री एस. के. डे. को कुआं खुदवाने हेतु ३,००० रु० की तकावी दिनांक १३. ६. ५८ को स्वीकार की गई?

(२) क्या उक्त तकावी की कोई सिक्योरिटी ली है? यदि हां, तो क्या और किसकी?

(३) क्या तकावी की वापसी की किश्तें समय पर वसूल होती रही हैं? यदि नहीं, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है? पहली किश्त कब से जमा होनी चाहिए थी और कब जमा हुई है?

(४) क्या यह सही है कि श्री एस. के.-डे ने अभी तक कुआं नहीं खुदवाया है? यदि कुआं खुदवाया है तो फिर उसमें कितनी लागत लगी है? क्या कुआं पक्का व पूरा बन चुका है?

(५) जिस जमीन के लिए कुआं खुदवाने हेतु यह तकावी दी गई है उस जमीन खसरा नं० ७०८ तादादी २६ बीघा, ५ बिस्वा का पर्चा श्री एस. के. डे. के नाम कब हुआ तथा उसका पर्चेज़ डीड कब का है?

(६) इस तकावी के अतिरिक्त आज तक और कितना रुपया श्री एस. के. डे को दिया गया?

Page No.17

कृषि मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा)

(१) जी हां।

(२) जी हां। उक्त तकावी में श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री भंवरलाल गोदीका जैन के मकान का मुख्ता घर के बनी पार्क, जयपुर कीमती २०,०००) रु० की सिक्योरिटी के रूप में मकबूल किया है।

(३) इस तकावी की दो किश्तें १५०), १५०) की दिनांक १.५.५६ व १.१२.५६ को ड्यू हुई थी जो १३.११.५६ व १७.१.६० को मय सूद वसूल हो चुकी हैं।

(४) जी नहीं ? कुआ मुख्ता सम्पूर्ण तैयार हो चुका है।

(५) इस जमीन का खातेदारी पर्चा श्री डे. को दिनांक ४.४.५६ को जारी हुआ।

(६) तहसील सांगानेर से इसके अतिरिक्त और कोई तकावी नहीं दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि किसी भी काश्तकार को तब तक तकावी नहीं दी जा सकती जब तक कि काश्तकार के पास खातेदारी पर्चा न हो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्चा बनाने की कार्यवाही चल रही थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐसा नियम है कि जब तक काश्तकार के पास खातेदारी का पर्चा न हो तब तक उसे तकावी नहीं दी जा सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह सही है कि श्री एस. के. डे का पर्चा ४.४.५६ को बना और उन्हें तकावी १३.६.५८ को तीन हजार रुपये की दे दी गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन पर कब्जा तो उनका था ही और पर्चा लेने की कार्यवाही चल रही थी कोर्ट में। जब उन्होंने देखा कि जमीन पर कब्जा तो उनका है ही और पर्चे की कार्यवाही चल रही है तो उन्होंने तकावी के लिए एप्लाई कर दिया।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०): यह तकावीत कावी कमेटी ने दी या तहसीलदार ने डाइरेक्ट ही मंजूर कर दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कायदे के मुताबिक दी गई।

श्री लादूराम सुलाणिया : तकावी देने के लिए तकावी कमेटियां बनाई गई हैं और ५७-५८ में भी ये कमेटियां बन गई थीं लेकिन यह तकावी सांगानेर के तहसीलदार ने ही मंजूर कर दी थी। उस कमेटी ने यह रकम स्वीकार नहीं की है, तहसीलदार ने डाइरेक्ट सैंक्शन कर दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जानते हैं कि ये जो कमेटियां बनाई गई हैं उनमें सदस्य हाजिर ही नहीं होते हैं और कई दफा तहसीलदार को ही उनका कार्य करना पड़ता है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं सब कमेटियों की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो इस केस के बारे में बता रहा हूं कि सांगानेर

Page No.18

(श्री लादूराम सुलाणिया)

के तहसीलदार ने इसे डाइरेक्ट सैंक्शन कर दिया है जो कि कानूनन गलत है। इसके अलावा जो रकम वसूल नहीं हो रही है तो उसके लिए भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि तकावी लोन के अगेन्स्ट जो सिक्योरिटी ली गई, इस सिक्योरिटी के तहत श्री श्रवणकुमार गोदोका जैन के मकान का मुलता जो कि बनी पार्क में है यह मकान पहले से ही सरकार को मोर्टगेज था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह देखिये कि सरकार से लोन तो कितना सा मिलता है लेकिन मकान पर तो कितना अधिक रुपया लगता है। लोन तो ज्यादा से ज्यादा आठ हजार का मिलता है। किसी को चार, पांच, छः हजार मिल जाता है वह भी सब को नहीं मिलता है। आठ हजार तो मैग्ज़िमम समझ लीजिए, लेकिन मकानों की कीमत बीस—बीस हजार रुपया होती है। जब मकान बीस हजार का है तो वह इतनी छोटी रकम की सिक्योरिटी को कवर कर लेता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सिक्योरिटी कब ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो लोन दिया तब ही ली गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस समय सिक्योरिटी ली गई उस समय उस मकान की कीमत बारह हजार से अधिक नहीं थी और वह मकान राजस्थान सरकार के लोन के अगेन्स्ट में मोर्टगेज्ड था जिससे इसको किसी भी सिक्योरिटी के अगेन्स्ट नहीं लिया जा सकता था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोर्टगेज तो हो ही सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या आपके पास जानकारी है कि यह पहले से ही मोर्टगेज्ड था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सरकार से तस्दीक कराने के बारे में कोई कार्यवाही की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब बीस हजार का मकान है तो इतनी छोटी रकम की सिक्योरिटी में लेना वाजिब ही है।

श्री लादूराम सुलाणिया : अगर एक लाख का मकान है और पहले दो हजार रुपये में मोर्टगेज्ड है, तो क्या फिर उसके तहत ६८,००० रु० लिए जा सकते है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): जो किश्त जमा करानी थी उसमें जब किश्त जमा नहीं हुई तो कितने दिनों का सूद वसूल किया गया और कितना सूद जमा नहीं कराया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किश्त तो ड्यू डेट को जमा कराई गई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो तकावी दी जाती है नियमों के अनुसार, तकावी केवल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो यहां का निवासी हो, यहां का नागरिक हो, किसान हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर उनकी तो यहां जमीन है।

१२ म० प०

चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिविल प्रोजेक्ट योजना की कार्यान्विति

४७. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या मंत्री विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिविल प्रोजेक्ट नामक योजना चालू की गई है ? यदि हां, तो इस योजना को कब बनाया गया है और कब कार्यान्वित किया गया ?

(ख) इस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है, अब तक हुए निर्माण-कार्य का विवरण बताया जाय ?

(ग) इस योजना पर कितना प्रस्तावित धन व्यय होना था, कितना धन व्यय हो चुका है और क्या निर्धारित बजट का शेष धन इस वर्ष ही खर्च हो जायगा ?

(घ) इस योजना में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? उनमें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कितने व्यक्ति हैं ? प्रत्येक श्रेणी में लगे हुए इस वर्ग के व्यक्तियों के नाम, जाति और पद सहित सूची सदन में प्रस्तुत की जाय।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें साफ लिखा है '(घ) इस योजना में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? उनमें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कितने व्यक्ति हैं ? प्रत्येक श्रेणी में लगे हुए इस वर्ग के व्यक्तियों के नाम, जाति और पद सहित सूची सदन में प्रस्तुत की जाय।' माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि (क) के उत्तर में कहा है कि कोई जानकारी नहीं है विभाग को सिविल प्रोजेक्ट की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सिविल डिविज़न का क्वेश्चन पूछा है सिविल प्रोजेक्ट का नहीं। सिविल प्रोजेक्ट गलती से लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिविल प्रोजेक्ट की कोई योजना नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि सिविल प्रोजेक्ट नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है ।

श्री लादुराम सुलाणिया : सिविल डिविज़न होगा ।

श्री अध्यक्ष : सिविल प्रोजेक्ट नाम की योजना लिखी है आपने ।

प्रश्न संख्या ४८

श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

सेटलमेंट विभाग, जयपुर द्वारा नगरपालिका, जयपुर से सिटी सर्वे का खसरा रेकॉर्ड मंगाना

४६. **श्री लादूराम सुलाणियां** (दूदू सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि सेटलमेंट विभाग, जयपुर ने सन् १६५८ में नगरपालिका, जयपुर से चौकड़ी हवाली शहर जनूबी मोती डूंगरी रोड, जयपुर का खसरा रेकॉर्ड सिटी सर्वे का मंगाया था जो अब तक वापस नहीं लौटाया गया है और जिसके कारण जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा क्या गल्ती करनेवाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

पशुपालन एवं कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) चौकड़ी हवाली शहर जनूबी मोती डूंगरी रोड, जयपुर का खसरा सन् १६५८ में बन्दोबस्त द्वारा नगरपालिका जयपुर से नहीं मंगवाया गया। एक अन्य केस में यह खसरा प्राप्त हुआ था एवं यह खसरा नगरपालिका को लौटा दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सही है कि खसरा नहीं मंगवाया गया था ? तहसील के अन्दर दो साल तक रेकॉर्ड यों ही पड़ा रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जिस केस का पूछा है उसमें नहीं मंगाया गया था। दूसरे केस में आया था वह लौटा दिया गया ।

श्री लादूराम सुलाणिया : कितने दिनों के बाद लौटाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दिन व तारीखें तो मेरे पास नहीं हैं कि कब हमारे पास आया और कब लौटाया गया ।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रेकॉर्ड नगरपालिका से तहसील में मंगाया गया था और दो साल तक तहसील में पड़ा रहा । सारी जनता परेशान होती रही रेकॉर्ड के कारण । दो साल के बाद रेकॉर्ड नगरपालिका को मिला ।

श्री नाथूराम मिर्धा : १२-२-६० को चिट्ठी से मगाया गया था। पहुंचा कब, इसकी तारीख नहीं है। वापिस भेजा है २६-३-६० को ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सदस्य ने प्रश्न दिया उसके बाद वापिस भेजा गया है क्या ?

Page No.21

श्री नाथूराम मिर्धा : २६-३-६० को भेजा गया है। प्रश्न तो अब आया है।

श्री लादूराम सुलाणिया : २६-३-६० नहीं २८-३-६० होगा।

माध्यमिक शालाएं खोलने के आधार तथा नियम

५०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार ने जिलेवाइज़ और तहसीलवाइज़ कहां कहां और किन किन आधारों पर माध्यमिक शालाएं इस वर्ष खोली हैं ?

(ख) क्या माध्यमिक शालाएं स्थापित करने के कोई नियम हैं ? अगर हां, तो क्या क्या शर्तें अनिवार्य रखी गई हैं ?

(ग) इस वर्ष टोंक डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां माध्यमिक शालाएं खोलने की स्वीकृति दी है ?

(घ) क्या यह सही है कि पंचाला, तहसील उनियारा के ग्रामवासियों ने माध्यमिक शाला के लिए भवन तैयार करा लिया था ?

(ङ) अगर हां, तो उसमें कितने कमरे हैं ? क्या जिलाधीश व शिक्षा निरीक्षक, टोंक ने उसका निरीक्षण कर लिया था ?

(च) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक, टोंक और उप संचालक, शिक्षा विभाग, कोटा ने वहां माध्यमिक शाला खोलने की सिफारिश की थी ?

(छ) अगर हां, तो क्या वहां माध्यमिक शाला खोल दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) १५ कमरे हैं। इसका निरीक्षण निरीक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा किया जा चुका है।

(च) जी हां। सिफारिश की थी।

(छ) माध्यमिकशाला खोल दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ५१

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

ग्राम बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली के कृषकों से सेटलमेंट विभाग द्वारा लगान की वसूली

५१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.22

(श्री तेजराम गहलोत)

(१) जिला पाली, तहसील सोजत के ग्राम बागावास में महकमा बन्दोबस्त द्वारा कितने पर्चे लगान कितनी जमीन के कृषकों को नहीं बांटे गये ?

(२) उक्त ज़मीन पर कृषकों का कब्जा कितने वर्षों से नहीं है ? खसरेवार सूचित करावें ।

(३) क्या यह सही है कि कृषक पर्चा लगान मंजूर करने के बाद ही जमीन का लगान देने का अधिकारी है तथा केवल बन्दोबस्त में दर्ज होने से व भूमि पर कब्जा न होने से कृषक लगान देने को बाध्य नहीं किया जा सकता ?

(४) क्या यह भी सही है कि बागावास में कृषकों से उनका कब्जा भूमि पर न होते हुए व बन्दोबस्त के पर्चे लगान उनको बिना दिये ही लगान वसूल किया गया ? अगर हां, तो किन किन से व कितना कितना लगान वसूल किया ?

(५) उक्त कृषकों में से कितनों के विरुद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा ६० (४) व ६१ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए आगामी तिथि पर इसका जवाब दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों को कानूनी सहायता

५२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state :—

(1) Since the publication of Rajasthan Legal Assistance (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Rules, 1958, how many persons have so far applied to the State Government or Collectors or Social Welfare Department for legal assistance under these rules ? The names of the applicants may be given in a istrictwise list showing the dates on which they first applied for such assistance ? How many among them have so far received legal assistance and on what dates ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी जो कलेक्टर से सारी रिपोर्ट मंगानी पड़ती है कि कौन कहां कैसा है वह नहीं आ सकी है ।

श्री पी. के. चौधरी : नेक्स्ट टर्न में दिया जाय ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

विकास अधिकारी फागी, जयपुर के कार्यालय में छुआछूत की शिकायत

५३. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.23

(श्री लादूराम सुलाणियां)

(१) क्या यह सही है कि फागी (जयपुर) विकास अधिकारी के कार्यालय में सभी कर्मचारियों को सन् ५८ में एक ही गिलास से पानी पिलाया जाता था ?

(२) इस कार्यालय में किन किन तिथियों को प्रत्येक कर्मचारी को गिलास दिया गया ?

(३) क्या इस कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी भी काम करते रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और कब से कब तक ?

(४) क्या विकास अधिकारी को छुआछूत करने की कभी शिकायत की गई ? यदि हां, तो कब और किसने किसके विरुद्ध की ?

(५) क्या छुआछूत की शिकायत पर विकास अधिकारी ने कानूनी कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं।

(२) दिनांक (१) २७.५.५७, (२) ५.२.५८ और (३) ७.७.५६ ।

(३) जी हां, श्री फकीरचन्द झरावत, कनिष्ठ लेखक, दिनांक २७.१.५६ से आज तक। श्री नाहरसिंह वर्मा, समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी--दिनांक १.७.५६ से दिनांक १६.६.५६ तक।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सही है कि श्री नरसिंहलाल वहां पहुँचा तो चाय पार्टी से उठा दिया गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। न ही यह प्रश्न में पूछा गया था।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या इनके साथ में छुआछूत का केस हुआ और प्रसार अधिकारी डंडा लेकर आ गया कि इस प्रकार की अकड़ क्यों करते हो ? ग्लास से पानी पीना चाहते हो तो अलग से लेकर आते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने प्रश्न ही नहीं पूछा। आपने पूछा कि ग्लास रखे गये या नहीं ?

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या इसी कारण से इनका ट्रान्सफर कर दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह असंगत प्रश्न है। डंडा लेकर गये या नहीं यह बात इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होती है।

प्रश्न संख्या ५४

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

भरतपुर जिले की टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत

५६- **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(क) गत दो वर्षों से भरतपुर जिले की कौन कौन सी सड़कें टूटी-फूटी या बेमरम्मत पड़ी रही हैं ?

(ख) उक्त सड़कों में से अब तक किन किन सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ? तालिका सदन की मेज पर रखी जावे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जो सड़कें अति वर्षा तथा बाढ़ से टूटी थीं उनकी सूची प्रस्तुत है । इनकी मरम्मत की जा चुकी है, बाकी सड़कों पर गेंग रहती है जो मरम्मत करती रहती है । आवश्यक मरम्मत कर दी गई है ।

(ख) सड़कों की मरम्मत इस साल के आखिर तक हो जायगी ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सूची आपने जो दी है क्या उसमें सारी सड़कें आ गई हैं, जो कि टूटी हैं या कुछ बाकी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो बारिश की वजह से टूटी हैं वे सब आ गई हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो टूटी हैं उनकी सब की मरम्मत करने के बारे में आपने बताया है कि सम्पूर्ण सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ।

श्री हरिश्चन्द्र : बाढ़ में टूटी हैं, उनकी लिस्ट दी गई है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या इनकी पूरी मरम्मत हो चुकी है ? सम्पूर्ण सड़कों की मरम्मत हो चुकी है क्या ? जो एक मील टूटी है उसकी एक मील की और जो दो मील टूटी है उसकी दो मील की या कुछ कम ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि साल के आखिर तक सारी सड़कों की, जो बाढ़ के कारण टूटी थीं, पूरी हो जायगी ।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : भरतपुर जिले में राजाखेड़ा की सड़कें जो टूटी हुई पड़ी हैं उनकी मरम्मत करवा दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बाढ़ के कारण जो टूटी थीं उनकी हो जायगी ।

(हंसी)

द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चे तथा प्राथमिक पाठशालाएं

५७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Education Minister be pleased to state :-

(1) What will be the total number of Primary Schools in the State by the end of 2nd Five Year Plan and what will be the percentage of school going children in the age group 6-11 years during that period ?

(2) How many additional Primary Schools the State Government propose to open in the rural and urban areas during the 3rd. Plan and what will be the estimated percentage of school going children in the age group 6-11 years during that period ?

Page No.25

(श्री पी० के० चौधरी)

(3) For the purpose of enforcing compulsory primary education and opening an locating schools in how many units of 'school area' the enire State has been divided by the Educational Survey Committee appointed by the Government of India ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (1). The total number of primary schools including Junior Basic in the State will be 14,482 by the end of 2nd. Five Year Plan. The percentage of school going children in the age group 6-11 will be between 46 and 49 percent.

(2) The number of additional Primary Schools propsed to be opened in the rural and urban areas during the 3rd. Five Year Plan is about to be 4, 165. The estimated percentage of school going children in the age group 6-11 years during 3rd. Five Year Plan will be 70 %.

(3) Entire State has been divided in 17,773 units.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the rural area of the State has been divided into 8,000 School Areas by the Educational Survey Committee ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have given the total number. I don't know the break-up.

श्री पी० के० चौधरी : Not break-up. The rural area has been divided into 8,000 school area units to enable the Government to have compulsory education. I want to know this ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't know the break-up between the urban and rural areas. I have given the total number of units which they have decided.

श्री अध्यक्ष : Next.

झुंझुनू, राजगढ़, पिलानी, बिसाऊ तथा बिसाऊ-मोगासर तक की सड़कों का निर्माण-कार्य

५८. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार झुंझुनूं मे राजगढ़ वाया अलसीसर, मलसीसर, टमकोर, सड़क तथा पिलानी-बिसाऊ सड़क को पक्का बनाने का विचार रखती है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

(ग) क्या यह सही है कि ५ मील के टुकड़े बिसाऊ से मोगासर तक की मंजूरी हो चुकी है ?

(घ) अगर हां, तो कार्य शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

Page No.26

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) झुंझुनू से राजगढ़ व पिलानी से चिराऊ सड़कों को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में नहीं लिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लच्छूराम : इस सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान अन्डर कन्सीडरेशन है। यह सड़क जरूर उसमें मेन्शन्ड है, मगर ली जायगी या नहीं यह ओवर ऑल प्लान बनेगा तब तय होगा।

शिक्षा विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के अध्यापकों का विभागीय फिक्सेशन।

५६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि १–४–५० को शिक्षा विभाग द्वारा बांसवाडा जिले के अध्यापकों का फिक्सेशन किया गया था ? यदि हां, तो मैट्रिक तथा मिडिल की योग्यता-वाले अध्यापकों की ग्रेड क्या क्या थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त फिक्सेशन में ग्रेड का परिवर्तन किया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जिन अध्यापकों को दिनांक १–४–५० को फिक्सेशन डिसएप्रूव होने पर उन्हें दिनांक १–२–५२ से मैट्रिक की ग्रेड दी गई है ? यदि हां, तो उनमें से कितने अध्यापकों को रेशनलाइज्ड पे स्केल फिक्सेशन हो चुका है। उनकी तथा जिन अध्यापकों का रेशनलाइज्ड पे स्केल में नहीं हो सका, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। उस समय मैट्रिक का ग्रेड ५०–४–७० और मिडिल का ग्रेड ३५-१-४० था।

(ख) जी हां। यह सत्य है कि उक्त विभागीय फिक्सेशन में कुछ अध्यापकों की ग्रेड में परिवर्तन किया गया। इसका कारण यह है कि विभाग ने योग्यता के आधार पर ३१–३–५० की ग्रेड की समकक्ष ग्रेड में फिक्स न करके उनकी योग्यतानुसार उच्च ग्रेड में प्रोवीज़नल फिक्सेशन भूलवश कर दिया जो लेखा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया और उन्हें ३१–३–५० को जो ग्रेड पा रहे थे उसी की समकक्ष रिवाइज्ड ग्रेड में फिक्स किया गया।

(ग) जी हां। १–२–५२ में मैट्रिक ग्रेड में स्थान रिक्त होने के कारण उन अध्यापकों को जो मैट्रिक पास थे और जिनका फिक्सेशन मिडिल ग्रेड में हुआ था उन्हें मैट्रिक ग्रेड में प्रमोशन दे दिया गया। अभी तक किसी का भी रेशनलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन नहीं हुआ है।

जयपुर शहर से १० मील की दूरी में काश्त के लिये दी गई भूमि की बकाया रकम

६०. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर—

Page No.27

(श्री भैरोंसिंह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर से १० मील की दूरी में सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण के पश्चात् काश्त के लिये दी गई भूमि से सम्बन्धित किन किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं में किस किस प्रकार की कितनी कितनी रकम कब कब से बाकी है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची में १८ नम्बर जिस व्यक्ति के नाम बकाया है उसका नाम साफ नहीं है। यह किसका नाम है ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : His adviser.

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका नाम है श्री बृजेन्द्रनारायण काक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन महाशय में १०,१५६.४४ न०पै० सम्वत् २०१० से बकाया है, इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय पर तकावी का पैसा अदा नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैसा नहीं होगा पास में।

श्री श्रीभानसिंह : जब पैसा नहीं था तो before the Govt.'s appointing him as Agricultural Adviser, did the Govt. take into cognigence, how much Government money is due on this gentleman ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो कोई फैक्टर नहीं होना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेंट मनी ड्यू हो, फिर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का कारण यह बताता है कि वह गवर्नमेंट पर इन्फ्ल्युएन्स डालते हैं कि वसूली न की जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो वह गवर्नमेंट के पायनदार हैं और न गवर्नमेंट का पैसा वसूल करने की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस तरह का एडवान्टेज लेने के लिये ही गवर्नमेंट के एडवाइज़र बने हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिकवरी की कार्यवाही जारी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बताइये कि पिछले ७ साल में किस किस डेट को आपने उनको नोटिस दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न आप अलग से पूछते तो मैं उसका जबाब देता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जब यह कहते हैं कि वसूली की कार्यवाही जारी है तो सदन यह जानना चाहेगा कि किस किस तारीख को क्या क्या कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वसूली की कार्यवाही जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुझे मालूम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आप जवाब दें कि पी० डी० आर० की तहत किस किस तारीख को क्या क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कार्यवाही जारी है :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आइटम नं० ३१ पर श्री कुम्भाराम आर्य में ४,३७७ रु० सम्वत् २००७ से बकाया हैं। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ये रुपये उनको एक मुश्त दिये गये थे और कब ड्यू होते हैं और अब तक क्यों नहीं वसूल हो पाये और पी० डी० आर० के अन्तर्गत अटेचमेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने रुपये कब कब ड्यू हुए, इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सूची में कॉलम ६ है उसमें दर्ज है कि एक सज्जन ५० रुपया माहवार जमा कराते हैं। दूसरे के आगे यह लिखा हुआ है कि पी० डी० आर० की तहत कार्यवाही चल रही है। लेकिन इन सज्जन के सामने कुछ नहीं लिखा है इसलिये मैं मानता हूं कि १० साल से वसूल न होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि या तो कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और यदि कोई सिक्योरिटी है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही करके वसूल करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकारी रकम की वसूली होगी और कायदे के मुताबिक कार्यवाही हो जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उनसे कब तक यह वसूली होगी ? ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि हम इतनी तारीख तक वसूली करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६१.

छात्रावास, मिडिल स्कूल, बास घासीराम, जिला झुंझुनूं को सरकारी अधिकार में करना

६१. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बास घासीराम मिडिल स्कूल, जिला झुंझुनूं में स्थानीय प्रबन्धक कमेटी की ओर से जो छात्रावास चल रहा था उसको राज्य सरकार के

(श्री लच्छूराम)

अधीन देने के लिये पत्र-व्यवहार किया गया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि प्रबन्धक कमेटी ने छात्रावास को मय सामान आदि के सरकार को देना तय कर लिया है ?

(ग) क्या सरकार इस छात्रावास को लेने का विचार रखती है ?

(घ) अगर हां, तो इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) कार्यवाही चल रही है।

श्री लच्छूराम : यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है।

कस्बा बसवा में मंडी बनाने की योजना

६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि बसवा कस्बे के रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर सरकार द्वारा मंडी बनाये जाने की योजना थी ? अगर हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(ख) क्या यह योजना अब भी सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर नगर में चम्बल जल विद्युत की प्राप्ति

६३. **डॉ. चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर शहर के पॉवर हाउस पर बहुत भार है जिसके कारण शहर में बिजली की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है ?

(ख) जयपुर शहर को चम्बल की बिजली कब से मिलने लगेगी ? क्या जिस दिन से बिजली मिलने लगेगी उसी दिन से जनता को अधिक से अधिक बिजली मिलने लगे, इसकी तैयारी हो चुकी है ?

(ग) क्या चम्बल की बिजली आने के बाद सिंचाई के पम्पों, चक्कियों, मशीनों आदि को २४ घंटे बिजली मिलने लगेगी ?

(घ) चम्बल की बिजली जयपुर के पहले किन किन स्थानों में होती हुई आयेगी ? क्या सब स्थानों को निश्चित अवधि में बिजली देने की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) पॉवर हाउस पर बहुत अधिक भार हो गया

(श्री हरिश्चन्द्र)

है, पर विद्युत वितरण की व्यवस्था को संतोषजनक रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(ख) जयपुर शहर में चम्बल से १९६१ के मध्य तक बिजली लाने की कोशिश की जा रही है और यही सम्भावना है कि उस वर्ष में जल्दी से जल्दी चम्बल से विद्युत मिल सकेगी। अधिक बिजली मिलने पर उसके उपयोग के साधन भी चाहिये जिनके लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) यथासम्भव।

(घ) जयपुर से पहले कोटा, लाखेरी व सवाई माधोपुर सब-स्टेशन बनेंगे इनको तैयार करने की कार्यवाही चालू है।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू–सु०) : क्या यह सही है कि अधिक बिजली मिलेगी तो बिजली सस्ती हो जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले से सस्ती होगी।

डॉ० चन्द्रकला : यह कहा गया है कि चम्बल से आने के बाद अधिक से अधिक बिजली मिलेगी उनके लिए तैयारी की जा रही है और कार्यवाही चल रही है; क्या कार्यवाही चल रही है यह मैं जानना चाहती हूं ?

श्री हरिश्चन्द्र : तार लग रहे हैं, पोल्स गढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स लगाये जा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणियां : क्या कहीं से तार उतारे भी जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६४.

श्री लादूराम सुलाणियां : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

महाराजा कॉलेज, जयपुर में कुर्सियों की खरीद

६४. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज, जयपुर में लगभग ५०० कुर्सियों की खरीद के लिये दिनांक २४. ११. ५९ को ऑर्डर दिया गया था ? यदि हां, तो किसको और कब ?

(ख) कुर्सियों के क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिये गये थे ?

(ग) क्या यह ऑर्डर टेन्डर मांग कर लोएस्ट टेन्डरर को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) कुर्सियां कहां से सप्लाई होनी चाहिये थी तथा किस लकड़ी की होनी चाहिये थी ?

(ङ) जिस व्यक्ति को यह ऑर्डर दिया गया है वह क्या बिज़नेस करता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) महाराजा कॉलेज, जयपुर के लिए ६०० कुर्सियां सप्लाई करवाने का ऑर्डर दिनांक २४.११.५९ को मेसर्स मुकटलाल खंडेलवाल, जनरल ऑर्डर एण्ड सप्लायर्स, रामपुर, यू.पी. को दिया गया था।

Page No.31

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ख) कुर्सियों के स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से थे:—

ऊंचाई २ फीट

इस स्पेसिफिकेशन में शायद आप लोग इन्ट्रेस्टेड नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : रहने दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (ग) यह आॅर्डर टेन्डर मांग कर दिया गया था। ६ टेन्डर आये थे; इसमें से ३ टेन्डर देने वालों ने अर्नेस्ट मनी निर्धारित फॉर्म में रूल नं० ४१८ जी. एफ. एंड ए. आर. के अनुसार जमा नहीं कराई। बाकी बचे हुए टेन्डर देने वालों में मेसर्स मुकटलाल खंडेलवाल, (रामपुर, यू०पी०) वाले का टेन्डर सबसे कम था और मंजूर किया गया।

(घ) ये कुर्सियें सीज़न्ड शीशम की लकड़ी की होनी चाहिये थी।

(ङ) जिस व्यक्ति को यह आॅर्डर दिया गया वह जनरल आॅर्डर सप्लायर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितनी कुर्सियें सप्लाई की गई हैं क्या यह सही है कि वे सब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थीं और शीशम की थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी जांच कराई गई थी। उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शीशम की लकड़ी की कुर्सियें नहीं आई, क्या यह बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या जिस आॅफिसर के द्वारा जांच कराई गई वह इसकी जांच करने में एक्सपर्ट था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से जो जानकार होते हैं उन्हीं से जांच कराई जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जानकारी किससे कराई गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अकाउन्ट्स की जांच करने के लिये आॅडिट टीम को भेजा था लेकिन शीशम की कुर्सियों की जांच किससे कराई गई, उस आॅफिसर के नाम की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी जांच क्यों कराई गई ? क्या इस बारे में कोई कम्पलेन्ट आई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कहा गया था कि जिनकी रेट कम थी उनको नहीं देकर दूसरे को आॅर्डर दिया गया; इसलिये जांच कराई गई। उससे मालूम हुआ कि उसने अर्नेस्ट मनी रूल्स के मुताबिक नहीं जमा कराई थी, इस वजह से दूसरे नम्बर पर जो था उसकी जांच कराई गई और यह आॅर्डर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार कीनीति यह रहती है कि रिट्रबटली फोर्म वगैरह भरा हो तो अर्नेस्ट

Page No.32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मनी डिपोज़िट करा सकता है और उसके लिये दुबारा चान्स दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अर्नेस्ट मनी चैक से नहीं ली जाती है। चैक लौटाने के बाद उसने रुपये जमा नहीं कराये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो आदमी उस चीज़ का बिज़नेस नहीं करता है वह आदमी दूसरों पर रिलाई करता है और दूसरों से खरीद कर सप्लाई करेगा तो सामान ठीक तरह से नहीं आयगा? यह आदमी भी व्यापार नहीं करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जनरल ऑर्डर सप्लाई का काम करता है। इसी का सबसे नीचा टेन्डर आया था। अगर रूल के खिलाफ जाते तो और कई प्रश्न माननीय सदस्य खड़े करते :

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

राजकीय पुस्तकालय, बीकानेर का ऑडिट

६५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजकीय पुस्तकालय, बीकानेर का ऑडिट कब कब हुआ ? कृपया पिछली ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ख) इस ऑडिट रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई हैं उनको दूर करने के लिए अब तक सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या यह सच है कि राजकीय पुस्तकालय, बीकानेर के पुस्तकालयाध्यक्ष ने पुस्तकालय के चपरासी के नाम पर बीकानेर से इन्दौर जाने का एक फर्जी अनधिकृत टी. ए. बिल वसूल किया है ? यदि हां, तो इसके लिए पुस्तकालयाध्यक्ष पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) राजकीय पुस्तकालय बीकानेर का ऑडिट निम्नलिखित तिथियों को हुआ :-

(१) १८. १. ५४

(२) २५. २. ५६

(३) ५. ३. ५६

आखिरी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस ऑडिट रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई थीं उनमें से अधिकांश की पूर्तियां कर दी गई हैं और कुछ के पूरा करने के लिये पुस्तकालयाध्यक्ष को हिदायत कर दी गई। इस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा इस पुस्तकालय की अन्य लाइब्रेरियन द्वारा भी जाच कराई गई थी जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष पर कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। अन्तिम ऑडिट रिपोर्ट में विभागीय जांच में बताई हुई अनियमितताओं का भी हवाला दिया गया है। क्योंकि पुस्तकालयाध्यक्ष नें इन कथित आरोपों को स्वीकार नहीं किया, अतः इस विषय में पूर्ण रूप से जांच करने के लिए सहायक अध्यक्ष, समाज शिक्षा को नियुक्त किया गया था जिन्होंने जांच कर ली है लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुई है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे उचित कार्यवाही की जावेगी।

(ग) विभागीय जांच रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि पुस्तकालयाध्यक्ष ने पुस्तकालय के चपरासी के नाम पर बीकानेर से इन्दौर जाने का एक फर्जी टी. ए. बिल वसूल किया है। यह आरोप कहां तक सत्य है, इसका निर्णय सहायक अध्यक्ष, समाज शिक्षा की रिपोर्ट आने पर ही किया जा सकता है। अगर यह आरोप सत्य साबित हुआ तो पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० चन्द्रकला : सहायक अध्यक्ष समाज शिक्षा ने कब जांच की ....

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना

६६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) धौलपुर उप-जिला में इस समय राजकीय व राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो शिक्षा का कार्य कर रही है ?

(ख) डिग्री कॉलेज स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(ग) धौलपुर में मौजूदा स्थिति में डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए किन किन चीजों का अभाव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) १० संस्थायें।

(ख) पहले जिन जिलों में नहीं हैं उनको सम्भव हो वहां तक प्राथमिकता देना तथा जिले में हाई व हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या पर्याप्त होना, भवन की सुविधा व जनता का सहयोग होना।

(ग) मुख्यतया भवन का।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम।

पटवारियों को उनकी होम तहसील में नहीं रखने के आदेश

६७. **श्री बेनाराम गहलोत** (लारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि पटवारियों को उनकी होम तहसील में नहीं रखा जावे ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या उपरोक्त आदेश राज्य के विभिन्न विभागों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है ? यदि नहीं, तो फिर पटवारियों पर ही क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं। किसी पटवारी को उन सर्किल में जहां उनका होम विलेज हो पोस्ट नहीं किया जा सकता।

(ख) जी नहीं। राजस्थान लैंड रेवेन्यू

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रूल्स, १६५७ की धारा ४ (ई) के अनुसार ये नियम केवल पटवारियों पर सरकार ने विशेष रूप से लागू किये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जयपुर जिला परिषद् द्वारा जिला अथवा डिविजन स्तर के अधिकारियों को परिषद् की बैठकों में सम्मिलित होने को बुलाया जाना

६८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर जिला परिषद् की ओर से किन किन जिला स्तर या डिविजन स्तर के अधिकारियों को परिषद् की बैठकों में बुलाया गया ?

(ख) उक्त अधिकारियों में से कौन कौन अनुपस्थित रहे और क्यों ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी हुई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख है। अनुपस्थित रहने का कारण बैठक की निर्धारित समय के अन्दर सूचना न मिलने तथा अन्य कार्यों में व्यस्त रहना था।

(ग) इस बारे में सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये।)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जब असिस्टेन्ट उनके आगे रहते हैं तो उनको क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी ?

श्री अध्यक्ष : वे नहीं जा सकते थे, तो उनके असिस्टेन्ट को भेजना चाहिए था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जा न सकने की बात यों नहीं है कि सूचना नियम के अनुसार १५ दिन पहले मिलनी चाहिये। लेकिन जो सूचना दी गई वह १५ दिन पहले नहीं दी गई, इसलिए नहीं जा सके।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०) : क्या यह सही है कि जिन सदस्यों को सूचनायें मिली थीं उनके साथ इनको मिल गई या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी नहीं है, बहरहाल सूचना साथ ही साथ दी जाती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने कहा कि नियमों के अनुसार सूचना नहीं दी है, क्या आप बता सकते हैं कि जिला परिषद् ने किस डेट को सूचना दी और उसमें कितना पीरियड लग गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ये तारीख हैं; २६-१०-५६ को बैठक की तारीख थी और नोटिस देने की तारीख है २१.१०.५६। दूसरे २८. ११. ५६....

श्री श्रीभानसिंह : आपका मतलब यह है कि नोटिस बाद में जारी किया ? बैठक थी १६.१०.५६ को और नोटिस २१.१०.५६

Page No.35

(श्री श्रीभानसिंह)

को जारी किया गया? I think it is absurd: यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : Let him explain before you use a harsh word.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नोटिस जारी करने की तारीख थी २१. १०. ५६ और बैठक की तारीख थी २६. १०. ५६। समझे कि नहीं आप ?

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह : I think let the Chief Minister come to the rescue of the Democratic Decentralisation.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : बिल्कुल समझ गये।

श्री अध्यक्ष : जो सूचना मिली है उसके आधार पर तो कह रहे हैं।

(विराम)

श्री लादूराम सुलाणियां : मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब मीटिंग....

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब देने दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं कि ध्यान से आप तारीखें और महीने सुनेंगे तो यह भ्रम दूर हो जायगा। नोटिस दिया गया २१.१०.५६ को जब कि बैठक की तारीख थी २६. १०. ५६ को, यानि आठ दिन पहले नोटिस दिया गया जब कि १५ दिन पहले दिया जाना जाहिए। और चलूं आगे ?

श्री श्रीभानसिंह : कानून के मुताबिक तो २१ तारीख को नोटिस जारी हुआ और २६ को मीटिंग थी, तो कानून में सात दिन का पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है, उसके मुताबिक सूचना मिल गई, फिर किस आधार पर कहते हैं कि सूचना समय के अन्दर नहीं मिली ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अधिकारी, जिनकी उपस्थिति आवश्यक होती है, उनको १५ दिन पहले सूचना देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही जिले में लघु-उद्योगों हेतु आर्थिक व्यवस्था

६६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Industries be pleased to answer :-

(1) What is the financial provision for small scale industries in Sirohi District for the Third Plan ?

(2) What are the proposals in this respect for this district ?

(3) Has the industrial survey for small scale industries been ordered for this district ?

(4) If so, by what time this survey is likely to be got done ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) The proposals for the Third Five Year Plan have not been finalised so far and as such nothing definite can be said at present.

Page No.36

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(2) The same as in answer to question no. 1.

(3) The Directorate of Economics Industrial Survey has a programme of Industrial Survey of all the districts including Sirohi.

(4) No definite time can be given but the survey is likely to be complet-early.

श्री मोहब्बतसिंह : What is the programme for the Survey for all the ed items.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The team is doing survey and it has fixed up its progrmme and will submit it's report.

श्री मोहब्बतसिंह : When they are going to start the survey ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have already started.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. २८ मध्यान्ह पश्चात्

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अष्टम प्रतिवेदन (१९५७-५८)

(सदन की मेज पर प्रस्तुति)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का आठवां प्रतिवेदन ११ अप्रेल १९५७ से ३१ मार्च, १९५७, I am sorry, एक अप्रेल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक मेमोरेन्डम सहित जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

कार्य-सलाहकार समिति के चौदहवां प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी) के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री चन्दनमल वैद (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : माननीय अध्यक्ष, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर सहमति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ : "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि, "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?"

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Page No.37

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६६०

(खण्डश: विचार-विमर्श एव पारित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के ऊपर स्टेटमेंट करना था, जो सरदारशहर के ऊपर रखा है ।

श्री अध्यक्ष : उसमें सूचना गृह मंत्री ने मंगाई है और उसके आते ही सदन को सूचित कर दिया जायगा ।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : यह कब तक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बहुत शीघ्र ।

श्री मोगजी भाई : यह स्टेटमेंट जल्दी हो, उस पर विचार प्रकट कर दें ।

श्री अध्यक्ष : बहुत जल्दी दे दिया जायगा ।

श्री मोगजी भाई : कोई निश्चित् तारीख हो, आपकी तरफ से निर्णय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ २ पर मेरे एक, दो, तीन व चार अमेंडमेंट्स हैं । एक तो इस प्रकार से है कि : "(1) New clause 85 A: Insert the word 'non-Judicial' between the words 'a' and 'Proceeding'.

(ii) In Section 85A add the following proviso:-'Provided that

(i) No order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and are heard in support of such order.

(ii) No order in respect of which an appeal or revision has been filed shall, so long as such appeal or revision is pending, be reviewed; and

(iii) No order affecting anyq uestion of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings.

(iii) In new Section 85A, after the words the 'Review' insert the words 'within six months from the date of passing of this Act or within sixty days of passing of order sought to be reviewed, as the case may be.'"

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं, रिव्यू के सम्बन्ध में जो मोशन मूव किया है उस पर बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, यह जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसमें वही लिमिटेशन है जो इन्डियन लैंड रेवेन्यू एक्ट की लिमिटेशन है । लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का 'सुओ मोटो' रिविजन का प्रश्न है, "The Government can review on its own motion." अभी जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया वह आज से ५ वर्ष या १० वर्ष इस कानून के

Page No.38

(श्री पी. के. चौधरी)

पास होने के बाद भी गवर्नमेंट को रिव्यू करने का अधिकार देता है और यह साफ नहीं है कि वह ५ साल तक या १० साल तक रिव्यू करेगा ! इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कानून पास होने के बाद भी रिव्यू करते हैं लेकिन जहां तक अपील का प्रश्न है उसमें तो लिमिटेशन हैं जैसा कि इस रेवेन्यू एक्ट में दिया है, सेक्शन ८७ : "Application of Act IX of 1908-The provisions of the Indian Limitation Act, 1908 (Central Act IX of 1908) shall apply to all appeals and applications for review under this Act." अपील और एप्लीकेशन रिव्यू पर ही लागू होगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ा लेकुना है। इसमें रिव्यू का प्रश्न पैदा हो सकता है। मान लें सरकार ने किसी जमीन को आबादी लैंड से नोन आबादी में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी को यह कहा कि यहां पर इन्डस्ट्री या फैक्ट्री कायम करो। उसके लिए उन्होंने उसको १० बीघा जमीन की इजाजत दे दी। उस व्यक्ति ने ५ बीघा ज़मीन पर फैक्ट्री कायम की और बाकी ५ बीघा ज़मीन पर क्वार्टर्स और मकान बना लिये या बाकी की जमीन को किसी दूसरे को सेल कर दी और उसके बाद दूसरे आदमी ने जिसने परचेज़ की उसने उसको अपने निजी उपयोग में लिया। तीसरा क्लॉज़ हम देखेंगे उसमें दिया हुआ है: 'That if any such land is so used the person holding the land as aforesaid for the purpose of agriculture as well as all subsequent transferees, if any, shall be deemed to be a trespasser or trespassers, as the case may be, and shall liable to ejectment from such land......'

(१२. ३४ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

यानी उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के लिए कोई लिमिटेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। गवर्नमेंट कभी भी अपनी मर्जी चाहे रिव्यू कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह नागरिकों के लिए और उनके लीगल राइट्स पर इसका जो इफेक्ट हो सकता है उस पर इसका असर गलत पड़ सकता है और वह इस प्रकार से पड़ सकता है जैसा मैंने आपको अभी सुनाया कि यह लिमिटेशन सारी लैंड रेवेन्यू एक्ट से लागू होती है मगर गवर्नमेंट रिव्यू के लिए यह लाग नहीं होती है। सेक्शन ८७ का लास्ट है उसके माफिक 'shall apply to all appeals and applications for review under this Act...' और किसी काम में लागू नहीं होता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेन्डमेंट मैं समझता हूं कि यहां पर आना चाहिये, जो यहां पर मूव नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से उस अमेन्डमेंट को स्वयं मन्त्री महोदय की तरफ से मूव किया जाना चाहिये; वह यह है कि रिव्यू करने के ग्राउन्ड्स भी मेन्शन होने चाहियें। जब कि रेवेन्यू बोर्ड को भी रिव्यू करने के लिए हमने ग्राउन्ड्स मेन्शन किये हैं। वह रेवेन्यू बोर्ड के सेक्शन ८६ में दिया हुआ है। आप उसके सेक्शन ८६ को देखेंगे : 'An application for review under this section shall lie

(श्री पी. के. चौधरी)

on any of the grounds mentioned in rule 1 of order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (Central Act V of 1908) and the provisions of the said order shall, subject to the provisions contained in sub-section (1) or sub-section (2), be applicable.' जिन रेवेन्यू कोर्ट्स को जहां पर हमने रिव्यू का अधिकार दिया है वहां हमने ग्राउन्ड्स फोर रिव्यू को भी मेन्शन किया है लेकिन यहां पर जब आप एक एग्जिक्युटिव को रिव्यू के पॉवर्स देते हैं उसमें ग्राउन्ड्स अवश्य मेन्शन होने चाहिए। हालांकि रेवेन्यू बोर्ड एक सेमी-जुडिशियल बॉडी है उसमें भी हमने लिमिटेशन प्रेस्काइब्ड किया है कि किन किन ग्राउन्ड्स पर और कितने दिनों में रिव्यू हो सकती है। लेकिन यहां पर एग्जिक्युटिव बॉडी स्टेट गवर्नमेंट है इसमें हमने ग्राउन्ड्स मेन्शन नहीं किये हैं और लिमिटेशन नहीं रखी है! आज कोई ऑर्डर पास किया तो क्या १० साल बाद तक या १५ साल बाद तक या कितने समय बाद तक वह रिव्यू कर सकती है इसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर लिमिटेशन नहीं होती है तो हम उनको एक वास्ट पॉवर इस तरह से देते हैं। इससे काफी लोगों को हार्ड-शिप हो सकती है। रेवेन्यू बोर्ड सेमी जुडिशियल बॉडी है। लोग जुडिशियल प्रोसीजर को मान कर चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक एग्जिक्युटिव मशीनरी है उसके पास न तो कोई एक्सपीरियन्स जुडिशियरी का है और न कोई जानकार हैं। इसलिये रेवेन्यू बोर्ड का जुडिशियरी से इतना कन्सर्न होते हुए भी हमने उनके लिये भी लिमिटेशन प्रेस्काइब किया है और ग्राउन्ड्स फोर रिव्यू रखे हैं तो हमको कम से कम इसके लिए भी लिमिटेशन तो रखना ही चाहिये। हम यह मान लें कि १० वर्ष तक रिव्यू कर सकते हैं या १५ वर्ष तक रिव्यू कर सकते हैं लेकिन जब लिमिटेशन नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं। इसलिये यह तो होना ही चाहिये कि अमल में आने के बाद १ साल तक या १० साल तक रिव्यू कर सकते हैं। यह बात इसमें नहीं है। इसलिये मैंने यह लिमिटेशन रखी है कि ६ महीने तक सरकार के पुराने ऑर्डर की रिव्यू करने का और जो नये ऑर्डर होंगे उसके लिए ६० दिन का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट बहुत ही वाजिब है और फेअर है।

एक माननीय सदस्य : अमेंडमेंट कौनसा है?

श्री पी० के० चौधरी : मैंने पढ़ दिया है।

"After the words 'review' insert the words 'within six months from the date of passing of this Act or within sixty days of passing of order sought to be reviewed, as the case may be'.."

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ६० दिन कर देते तो ठीक था।

श्री पी० के० चौधरी : ६० दिन कर दें। मगर गवर्नमेंट के लिए दूसरों मोरो के लिये लिमिटेशन लागू नहीं होती है इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है। मै समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट यह है कि proceedings जो हैं उनको अलग से apply किया है। मैंने यह जोड़

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया है,"Insert the words 'non-judicial' between the words 'a'and 'Proceding.'' दूसरा प्रोविजो का है। पार्टी को बगैर नोटिस के ऑर्डर रिव्यू नहीं करना चाहिये, यह सब प्रोसीजर में रखना चाहिये। गवर्नमेंट को नॉन जुडिशियल केसेज में रिव्यू करें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस प्रोसीजर को नहीं रखने से कोई फेअर प्रोसीजर नहीं हो सकता है। यानी प्रासीडिंग्स फेयर नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार कर लिया जाय। क्योंकि उसके अन्दर कॉन्सीक्वेन्सेज़ हैं जो सेक्शन ३ में दिये हुये हैं। इजेक्टमेंट वगैरह का मामला काफी सीरियस है। इन सब बातों को देखते हुए जो प्रोसीजर का मेथड मैंने रखा है उसको स्वीकार किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसके क्लॉज़ २ में मेरे कुछ संशोधन हैं।

"Add the following proviso of the new section 85 A:- 'Provided that:—

(a) No order shall be varied or veversed unless notice has been given to the parties interested to appear and are heard in support of such order.

(b) No order in respect of which an appeal or revision has been filed shall, so long as such appeal or revision is pending, be reviewed.

(c) No order affecting any Question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party of the proceedings, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within ninety days from the date of passing of the order.

(d) An application for review under tnis section shall be on any of the grounds mentioned in rule 1 of order XIVII of the first schedule to the Code of Civil Prccedure, 1908 (Central Act 5 of 1908),

जैसा मैंने कल सदन के सामने इसको प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह तर्क दिया था कि अच्छा होता कि राज्य सरकार इस प्रकार का कोई भी अधिकार अपने हाथ में नहीं लेती और जहां तक मेरी मान्यता है मैं समझता हूँ, कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा८५ए जो कि नई जोड़ी जा रही है और जिसके अन्दर नजरसानी के अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में उत्तर दिया था मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ था और मेरी अब भी मान्यता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है जिसमें कहा जा सके कि इस प्रकार के रिव्यू के पॉवर्स राज्य सरकार को दिये जाने चाहिये। लेकिन यदि राज्य सरकार इस बात पर तुली हुई है कि रिव्यू के पॉवर्स उसको लेने ही हैं, उनको अपने किये गये किन्हीं फैसलों में नजरसानी करनी है और इस प्रकार की कोई आवश्यकता विशेष रूप से यदि राज्य सरकार को महसूस हुई हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिसके लिए कल राजस्व मंत्री महोदय ने यह दलील दी थी कि हर एक कानून में हर एक अदालत को और राजस्व के हर एक अधिकारी को अधिकार होता है कि वह अपने दिये गये फैसलों में पुनर्विचार करें और आवश्यक हो तो कानून की सीमा में रह कर अदल बदल भी कर सकता है और इसी आधार पर तर्क दिया था कि क्या कारण है कि फिर राज्य सरकार को इससे वंचित रखा जाय। निर्णय किन्हीं मामलों में राज्य सरकार को देने होते हैं तो उनमें गल्तियां हो सकती हैं, यह उन्होंने माना इसलिये राज्य सरकार को अधिकार दिया जावे कि वह अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सके, पहले दिये गये फैसलों में यह रद्दोबदल कर सके और इसलिए सदन से निवेदन किया गया है कि इस बिल के द्वारा एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया जाय। एक मिनट के लिए यह बात मान भी ली जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह दलील दी कि समस्त अदालतों और रेवेन्यू के अधिकारियों को यह अधिकार है कि कानून के तहत वे रिव्यू कर सकें। माननीय कृषि मंत्रीजी, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की जगह इस बिल को पायलेट कर रहे हैं अभी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ८६ का अवलोकन करें। इसके अन्तर्गत लैंड रेवेन्यू कोड और बाकी राजस्व अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे फैसलों का पुनर्विचार कर सकें। वे इस तर्क को उपस्थित करते हैं तो धारा ८६ पर उसके जो मुद्दे है इन पर क्यों नहीं विचार करते हैं? जिस प्रकार की कन्डीशन्स वहां ले डाउन कर रखी है, नजरसानी रिव्यूअल के पॉवर्स नहीं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉवर्स हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी बातों के लिये जो समय निर्धारित करते हैं, रेवेन्यू कोड और रेवेन्यू अधिकारियों के बारे में जो शर्तें हैं उन शर्तों से भी राज्य सरकार को क्यों नहीं बांधा जाय? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आज का नहीं है, दस बीस वर्ष का नहीं है किन्तु सैकड़ों सालों से चल रहा है। उसकी ४७ धारा ऑर्डर १ रूल के अन्दर रखा हुआ है कि किन आधारों पर रिव्यू कर सकेंगे। रिव्यू इस आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी सवाल में फैसला कर दिया, किसी वाकयात पर अदालत ने फैसला कर दिया होगा, इसलिए वहां उनके अधिकारों को कन्फाइन किया है, सीमित किया है बंधित किया है, शर्तें ले-डाउन की हैं। इसीलिए मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पहलू पर कानून के नुक्ते-नजर से विचार करें कि आया रिव्यू के पॉवर्स राज्य सरकार को लेने चाहिये नही और लेना चाहिये तो उन पर भी ये कन्डीशन्स क्यों नहीं लागू हों? इसलिए धारा ८५ ए जोड़ने के ऊपर मैंने संशोधन रखा है। रेवेन्यू कोड और रेवेन्यू अधिकारियों के लिए जो कन्डीशन्स लागू हैं कि रिव्यू किन आधार पर होगा, कितने पीरियड में होगा, किन पार्टीज़ के नोटिस देने पर होगा। जिनके टाइटल एन्ड इस्ट्रेस्ट इन्वोल्व्ड हैं इन सरकमस्टान्सेज में कोई भी अधिकारी, अदालत स्वयं की प्रेरणा से नजरसानी नहीं कर सकती और वे सारी बातें राज्य सरकार के लिए भी लागू होनी चाहिये। अन्यथा क्या होगा कि राज्य सरकार समझेगी कि मयाद निकल गई है, लिमिटेशन पीरियड निकल गया है, पार्टीज़ दर्ख्वास्त नहीं कर सकती, सूओ मोटो राज्य सरकार उनको स्वीकार कर लेगी। यह तर्क है कि रेवेन्यू कोड और रेवेन्यू

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अधिकारियों के लिए लागू है उनको रिव्यू के अधिकार दिये गये हैं तो राज्य सरकार को क्यों नहीं दिये जायं ? सिविल प्रोसीजर कोड, इन्डियन पीनल कोड, लैंड रेवेन्यू कोड में जो प्रोविज़न्स दिये गये हैं, जो कन्डीशन्स ले डाउन की गई वे भी राज्य सरकार के लिए क्यों न लागू की जायं ? इसीलिए क्लॉज़ २ में जहां कि रिव्यू का ताल्लुक है, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्रीजी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

दूसरा जो, उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ के सब क्लॉज (१) में संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको भी मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक नया अमेन्डमेंट, ८५ के साथ में एक नई चीज़ जोड़ी गई है।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : There is, quorum including myself.

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं समझ रहा था कि ८५ए के अन्तर्गत, फिर इसके अन्तर्गत एक दफा और विचार होना चाहिये। यह एक ऐसा क्लॉज है जिसको डेफर कर देना चाहिये। इसका कारण यह है कि आप रिव्यू के पॉवर्स किन हालतों में ले सकते हैं ? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो तो। लैंड रेवेन्यू एक्ट है वहां भी यही बात है और लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजन्स साफ नहीं बताते हैं वहां सिविल प्रोसीजर कोड की मदद लेनी चाहिये और उसमें यह साफ बात है कि आप किन कन्डीशन्स में रिव्यू कर सकते हैं। इसलिए इस पर आप एक दफा और विचार करें। रिव्यू के पॉवर्स जब पैदा होते हैं कि आप किसी बात को जुडिशियल नेचर से डिसाइड कर लें और करने के बाद आपको ऐसा मालूम होता है कि कोई इल्लीगेलिटी रह गई है, गैर कानूनी कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई ऐसे अधिकार नहीं हैं कि कोई जजमेंट देते हों। फाइनल जजमेंट देने का अधिकार कोई उनके पास लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत नहीं है। सारे अधिकार हैं कलेक्टर को और रेवेन्यू बोर्ड को एवं कमिश्नर को। आप इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सकते कि जिसके अन्तर्गत आपको कोई जुडीशियल डिसीज़न देने का किसी रूप में अधिकार है। न होते हुए भी आप नया पॉवर ले रहे हैं कि आप अपने किसी भी पुराने डिसीज़न को रिव्यू कर सकते हैं। फिर इसके लिये आपने कोई कारण भी नहीं बताये। बस कह दिया ऑल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं।

प्रजातन्त्र में दो बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। आपने एक निर्णय दे दिया। उसके ऊपर अपील का प्रोविज़न है। जुडीशियल डिपार्टमेन्ट है। आप उसके निर्णय से बन्धे हुए हैं। पर आप क्या कर रहे हैं ? आप अपने को खुद को ही रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने ऑर्डर को फिर जब कभी भी दो, चार साल बाद या दस, बीस साल बाद भी रिव्यू कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप यह बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे कानून के पॉवर हैं कि जिनकी फाइनल अपील

(श्री मूलचन्द डागा)

गवर्नमेन्ट के पास जाती है लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत ? आप रेवेन्यू बोर्ड को यह पॉवर दे सकते हैं। यह समझ में आनेवाली बात है। उनके पास रेकॉर्ड को मंगा कर उन कन्डीशन्स में जो ले–डाउन की हैं उन्होंने, उनमें उनको रिव्यू कर सकते हैं।

पर आज आप एक नया तरीका निकाल रहे हैं कि सरकार अपने डिसीज़न को, जिसको पॉवर नहीं, बिना सोचे समझे रिव्यू कर सकती है बिना किसी खास कारण के बताये।

हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ ठीक तरह से डिसाइड हो। पर आप चाहते हैं कि एक नया बिल्कुल उसूल के खिलाफ पॉवर हम गवर्नमेन्ट को दे दें कि वह कभी भी बिना किसी कारण के बताये अपने पुराने डिसीज़न को चेन्ज कर दे और किस कन्डीशन में कर दे, इसका कोई जिक्र करें नहीं, बस कर दे। आपने ८५ में लिखा है : "The Government may on its own motion" यह भी जरूरत नहीं कि कोई एप्लीकेशन दे तो उसके आधार पर आप कुछ करें, आप सूओ मोटो जब चाहें खुद-ब-खुद अपने किसी भी समय दिये गये निर्णय को चेन्ज कर दें। मैं अधिकारपूर्ण कह सकता हूं कि जब सबसे बड़ी अदालत रेवेन्यू में रेवेन्यू बोर्ड है तो फिर किन हालतों में, किन कारणों से सरकार यह पॉवर अपने हाथ में लेना चाहती है ? यह मामला ऐसा है जिस पर हमें गम्भीरता से विचारना चाहिये।

गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि जो कानून है वह खुद भी माने। पर आप इस संशोधन से तो यह चाहते मालूम होते हैं कि उन कानूनों के ऊपर भी, उन कानूनों को मानते हुए भी उनके ऊपर आपकी हुकूमत कायम रहे। आप अपने निर्णय को जब चाहें तब बदल देना चाहते हैं। इसके पहले हमें यह देखना होगा कि आप किन हालतों में ये पावर्स चाहते हैं। पर आप वह हालत भी मेन्शन नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट कुछ भी, कभी भी बदल सकती है। ८६ में रेवेन्यू बोर्ड को अपील के पॉवर दिये हैं उनमें कारण हैं, पर ८५ में आप नये पॉवर्स लेना चाहते हैं पर इसमें रीज़न नहीं बता रहे। आप जब चाहें बिना लिमिटेशन्स के रिव्यू करें। तीन साल पहले का निर्णय भी बदलना चाहें या दस साल पहले का भी बदलना चाहें तो बदल सकेंगे। तो यह तो कोई रिव्यू करने के पॉवर्स नहीं हैं। अगर रिव्यू ही करना चाहते हैं तो इसके पहले यह देखना होगा कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकम्सटान्सेज़ हैं, क्या ग्रोस इल्लिगेलिटी हो गई है, पर आपको इनकी भी परवाह नहीं। आप तो बिना सोचे चाहते हैं We want to review any order without any reason.

तो मैं अपील करूंगा कि आप इस पर फिर विचार करें। या तो आप रीज़न्स बतावें कि इन रीज़न्स में रिव्यू करना चाहते है या आप कोई न कोई सदन के सामने ऐसी इन्स्टान्स कोट करिये जिससे सदन यह महसूस करे कि ऐसी हालत में रिव्यू करना जरूरी है। आपके सामने कोई बात नहीं और कह दिया कि हम तो रिव्यू कर सकते हैं, अन्यथा इससे बड़ा भारी नुकसान जनता को होगा या जो हमने पहले कानून पास किया उसकी अवहेलना हो सकती है, कानून की मंशा ही खत्म हो सकती है। अगर इसी

(श्री मूलचन्द डागा)

तरह हर एक सरकार अपने डिसीज़न को रिव्यू करने लगे तो यह तो आप म्युनिसिपल एक्ट में दे देते। पर वहां ये पॉवर्स नहीं हैं। सेकन्ड अपील होने के बाद, रेवेन्यू बोर्ड में अपील होने के बाद रेवेन्यू में दे सकते हैं।

तो मेरे खयाल से आप इस पर और कन्सीडर करें। मैं समझता हूँ कि यह कानून पारित नहीं होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ पर फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये और जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया और उनके सिलसिले में जो बहस की, उसको मैंने सुना। जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किये हैं उनमें से एक तो यह है: "Insert the word 'Non-judicial' between the words 'a' and 'Proceeding'" इसके बाद में उन्होंने यह लिखा है: "No order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested"...इस तरह के तीन संशोधन रखे। और इसी तरह का संशोधन जयपुर से आनेवालों ने रखा कि "No order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and are heard in support of such order...etc. etc." ये उन्होंने भी करीब इसी प्रकार का (डी) तक संशोधन पेश किया।

इसके साथ फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन और रखा कि पॉवर की कोई लिमिटेशन भी नहीं है और वह शायद संशोधन सक्युलेट भी नहीं हुआ, पर मूव करने के लिये छः महीने की अवधि मुकर्रर होनी चाहिये।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन करते हुए यहां तक कह दिया कि यह तो बिल ही बिल्कुल पास नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें तो सरकार के पास ऐसे पॉवर्स आ जावेंगे कि सरकार चाहे जिस जुडीशियरी केस में मर्जी आवे जिस तरह से इन्टरफियर कर सकती है और ये तो आर्बीट्रेरी पॉवर्स हो जावेंगे। ये सारे मामले जो अदालत के हाथ में हैं सरकार क्यों लेना चाहती है ? जो बहस हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी मिसअन्डर्स्टेंन्डिंग की वजह से ये बातें कही गई हैं। अगर सारे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को एक साथ पढ़े तो धारा २३ में साफ लिखा है। सरकार सिर्फ उन जुडीशियल मैटर में ही या उससे कनेक्टेड मैटर्स में ही अपना ताल्लुक रखेगी और इसके सिलसिले में कार्यवाही करेगी। ये सारी बातें धाराओं में दी गई हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं यही कह रहा था कि जुडीशियल मैटर में तो रिव्यू होता है पर नॉन जुडीशियल में पॉवर सरकार ले रही है, यह गलत ले रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह गलत नहीं ले रही है। इसकी वजह से कई जगह खराबियां हो गई हैं। गवर्नमेंट खुद यह समझती है कि उसने एक गलत हालत में कोई गलत निर्णय कर दिया और अगर उसको बाद में मालूम हो कि यह गलती हो गई तो क्या सरकार को अधिकार नहीं कि वह उसे सही कर दे ? क्या अपना गलत निर्णय ठीक नहीं

Page No.45

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर सकती ? अगर इस तरह के पॉवर्स लेना चाहती है तो आप समझते हैं कि पॉवर्स लेना खराब है।

१ म. प.

अगर गवर्नमेंट किसी ऑर्डर को पास करती है, नॉन जुडीशियल मैटर पर उसके रिवीज़न के पॉवर्स गवर्नमेन्ट के पास होने चाहिये, यह स्वयं सरकार ने महसूस किया है। अगर किसी प्रकार से गलत ऑर्डर पास हो जाते हैं और हाई कोर्ट में रिट के जरिये वे चेलेन्ज होते हैं और जब कि गवर्नमेन्ट के नोटिस में भी यह आ जाय कि यह ऑर्डर जो पास किया गया है वह गलत किया गया है वैसी हालत में उसके रिवीज़न के अधिकार हैं वह सरकार इस धारा के अन्तर्गत लेना चाहती है। गवर्नमेन्ट जान-बूझ कर अपने ऑर्डर को जो गलत दे दिया है जिसको स्वयं महसूस करते हुए उसको रिवीज़न न कर सके; यह बड़ी अजीब परिस्थिति है। आप कहते हैं, नहीं होने चाहिये लेकिन जिस चीज़ को गलत मान लिया जाय उसके बारे में रिवीज़न न हो; यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसके लिये मूल एक्ट में प्रोवीजन नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे कौन से नॉन जुडीशियल मैटर्स हैं जिनमें सरकार को रिवीज़न करने की आवश्यकता महसूस हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे एक केस की तो मालूम है जिसके बारे में हाई कोर्ट में रिट हुई, उस ऑर्डर के बारे में गवर्नमेन्ट को भी यह महसूस हुआ कि वह गलत ऑर्डर था, महसूस करते हुए भी बिना इस प्रकार के पॉवर्स के वह कर नहीं सकती। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को लाने की नौबत पेश आई। जब कि रिव्यू के पॉवर्स सब जगह मौजूद हैं, दूसरों को मौजूद हैं, रेवेन्यू बोर्ड को अपने फैसले के रिवीज़न के पॉवर्स हैं, किसी मेम्बर के फैसले को रिव्यू करने के पॉवर्स हैं, वैसी हालत में गवर्नमेन्ट जो भी ऑर्डर्स करती है उसके पास इस प्रकार के पॉवर्स क्यों न हों ? इसीलिये धारा ८५ के अन्त में यह जोड़ना जरूरी है। नॉन जुडी-शियल मैटर्स में कोई गलती रह गई हो उसको ठीक करने की बात है। और जिनके बारे में ठीक,किया जायगा उसका नोटिस दिया जायगा, उनको सुना जायगा। यह जरूरी है कि जिस पार्टी के ऑर्डर को गवर्नमेन्ट रिव्यू करेगी उसको नोटिस देगी।

इसके लिये जो लिमिटेशन का पीरियड छः महीने का रखने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। कई ऑर्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो १२ महीने तक भी ध्यान में न आवें। उनके लिये छः महीने का पीरियड रखना जरूरी नहीं है। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट आवश्यक नहीं है। दफा ८५ के अन्तर्गत हिअरिंग करने के पहले जो भी जरूरी चीजें हैं उनको किया जायगा। गवर्नमेन्ट धारा ८५ के अन्तर्गत यह रिव्यू के पॉवर्स लेना चाहती है। निश्चित रूप से जो पार्टी इफेक्टेड होगी उसको बुलाया जायगा। इसलिये धारा ८५ और ८६ के बीच में यह प्रोवीजो जोड़ना जरूरी है; उसके अनुसार नॉन जुडि-शियल मैटर्स में गवर्नमेंट को यह पॉवर्स हो। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर उसमें दिया गया है वह बराबर फोलो किया जायगा। पार्टी को बुलाया जायगा, उसको सुना जायगा,

Page No.46

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसके बाद ऑर्डर्स को मोडिफाई करेंगे। इसलिए दोनों माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनकी आवश्यकता नहीं।

श्री **मूलचन्द डागा** : एक-दो इन्स्टान्सेज़ तो आप कोट करिये जिसके कारण इस प्रकार का संशोधन लाना जरूरी हो गया ; नॉन जुडीशियल मैटर्स में गवर्नमेंट ने फैसला दे दिया और उसको रिव्यू करने की नौबत आई हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ज्यादा तो उदाहरण याद नहीं हैं, लेकिन एक केस जरूर याद है। जोधपुर स्टेट के लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेटलमेंट रेट्स के बारे में जो ऑर्डर्स हो जाते थे उनको रिव्यू करने का अधिकार नहीं था। गवर्नमेंट ने एक दफा ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद उसमें गलती महसूस होने पर भी वह उसको रिव्यू नहीं कर सकी। जब वह हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया गया तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि इस प्रकार के ऑर्डर्स गलत हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास पॉवर्स न होने की वजह से वह उसको रिव्यू नहीं कर सकती। जब वह मामला हाईकोर्ट में चेलेन्ज होकर आया, उसके बाद हमने समझा कि इस प्रकार के रिव्यू के पॉवर्स सरकार को होने चाहिये, जब कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट यह महसूस करती है, उसको ठीक करना जरूरी है।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम) : क्या यह अमेंडमेंट केवल एक केस के लिये लाया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे और भी केसेज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक याद था वह मैंने बता दिया। आखिर जब सबको अपने अपने ऑर्डर्स इश्यू करने के बाद यदि उनमें किसी प्रकार की खामी रह जाती है तो उसको रिव्यू करने के अधिकार हैं तो गवर्नमेंट को यह क्यों नहीं होने चाहिये? गवर्नमेंट इसके जरिये सिर्फ नॉन जुडीशियल मैटर्स में रिव्यू के पॉवर्स लेना चाहती है, यह कोई गैर वाजिब नहीं है। इसलिये मेरे कहने के बाद मैं समझता हूं इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार का यह क्लॉज़ है उसको उसी तरह से पास किया जायगा और माननीय सदस्य अपने अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत गवर्नमेंट के कौन कौन से नॉन जुडीशियल मैटर्स में केसेज़ में रिवीज़न करने की नौबत आई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस एक्ट की धाराओं को मैं एक एक गिनाने लगूं तो मुझे भी उसको देखना पड़ेगा और आपको भी देखना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशो-

(श्री उपाध्यक्ष)

धन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लाज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ तीन में जो प्रावधान है उसमें मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार से है : "Delete the proviso of sub-section (5) sought to be substituted for the existing sub-section (5) of section 90A of the Principal Act." इसमें जो प्रोविजो है उसको हटा दिया जाय। यह क्लॉज इस बात से सम्बन्ध रखता है कि जो खेती योग्य भूमि है, जिसके बारे में राज्य सरकार का यह आरोप है कि अनेक लोगों ने खेती योग्य भूमि को अन्यान्य कामों के उपयोग में ले लिया है इस सम्बन्ध में इस प्रकार का सख्त कानून बनाया जाय ताकि उन सारे लोगों को दण्डित किया जा सके। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि कितने ही लोग जिनके पास इस प्रकार की भूमि है उस पर खेती नहीं करते उसके स्थान पर अन्यान्य उद्योग धंधे खोल लिये हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के प्रचार और प्रसार से, खाद्यान्न की दृष्टि से उन लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं कर सकी है, उसमें असफल रही है! इसीलिए वे लोग जिनके पास एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिये भूमि थी उसको दूसरे कामों में लेने लग गये। उन्होंने उस भूमि की शक्ल बदल दी है इसलिये अर्बन असेसमेंट और प्रीमियम लेने के बारे में विधान सभा में गत सत्र में हमने एक कानून पास किया था वह पर्याप्त नहीं था। इस कारण यह अमेंडमेंट लाया गया है। राज्य सरकार को यह अनुभव होने लगा है कि कई स्थान इतने अच्छे हैं कि कई गुना उसकी पेनल्टी लेने पर भी उस स्थान की भूमि इतनी अच्छी है पेनल्टी से भी कई गुना उसकी कीमत आ सकती है। जहां एक बीघे की पेनल्टी के रूप में २०० रुपया होता है, जहां उसके लिये २०० रुपया देना मन्जूर करता है और उस भूमि को आबादी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है उससे वह कई गुना कमा लेता है, इस प्रकार की बातों से सरकार को यह महसूस हुआ कि इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर भूमि का कन्वर्शन हो रहा है उसको रोका जाय जिससे खाद्यान्न की पैदावार बढ़ सके और इसीलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का सख्त कानून बनाया जाय। राजस्व मंत्री इस कानून के पास होने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करनेवाले लोगों से पेनल्टी न ली जाकर उनको जमीन से बेदखल किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भावना से यह चीज है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और जो व्यक्ति इन सारी चीजों का उल्लंघन करके समाज के विरुद्ध समाज के हित में ऐसा व्यवहार नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं इसका समर्थन करता हूं । आप कानून बनायें, पर आप उसके अन्दर सबके लिये बराबर सजा रखिये । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि एक प्रकार के अपराध करने-वाले लोगों को दो प्रकार की सजा रखी जावे और वह भी सजा देनेवाले अधिकारियों के ऊपर रखा जाये कि वह चाहे जैसी सजा दे सकते हैं ? मैं समझता हूँ, यह तो पाषाण युग की बातें भी नहीं होंगी कि कानून के आगे दो व्यक्तियों को अलग अलग रूप से देखा जाये । हमने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान में भी यह बराबर लिखा है कि हर एक आदमी कानून के सामने बराबर है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस कानून में, जो इस समय विधान सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसमें राजस्व मन्त्री महोदय ने और राजस्थान की सरकार ने जो प्रावधान रखा है मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ है कि उन्होंने एक प्रकार का प्रोविजो जोड़ा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किन्हीं विशेष मामलों में केवल पैसा लेकर, रुपया लेकर प्रीमियम और अर्बन असेसमेंट और पेनल्टी लेकर आदमी को बरी कर सकते हैं और उसको फिर बेदखल करने की जरूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, होगा क्या ? आज राजस्थान की विधान सभा इस प्रकार का अधिकार राजस्थान की सरकार को देने जा रही है तो हमें सोचना होगा कि इसका उपयोग किस तरह से होगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरी आशंका बिल्कुल अनुभवों के आधार पर है कि इस प्रोविजो का उपयोग उन गरीब लोगों के ऊपर होगा जो लोग प्रीमियम और अर्बन असेसमेंट और पेनल्टी के अलावा किसी प्रकार का फोर्स या प्रेशर नहीं रखते हैं और उसके कारण होगा क्या कि उन लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया जायेगा । इसके अलावा जिस गरीब किसान ने, जिस गांव के रहने वाले अनपढ़ आदमी ने एग्रीक-ल्चरल लैंड पर प्लॉट बना कर मकान बना लिया होगा और जिसने दूसरे छोटे मोटे उद्योग धन्धे चालू कर दिये होंगे उसको नोटिस दिया जायेगा और उससे अर्बन असेसमेंट वसूल किया जायगा, प्रीमियम वसूल किया जायेगा, जुर्माना वसूल किया जायेगा और फिर जमीन से भी बेदखल किया जायेगा । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस कानून के द्वारा उन जबरदस्त लोगों को कि जिनका राजनीतिक प्रभाव है या उन लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है जो कि अपना सिप्पा बैठाये हुए हैं । कानून के खिलाफ जिन्होंने जमीन का कन्वर्शन किया है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके बनाये हुए मकान कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे । आज जयपुर के अन्दर भी हैं, जयपुर के बाहर भी हैं । हम सब को उनके बारे में पता है कि लोगों ने भूमि का कन्व--

Page No.49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

र्शन किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय सदस्यों को कि यह कानून जब लागू होगा इसके लागू होने के बाद अलवर, जयपुर, भरतपुर, गंगानगर और राजस्थान के अन्य स्थानों में जिन गरीब किसानों ने, छोटे लोगों ने भूमि का कन्वर्शन किया होगा, उस पर मकान बनाये होंगे, उद्योग धन्धे चालू किये होंगे उनके मकान और भट्टे नष्ट कर दिये जायेंगे । लेकिन जिनका प्रभाव है, जो लोग आज समाज के अगुवा बने हैं उन लोगों के मकान नहीं टूट सकेंगे, उनके चलाये हुए भट्टे नहीं टूट सकेंगे । इसी जयपुर के अन्दर आज ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने कानून के खिलाफ एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्शन किया जो एग्रीकल्चरल लैंड जयपुर स्टेट के जामने से दी हुई थी और जिन्होने उसका कन्वर्शन किया, उसके सर्वे या प्लॉट काटने के बाद ८-१० रुपया बीघा के हिसाब से नीलाम किया और आज लाखों रुपया एग्रीकल्चरल लैंड से लिया । मुझे अच्छी तरह याद है इन्हीं राजस्व मन्त्री महोदय ने आज्ञा जारी की थी कि उन जमीनों का सर्वे नहीं हो सकता, प्लॉट्स नहीं बन सकते लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह कानून एक दिन था ! वह उस दिन लागू था जिस दिन वह आदमी उनके खिलाफ था । लेकिन समय बदलता है, जमाना बदलता है और फिर आदमी भी बदलता है ! उस आदमी ने जब उस पक्ष को छोड़ कर उनके समर्थन में आया तो उपाध्यक्ष महोदय, वही कानून जिसके तहत यह आज्ञा जारी की थी कि इसका कन्वर्शन नहीं हो सकता, इसका सर्वे नहीं हो सकता, प्लॉट्स नहीं बन सकते, आज उसी भूमि पर लोगों के बंगले बने हुए हैं । आज वही एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए है । कानून होगा गरीबों के लिये और जो लोग इनके कृपा-पात्र नहीं बन सकेंगे या जिनके ऊपर इनका हाथ नहीं हो सकेगा वे इस कानून के शिकार होंगे ....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : On a point of information. I think the House will like to know the name of this particular man.

श्री उपाध्यक्ष : No. I will not allow the name to be disclosed and will request the Hon'ble Member please to confine his debate to the question rather than to be more irrelevant.

श्री अर्जुनदास : The matter is absolutely important and therefore let us have the name of that person.

श्री उपाध्यक्ष : I have already given my observations.

श्री अर्जुनदास : But, Sir, that will be more useful to know for the House...

श्री उपाध्यक्ष : You please resume the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It will not be pleasant for the Government. डिग्गी हाउस का किस्सा है, आप नहीं जानते हैं क्या ? मैं अपने मुंह से कहूं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको पता है, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं ?

श्री अर्जुनदास : मुझे पता नहीं, इसीलिये पूछ रहा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस प्रकार के अनेक किस्से होंगे कि जिनके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानून बनने के बाद चाहे जयपुर से कुछ दूरी पर जहां मेरी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ गोदाम बने हैं । वह गोदाम कानून के खिलाफ बने हैं । वह जिस भूमि पर बने हैं वह खेती योग्य भूमि है और उसका कन्वर्शन किया गया है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिए और वहां पर गोदाम बना दिए गए हैं । अब वह गोदाम कानून के खिलाफ बने हैं, नियमों के खिलाफ बने हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह कानून पास होने के बाद वह गोदाम नहीं टूटेंगे इसलिए कि उनका मालिक एक जबरदस्त आदमी है । वह है जो गोदाम तोड़ने वालों का सिर तोड़ सकता है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जबरदस्त लोगों की चीजें नहीं टूटेंगी । उनके ऊपर कानून समान रूप से लागू नहीं होगा । तो जनता समझेगी कि कानून उनके लिए है जो कि कमजोर हैं, जिनका कोई राजनीतिक सिप्पा नहीं है । मैं समझता हूं कानून की मन्शा यह कभी नहीं हो सकती । कानून सब के लिए बराबर है । कानून का निर्माण करनेवाले लोगों ने किसी प्रकार का फर्क नागरिकों के लिए नहीं किया है । Everybody is equal in the eye of law. हर एक आदमी उनके लिए बराबर है । मैंने इस प्रकार का जो संशोधन रखा है उसके द्वारा यह किया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि किसी एक मामले में जो एक अपराध है कानून में एक आदमी को एक सजा हो और दूसरे को दूसरी । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से जहां एक ओर अन्याय होगा दूसरी ओर इस प्रकार के कानूनों के द्वारा. इस प्रकार की परम्पराओं के द्वारा राजस्थान के अन्दर स्वस्थ परम्परा कायम नहीं होगी, राजस्थान के अन्दर पक्षपात होगा, राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यदि इस प्रकार का अधिकार अपने हाथों में लेना चाहती है, यदि राजस्थान की सरकार इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है कि कानूनों का उल्लंघन करनेवालों को सजा दी जाये और हमारी जितनी खेती के लिए भूमि है उसका ध्यान रखते हुए पैदावार बढ़ानी है और कन्वर्शन पर रोक लगानी चाहिए तो मैं समझता हूं इस प्रकार का कानून सब जगह एक सा लागू होना चाहिए । राज्य सरकार को किसी प्रकार का डिस्क्रिशन नहीं देना चाहिए । इसलिए ऐसा संशोधन मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है । आशा है कि हमारे कृषि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और यदि वह स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है :—

"In sub-clause (a) add the follo-

Page No.51

(श्री भीमसेन)

wing words after the words 'State Government' "or any authority to whom powers have been so delegated."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार एक तरफ काश्तकारों को यह पाबन्द करना चाहती है कि वह किसी भी अपनी कृषि योग्य भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करे। यह व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब मालूम होती है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की कोशिश की जाय कि ज्योंही ऐसा मामला सरकार के सामने आए उस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके की कुछ इस तरह की समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन ५७ से लेकर और आज १९६० चल रहा है कई गांवों के लोगों ने और वहां की ग्राम पंचायतों ने अपनी आबादी भूमि के विकास के लिए, आबादी भूमि की वृद्धि के लिए सरकार के पास प्रार्थना–पत्र पेश किए लेकिन आज तीन साल बाद भी गांव के लोगों के प्रार्थना–पत्र पर व्यवस्था नहीं दी गई। इस तरह जो सरकार के पास केसेज़ आते हैं काश्तकारों के, सरकार का भी उसी तरह से कर्त्तव्य हो जाता है कि जो केसेज़ उनके पास आएं उनका निपटारा तुरन्त होना चाहिए। सरकार ने सारे पॉवर्स अपने हाथ में केन्द्रित कर लिए हैं और इसी वजह से, यह भी एक कारण है कि जिससे देरी होती है। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि इस तरह के कार्य सरकार जिला स्तर पर छोड़ दे, इस तरह की पॉवर्स को जिला स्तर पर डेलीगेट कर दे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पॉवर्स डेलीगेट कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो दिक्कतें हैं वे आसानी से दूर हो सकती हैं। इस तरह जो विलम्ब होता है वह भी दूर हो जायेगा। मेरा संशोधन पेश करने का मकसद भी यही है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० की धारा २ में जो प्रोविज़ो डिलीट करने का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं। कानून की मंशा यह नहीं है कि किसी आदमी को तंग किया जाय या किसी आदमी को बेजा किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई जाय। कानून बनता इसलिए है कि देश के कानूनों की, जो नियम हैं उनकी रक्षा की जाय और जो भी जनहित के कार्य हैं उनको सुचारु रूप से चलाया जा सके। यहां पर यह बात लागू नहीं हो सकती कि एक कानून में एक बात की जो सजा दे रखी है तो उसके लिए दूसरी बात नहीं रखी जानी चाहिए, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो माननीय सदस्य हैं जनसंघ के और जो जयपुर से आये हैं वे स्वयं एडवोकेट हैं, वे जानते हैं कि एक मुल्जिम को चोरी की सजा तीन साल की दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। बहुत से मुल्जिमों को सजाएं दी जाती हैं और बहुत सों को केवल जुर्माना लेकर भी छोड़ दिया जाता है। इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि एक को तो तीन साल की सजा दे दी और दूसरे को

Page No.52

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

जुर्माना पर ही क्यों छोड़ दिया गया। एक चोर को सजा और एक चोर को जुर्माना करना मजिस्ट्रेट की मर्जी पर होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : एक मजिस्ट्रेट और एक मुंशी में फर्क होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर! आॅर्डर!!

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसी स्थिति में यह कह देना कि एक कानून की मन्शा जो हो दूसरे कानून में भी एक तरह की ही सजा दी जाय, यह कदापि मानने योग्य नहीं हो सकती है। यह बात तो उसके यानी निर्णय देने वाले के दिमाग पर ही छोड़ दी जाती है कि वह जुर्म को देख कर ही निर्णय करे कि किस तरह का जुर्म है और उसका क्या २ नतीजा होने वाला है। उसको सामने रख कर ही सजा दी जा सकती है। इसी तरह से यहां पर भी विचार किया जा सकता है। किसी जगह पर ५० गज जमीन है जो कि कृषि योग्य है और उस पर दस लाख रुपये का मकान बना लिया गया है तो क्या पचास गज जमीन के लिए दस लाख रुपये का मकान तुड़वा दिया जाय? पचास गज जमीन की कीमत जो है और जो उसका उत्पादन होगा उससे भी उसकी कीमत कदापि नहीं आ सकती। तो इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह केस की स्थिति को देख कर ही निर्णय करने के लिए छोड़ा जाय कि जिस प्रकार का हो उसको देख कर ही निर्णय करे। जहां जुर्माना करना आवश्यक हो वहां जुर्माना कर दिया जाय और जहां अर्बन असेसमेंट लेकर ही उसको छोड़ा जा सकता है तो वैसा कर लिया जाय। लेकिन ऐसी बात नहीं रखी जा सकती कि सब को एक ही तरह से चलाया जाय। कई काश्तकारों की भूमि शहरों के बीच में आई हुई है। आपके अजमेर में है, जयपुर में है, कई काश्तकारों की भूमि शहर के बीच में है और वह काश्तकारों के नाम दर्ज है। उसमें से कुछ पर तो मकान बन चुके हैं। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर दस लाख की कीमत का मकान बन चुका है लेकिन यदि उस पर उत्पादन हो तो वह पांच-सात रुपये सालाना से भी ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अर्बन असेसमेंट लेकर, यह जुर्माना लेकर उसको दे दी जाय तो क्या हर्ज हो सकता है? इसके लिए इतनी बड़ी बात कहना कि गरीबों का गला काट दिया जायेगा और अमीरों को छोड़ दिया जायेगा, समझने में नहीं आती कि उपयुक्त हो सकती है। यह तो केस की स्थिति और सरकार की न्याय दृष्टि पर मुनस्सर है। विरोधी दल तो यही सोचता रहता है कि यह सरकार बेईमान सरकार है। मैं निवेदन करता हूं कि वह बात सरकार जो है वह नीति से चलती है, न्याय से चलती है, अगर उसके खिलाफ कोई बात है तो रिट दायर की जा सकती है, रिट दायर हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रोविजो रखा गया है वही रखा जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट में लाया गया है उसका कारण यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट में केबिनेट मीटिंग्स हुई थीं, जगह जगह पर केबिनेट मीटिंग्स हुई थीं तो मंत्रि मण्डल को यह बतलाया गया कि राजस्थान में अस्सी प्रतिशत जागीर एरिया है और जब सेटलमेंट हुआ तो कई लोगों ने,

Page No.53

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

गांव के लोगों ने अपनी जमीनों पर मकान बना लिए। बन गांव बनने लगे, आबादी बढ़ने लगी तो लोगों ने अपनी जमीनों पर मकान बना लिए। जिनके पास खराब जमीनें थीं, बंजड़ जमीनें थीं लेकिन वे सेटलमेंट रेकॉर्ड में काश्तकारी जमीन थी उन पर मकान खड़े कर दिए। कई जागीरदारों ने अपने पट्टे पर जो जमीनें थीं उन जमीनों को बेच कर पैसे वसूल कर लिए और लोगों ने उन जमीनों पर मकान खड़े कर लिए और हजारों रुपये के मकान गांव गांव में खड़े हो गए। जब रेकॉर्ड को देखा गया और वर्षों बाद रेकॉर्ड देखा गया तो वे जमीनें काश्तकारी जमीनें मालूम हुई, तो पटवारी ने सिफारिश कर दी कि इन जमीनों का लगान वसूल किया जाय और इन मकानों को इजेक्ट किया जाय।

आज हर एक को रहने के लिए मकान चाहिए। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए लोगों ने अपनी जमीनों पर मकान बना लिए। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि जिस जमीन पर वे मकान बना रहे हैं वह आबादी में नहीं है बल्कि काश्त में है। जो रेतीली जमीन है, पथरीली जमीन है उन पर मकान बन चुके हैं तो आज उनका क्या किया जाय ? सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं था कि ऐसे मामलों में क्या किया जाय। कोई जमीन खुदकाश्त में है, रेकॉर्ड में खुदकाश्त में दर्ज है और उन पर मकान बना लिए हैं तो उस हालत में क्या किया जाय ? उनसे कीमत लेकर, पेनल्टी लेकर उनके पास ही रहने दिया जाय ? लैंड रेवेन्यू की धारा ९२ के तहत दरख्वास्त कर सकते हैं। धारा ९२ में यह है कि अगर पंचायत और ग्राम पंचायत यह कह दे कि पर्टिक्युलर लैंड पर्टिक्युलर पर्पज़ के लिए रहनी चाहिए तो वैसा किया जा सकता है। लेकिन इससे ९१ का हैरेसमेंट हो सकता है। मैं आपको अपने पाली जिले की बात बताता हूं। वहां हजारों मुकदमे हैं, हजार ही समझ लीजिए। उन लोगों को नोटिस सर्व किया जा रहा है कि तुम्हारे मकान आबादी में नहीं हैं, तुम्हारे मकान काश्त की भूमि पर बने हुए हैं। उन्होंने मकान कई वर्ष पहले बना दिए थे। तो अब तो जमीन की कुछ कीमत लेकर या जो सरकार का हक उस पर बनता है उसका मुआवज़ा लेकर उनके मकान रहने दिए जाते हैं तो इसमें कोई दूसरी बात दिखाई नहीं देती। इसलिए यह जो संशोधन आया है लैंड रेवेन्यू एक्ट में न्यायसंगत ही है और हमें इस पर सहानुभूति से ही विचार करना चाहिए।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, Sir, having heard the arguments from both the sides, I think I should rise to support the amendment tabled by the Hon'ble Member from Jaipur. The main grounds suggested by the Hon'ble Members from the other side are that the powers should be given to the Government because there can be certain cases where justice demands that big buildings should not be demolished. I think that will not be a proper argument. The Government can lay down that in particular cases, the persons who are in possession of those particular plots who are already using the plots shall be given opportunities. I will say why the Government sho-

(श्री अर्जुनदास)

uld allow it ? Whether that particular man wants to pull down that building or not ? As I have pointed out, they are always talking about Democracy but by actions they are going towards Dictatorship. Every Bill that has been placed on the Table of the House, tells us the tendency of the present day Government. The provision is invariably to give all the powers, to the Government. The Government can do anything whatever they like. One Hon'ble Member from Kishangarh stated that in Criminal cases a Magistrate can give any punishment of fine or an imprisonment then why the Government should not be given powers ? But I say that the Government is well guided by political considerations rather than other considerations. And if any body is guided by political considerations, it is too harmful. I think that this very provision is now being incorporated only with a view to help the Old Minister who has now gone to Rajya Sabha. I will say frankly that you should treat all the persons in a like manner. Why should have discretionary powers to make discretionary treatment with A and discretionary treatment with B. What I feel from all the law that we make here is that the Government really wants to tell us-give all the powers to the Government and go and sleep into your houses and you will get your salaries. Keeping of such a provision here is absolutely contradictory to the principles of the Democratic Government. Therefore; I will suggest that it will be enough to say that we want all the powers which the Government can use anytime. But why should there by any discretion between smaller fishes and big fishes ? I, therefore; say that the Government should accept my suggestion.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने-वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ २ में जो संशोधन रखा है और इसके बारे में जो दलीलें दीं और यह भेद करने की कोशिश की कि छोटे लोगों के लिए यह कानून दूसरे तरीके से काम में लाया जायगा और बड़े लोगों के लिए दूसरे तरीके से काम में लाया जायगा, और इस प्रकार से डिस्क्रिशन नहीं रहना चाहिए. इस वजह से इस क्लॉज़ को डिलीट कर देना चाहिए। और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह तो डेमोक्रेसी तो नाम की रह गई और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। सारे कानून और इस प्रकार की सारी पॉवर्स जो गवर्नमेंट को दी जा रही है वह बहुत आर्बीट्रेरी हैं और गवर्नमेंट को ऐसा ही कर देना चाहिए कि सब केसेज़ एक तरह से लेकर सारे लोगों के मकानों को इस तरह से खड़े रहने दिया जायगा, डिमोलिश नहीं किया जायगा। कुछ इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने संशोधन का विरोध किया और मेरे खयाल से ठीक ही किया।

मैं, खास तौर से जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य हैं वे ज्यादातर कुछ बातें ऐसी मान कर चलते हैं कि जो संभवत: गवर्नमेंट कभी ऐसी बातों को मानती ही नहीं और

Page No.55

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ऐसा अधिकार कोई न रखे। उन्होंने गोदाम के सिलसिले में बताया कि वह जमीन एग्रीकल्चर में बनाई गई और उनको हटा दिया तो सिर तोड़ देंगे, यहां तक कड़े बोले। मेरे ख्याल से इस तरह की बात नहीं है जैसा कि वह कहते हैं। सारी परिस्थिति जो राजस्थान में है और जिसकी वजह से यह अमेंडमेंट इस धारा में लाना लाजिमी था वह यह है कि पिछले दिनों छोटे छोटे गांवों में, बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, सब जगहों पर आबादी में बढ़ोत्तरी हुई और आबादी में बढ़ोत्तरी होने की वजह से नये नये मकानों के कन्स्ट्रक्शन हुए हैं। आबादी की लैण्ड के जो पुराने इन्दराज़ हैं वह सब जगह पर इन्एडीक्वेट हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि बराबर ढंग से रेवेन्यू रेकॉर्ड्स जो एग्रीकल्चर लैण्ड के दर्ज हैं आबादी के अन्दर इन पिछले कुछ वर्षों के अन्दर जो रद्दोबदल हो जाने चाहिए और आबादी की लैण्ड बढ़ा देनी चाहिए थी वह बहुत सी जगहों पर नहीं बढ़ाई गई है और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग बढ़ते गये और मकान बनाने की जरूरत पड़ गई जिससे कि आबादी लैण्ड के पास जो दूसरी जमीनें आईं उनका कन्वर्शन होना नये मकानों की जरूरत ज्यादा बढ़ने से लाजिमी था और बढ़े हैं। उनका प्रोपर समय में कन्वर्शन आबादी लैण्ड में नहीं हुआ तो लोगों ने एन्क्रोचमेंट किया और यह वाकया है कि छोटे छोटे गांवों में भी इस प्रकार के एन्क्रोचमेंट मौजूद है, बड़े कस्बों में भी है और बड़े बड़े शहरों में भी है, जिसमें जयपुर शहर भी आ जाता है, छोटे गांव भी आ जाते हैं; ढाणियां भी आ जाती हैं। ये सारे हालात राजस्थान में हैं और इस वजह से अभी केबिनेट ने दौरा किया आम-तौर से जिला हैडक्वार्टर्स पर तो यह समस्या काफी उग्र रूप से केबिनेट के सामने आई और इसमें यह सोचा गया कि इस प्रकार से एग्रीकल्चरल लैण्ड पर जहां कि आबादी के मकान बस गये हैं उन्हें किस तरह से ठीक किया जाय। एक तो इलाज यह है कि जो बन गये हैं और गलत बने हैं उन सब मकानों को तुड़वा दिया जाय। मेरे ख्याल से यह नाजी हुक्म होगा और दूसरा यह है कि किसी तरह से बन गये हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाय और खड़े रहने दिया जाय और उनसे कुछ नहीं लिया। जाय तो इससे गवर्नमेंट का लाखों रुपयों का मामला है जिससे उसकी आमदनी में घाटा होगा। इसलिए उसका बेस्ट सोल्यूशन यह अमेंडमेंट निकाला है। २१२ के अन्दर इन्जेक्शन देने के पॉवर्स लागू करना चाहते हैं जिससे कि आगे जो धड़ाधड़ एन्क्रोचमेंट हो रहा है वह नहीं हो। जैसे कि उनको नोटिस दिया जाय, उनको रोका जाय कि एग्रीकल्चर लैण्ड में एक तरह से पर्मिशन लेकर आबादी में कन्वर्ट कराये और उसके लिए कलेक्शन लेना जरूरी था। इसलिए धारा ६०ए जो पुरानी थी उसके सब-सेक्शन (५) को साफ रूप से लिखने के लिए यह संशोधन आया है। इसमें यह प्रोविजो जरूर रखा है वह इसलिए रखा है कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो यह समझें कि जो कुछ गल्ती की है तो भी मकान रहेंगे और तुड़वायेंगे नहीं या पेनल्टी नहीं देंगे या दूसरी ऐसी कार्यवाही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और मकान भी खड़ा रहे तो गवर्नमेंट को अन्नेसेसरी लॉस होगा। तो गवर्नमेंट जो वाजिब है, जिस तरह की समस्या है उसको हल कर सकती है।

Page No.56

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जहां पर जैसी परिस्थिति है जैसे छोटे गांव जहां कि परिस्थिति दूसरी है ऐसी जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है लैण्ड की साइट वैल्यू को रीज़नेबल कन्सेशन दे दिया जायगा। पेनल्टी बाद में लगा दी जायगी जो कि रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड कर दी जायगी। सारे डिटेल्स, सारी चीजें देने के बाद में लैण्ड एग्रीकल्चर में जो रेवेन्यू लैण्ड दर्ज है उसको आबादी के अन्दर कन्वर्ट कर दिया जाय।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में जैसी कि जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है कि अमुक आदमी ने पहले एग्रीकल्चर लैण्ड को बनाने के लिए पर्मिशन मांगी थी, वह दी गई और रोक दी गई और फिर पर्मिशन दी गई। उनकी जानकारी में होगा कि उनके साथ में स्पेसिफिक इस बात का मुआहिदा किया कि जो कुछ भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, जितनी प्रिमीयम गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी वह देनी पड़ेगी। वह पैसा देने के बाद में ही आपके यह मकान जो बने हैं उनको वाजिब समझा जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : कॉन्ट्रेक्ट क्या कर रहे हैं ; सरेन्डर कर दिया। पहले नहीं किया। दो साल के बाद में आप कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी टर्मिनोलॉजी में सरेन्डर क्या है, नॉन सरेन्डर क्या है ; आप अपनी भाषा में कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई न तो सरेन्डर करने की बात थी और न उनको इजाजत दी गई थी। पहले उन्होंने मूव किया कि एग्रीकल्चर लैण्ड को आबादी की लैंड बनाना चाहते हैं। पहले मना कर दिया गया लेकिन फिर सारे राजस्थान की प्रोब्लम को देखा और यह देखा कि इस प्रकार की सारी एग्रीकल्चरल लैण्ड को एग्रीकल्चर लैण्ड ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकेंगे क्योंकि आसपास आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है इसलिये वह आबादी लैण्ड बनानी पड़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं रह सकेगी। अगर आज नहीं बनायेंगे तो कल बनानी पड़ेगी। इसलिये उनको यह कहा गया कि जो रुपया आपने कमाया है उसका जो पर्सेन्टेज गवर्नमेंट प्रीमियम के रूप में आप से लेगी वह देना पड़ेगा। ऐसी कई जमीनें हैं जो अब एग्रीकल्चर लैंड नहीं रही, कहीं पर मकान बन चुके हैं और जिन्होंने जमीन खरीद कर मकान बनाये हैं उन्होंने उस जमीन की वाजिब कीमत दी है। उनके अलावा यह जमीन करीब तीन, चार हैंड से निकल चुकी है। क्या आपकी यह मंशा है कि उनमें से प्रत्येक को कहें कि तुमने क्यों खरीदी ? अगर उनसे वापिस करायेंगे तो उनके प्रति कितनी हार्डशिप होगी ? जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने वाजिब पैसा दे दिया। अब या तो यह हो सकता है कि हर एक केस में हम दावा करें लेकिन यह काम कितना कंबरसम होगा। इसलिये यह जो प्रोविज़ो है उसी के कारण हम चेन्ज कर सकते हैं। आप उसको हटाना चाहते हैं लेकिन यह उचित नहीं होगा.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही रहेगा तो क्रय-विक्रय संघ के गोदाम नहीं तुड़वाये जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्रय विक्रय संघ के गोदाम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह तो एक मार्केटिंग सोसाइटी है। वह जमीन एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर दर्ज है जिसको आबादी लैंड में कन्वर्ट करने की कार्यवाही चल रही है और गवर्नमेंट की लैंड बीच में पड़ती है। उसकी कार्यवाही चल रही है और वह लैंड आबादी में कन्वर्ट हो जाती है तो बीच की जमीन भी नहीं बच सकती। क्रय विक्रय संघ की जो बात की है वह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। वह तो अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी है। उसने प्रोपर दामों में खरीद की है। जब सारी जमीन का कन्वर्शन हो रहा है तो वह जमीन भी एग्रीकल्चर की नहीं रह जायगी। उन्होंने टाइम टू टाइम कार्यवाही करने की कोशिश की है। जो कार्यवाही पहले होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाई। जो कन्सट्रक्शन किया गया है वह एक आदमी की मिलकियत नहीं है। क्रय-विक्रय संघ अपेक्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे ख्याल से आपका भी यह ख्याल नहीं होगा कि उनका गोदाम तुड़वाया जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो नहीं चाहता लेकिन तुड़वाने वाले जरूर तुड़वायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई नहीं तुड़वायेगा। जिस वजह से आपने संशोधन रखा है कि प्रोविज़ो को डिलीट कर दिया जाय वह ठीक नहीं है। जो प्रोब्लम खड़ी की गई है उसका हल प्रोविज़ो से ज्यादा होगा। जैसा आप कहते हैं कि अमीरों को यह कर देंगे और गरीबों का वह कर देंगे; लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अमीर और गरीब सभी इन्वोल्व्ड हैं। न्याय के उसूल को मान कर चलें। उसके विपरीत होने की संभावना है नहीं। इसलिये उनके संशोधन में बोझ नज़र नहीं आता कि मैं उसे मंजूर करूं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे इसे विथ्ड्रॉ कर लेंगे।

दूसरा संशोधन बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा कि 'स्टेट गवर्नमेंट' के आगे शब्द और बढ़ा दिये जायं। स्टेट गवर्नमेंट यह अधिकार प्राप्त कर लेगी, फिर तो मैं समझता हूं कि वे जो शब्द बढ़ाना चाहते हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा २६० को देखें तो उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट पॉवर डेलीगेट करती है कलेक्टर्स को या दूसरे ऑफिसर्स को। मैं समझता हूं खाली कलेक्टर्स को ही पॉवर डेलीगेट करने से काम नहीं चलेगा। अब जगह जगह ढाणियें बस गई हैं और जो बस गई हैं उनमें भी पूरा नहीं पड़ने वाला है इसलिये एग्रीकल्चर लैंड को आबादी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और यह काम इतना बढ़ गया है कि कलेक्टर्स से काम नहीं चलेगा शायद एस. डी. ओ. तक भी पॉवर्स डेलीगेट करनी पड़े। तो इस तरह के पॉवर्स धारा २६० में मौजूद हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो उनको डेलीगेट किया जा सकता है। इसलिये ये शब्द बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसलिये उनके संशोधन को मंजूर करने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातों का जवाब देने के बाद मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वे उन्हें वापिस ले लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भीमसेन ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ पर श्री भीमसेन ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३ ए, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर): ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ७२ की ओर दिलाना चाहता हूं। यह जो संशोधन प्रस्ताव सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके बारे में मेरी मान्यता है कि वह नियम के अंतर्गत नहीं आता और रूल ७२ के अंतर्गत उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, रूल ७२ है, "Conditions of admissibility of amendments: The following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a Bill :—

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सब-रूल (२) है उसमें "An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question." अभी हमने जो क्लॉज़ ३ स्वीकार किया है उसमें हमने यह लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : Which rule you are referring ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Rule 72(ii): "An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

अभी माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ में संशोधन चाहते हैं। हमने अभी ऊपर जो क्लॉज़ ३ पास किया है उसमें प्रोविज़न धारा ६१ के बारे में किया है। उसके तहत किसी प्रकार से इजेक्टमेंट होगा तो मेरा सब्मिशन यह है कि जिस प्रकार की धारा ६१ में है उसी प्रकार से इजेक्टमेंट होगा। धारा ३ पारित करके यह निर्णय ले लिया है धारा ६१ के अनुसार इजेक्टमेंट होगा ।

दूसरी बात यह है कि हम जिस मूल सेक्शन में अमेन्डमेंट करना चाहते हैं वह है:

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"for sub-section (5) of section 90A of the said Act, the following shall be substituted..."

क्लॉज़ २ है उसमें सब सेक्शन (५) सेक्शन ९० ए से इन्वोल्व्ड है। सेक्शन ९१ ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू के संशोधन का कोई सवाल सदन के सामने नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब धारा ९१ के संशोधन का सवाल सदन के सामने नहीं है तो इस संशोधन के बिल में लैंड रेवेन्यू एक्ट की अन्यान्य धाराओं के संशोधन प्रस्ताव इस बिल में नहीं आ सकते। जैसी कि कई और धारायें हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में हो सकती हैं, उनके बारे में मेरी मान्यता है कि वे इस बिल में नहीं आ सकतीं क्योंकि इसके द्वारा सेक्शन ८५ में अमेंडमेंट है और ९१ए की उप धारा (५) को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। माननीय सदस्य जो धारा ९१ में सेपरेट अमेंडमेंट दे रहे हैं, जिसका सवाल खड़ा नहीं होता। उसमें संशोधन करने का सवाल रखते हैं तो मेरी मान्यता है कि क्लॉज़ दो के बाकी प्रावधान, जो एडमिसिबिलिटी के बारे में हैं, जिसके अन्दर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन प्रस्ताव है वह विदिन दी स्कोप ऑफ दी बिल में नहीं है, इसलिए इसे पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! जो आपत्तियां माननीय सदस्य ने उठाई हैं, उनको दृष्टिकोण में रखते हुए ही माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Uptil now in an amending bill no amendment to the original section of the Act has been allowed. No where it has been done. I don't think now, while moving an amendment to the Amendment Bill, how can an amendment can be brought. These are two Sections in which amendments have been moved. He cannot be allowed to move an amendment to the Principal Act. It is out of jurisdiction. It is out of Order. Now this Bill has been moved. I don't know what is there ?

श्री उपाध्यक्ष : You are re-iterating the same objection, what the Hon'ble member has stated.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations that it has been accepted.

श्री पी० के० चौधरी : But I am placing that this amendment has been circulated just now and the original provision is not before us. We don't know what is there. Section 91 is not before us. If it could have been circulated, we could have consulted it.

श्री उपाध्यक्ष : What do you want to stress ? You mean that it should be postponed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, मैं जरा अर्ज कर दूँ। पहले एक अमेंडमेंट मूव हुआ था, उसके बारे में सदन

Page No.60

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था, उस पर डिसीज़न दिया गया था कि जो अमेंडमेंट मूव होता है और सक्युलेट होता है, उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में चेअर से रूलिंग हुई, उस पर सदस्यों द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। यह एडमिसिबल है, यह अधिकार सदस्यों को रूल ७२ में दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर अग्रवाल, इस प्रश्न पर पहले निर्णय हो चुका है। मेरे सामने अभी पूर्व निर्णय नहीं है, लेकिन प्रस्तुत प्रश्न पर ऑब्जेक्शन बहुत विस्तृत है। जो आपत्तियां आपने उठाई हैं उनको सामने रखते हुए माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया है। मैं इससे दूसरी सम्मति नहीं दे सकता। यह तो आपका प्रश्न रहा।

दूसरा प्रश्न जो श्री चौधरी ने उठाया है असल रूल ६१ से सम्बन्धित होने से वजनदार वह दर जरूर है। इस पर मैं निर्णय थोड़ी देर से देना चाहूंगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): If the Hon'ble Deputy Speaker does not mind, I would...

श्री उपाध्यक्ष : I defer this amendment for consideration in view of the objection raised by Mr. Chaudhary.

श्री पी. के. चौधरी : One more thing I will submit, Sir. The Hon'ble Speaker has given previously also such a decsion. It happened in certain cut-motions, that even though a cut-motion is circulated formally, it is taken as admitted but when any member pointed out any flaw either a private member or a Ministerial member, whenever they pointed out any flaw, a motion, the Hon'ble Speaker had accepted this objection. Mere circulation does not mean that the Speaker has allowed it.

श्री उपाध्यक्ष : I can assure the Hon'ble member that the facts were before him and the Rule was also there. He has analysed all these rules before giving a decision. I therefore, cannot go beyond that.

श्री अर्जुनदास : One suggestion Particular observations which are being given from the Chair to-day are not really correct. I submit this...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : No. No.

श्री अर्जुनदास : I, therefore, request you to reconsider.

श्री उपाध्यक्ष : What do you mean by this ? I fail to understand it. When there are clear observations of the Hon'ble Speaker any such reflections of this type are not desirable.

श्री अर्जुनदास : The Point of Order is always raised on the floor of this House.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any convessing of this observation. I defer this clause.

(विराम)

Page No.61

(श्री उपाध्यक्ष)

Minister in charge.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ चार क्लॉज़ तीन के बाद, मैं इसमें बढ़ाना चाहता हूँ, वह यह है कि : "4. Repeal: The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Ordinance, 1960 (Rajasthan Ordinance No. 3 of 1960) is hereby repealed." मेरे ख्याल से यह जो संशोधन है, जो क्लॉज़ चार के रूप में जोड़ना चाहता हूं, वह बहुत फॉर्मल तरीके का है क्योंकि हम जो बिल बनाने जा रहे हैं वह ऑर्डिनेन्स के रूप में जारी किया गया था ; अब इस बिल को पास करने के बाद ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं रहेगी । यह एक फोर्मल अमेंडमेंट है; जिसको मैंने सदन के सामने रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ चार में मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

नया क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

मिस्टर चौधरी, सेक्शन ९१ पर जो आपत्ति आपने उठाई है; उसके अन्तर्गत प्रतिलिपि अभी आपको दे दी जाय ।

(विराम)

I think then we can take this today.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, we will take time to study.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I think, I can move......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : This amendment cannot be moved. So far as this section 91 is concerned, my submission is that...

श्री उपाध्यक्ष : You have submitted more than once. I have looked into the matter and given my observations. I have once defered it and will now like to take other business.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कल विचारार्थ लेने के लिए पेश कर दिया गया था ।

राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०,

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, इस प्रकार मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ । बात यह है, मैं शायद इस प्रस्ताव को पेश नहीं करता लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने यह है कि जो आपका कानून है और उस कानून के अन्दर एक लेकुना रह गया था, जो आपके यहां अपील या किसी प्रकार का

Page No.62

(डॉ० बहादुरसिंह)

प्रार्थना-पत्र दे, उस पर स्टाम्प्स ड्यूटी थी, उसकी व्यवस्था नहीं थी।

(२ म. प.)

इस प्रकार की शिकायत आए दिन होती रहती है। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जब कोई सेल्स टैक्स की अपील करता है तो आपकी ऐसी हिदायत है कि जब तक वह टैक्स अदा नहीं करे उसकी सुनवाई नहीं होती; तो फिर यह देखना है कि इस प्रकार का टैक्स जो वसूल करते हैं वह किसकी गल्ती से लगाया गया है और उसके बाद अपील करने की बात कही जावे और कोई अपील करे तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाए, यह कहां तक उचित है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि स्टाम्प ड्यूटी ली जावे। अगर आप एक ही दृष्टिकोण से देखें तो आपको मालूम होगा कि आपकी गल्ती से एक व्यक्ति को परेशानी में डाला गया और जब वह अपील करता है तो उसको वकील को भी पे करना पड़ता है और फिर उसको अपील करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़े, यह तो उचित नहीं है। आपके मूल एक्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आपकी उस समय यही भावना थी कि कोई भी व्यक्ति अपील करेगा तो बगैर स्टाम्प ड्यूटी के करेगा और आप उसकी अपील को ले लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन नये कर दाताओं पर टैक्स हो जावेगा जिन पर लगना किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है कि न्याय सस्ता मिले। मगर जितनी भी अदालतें हैं उन सारी अदालतों में जितने भी मामले होते हैं और पेश होते हैं वहां पर कोर्ट फीस लगती है और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया है और यहां पर कोर्ट फीस या स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है जो कानूनन नहीं ली जानी चाहिये। आप उन पर स्टाम्प फी लगा देंगे। यह एक विषय हमारे सामने आया है कि इस प्रकार की ड्यूटी लगाई जावे या नहीं? मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे सामने एक यह सिद्धान्त है कि लोगों को न्याय सस्ता और जल्दी मिले। हमारे पास टैक्स के और भी जरिये हैं और विशेष रूप से एक्साइज़ विभाग है जिसके द्वारा और टैक्स लगाया जा सकता है और जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वह मामला यहां पर आता है। अगर कोई न्याय के लिये प्रार्थना करने के लिये आवे और न्याय के लिये भी हम टैक्स लगाते हैं तो यह बात ठीक नहीं। पिछले जमाने में हम यह सुनते थे कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में राजाओं को जब वे कहीं जाते तो रोक कर प्रार्थना करते थे और उनकी सुनवाई हो जाती थी और उनको तुरन्त न्याय मिलता था। मगर आज बहुत लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है। आज एक गरीब को न्याय मिलना कितना दुर्लभ हो गया है। कोई भी अगर दो या चार हजार का दावा करता है तो उसे वकील को २००)रु. या ४००) रु० देने पड़ते हैं। मगर सरकार उसको नहीं देती। अगर सरकार यह भी कहती कि मुकदमा जीतने पर देना तो वह तो कोई बात होती। अगर वह मुकदमा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जीतता नहीं और हार जाता है और फिर उसको टैक्स देना पड़ता है तो वह बहुत बुरा लगता है। मैं तो यह चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के मामले हों, चाहे क्रिमिनल हों, सिविल हों या रेवेन्यू हों किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिये। न्याय के लिये बिल्कुल सरकार के दरवाजे खुले हुए होने चाहिये। गरीब आदमी वकील नहीं ला सकता और न गरीब आदमी यह कह सकता है कि उसकी फी माफ कर दी जावे। गरीबों की इसके लिये सब की दरख्वास्तें मंजूर नहीं होती। इसलिये बहुत से गरीब आदमी इस प्रकार के हैं कि उनके मामले ठीक होते हुए भी वे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास वकीलों को देने के लिये पैसा नहीं और न हाई कोर्ट की फी देने के लिये पैसा है क्योंकि हाई कोर्ट की फी और वहां के वकीलों की फी भी बड़ी है। जनता गरीब होने के कारण इतना पेमेन्ट कर नहीं सकती है। इसलिये सरकार को देखना चाहिये कि इन्साफ के दरवाजे सब के लिये खुले रखने चाहिये। सरकार को ऐसे मामलों में फी माफ़ करनी चाहिये और दरख्वास्त ले लेनी चाहिये और उसके केस के जीत जाने पर कुछ पर्सेन्टेज लेना चाहिये। लेकिन प्रार्थनापत्र के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं ली जानी चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सदन में आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। बात यह है कि अभी इसके विरोध में प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ। अभी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नकशा बन रहा है। अगर राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार को रुपया कहां से मिलेगा ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो लगाया जा रहा है वह उचित है। अपील में कोर्ट फीस लागू करने से अपील करने वाले को फायदा होगा। मेरी राज्य सरकार से यही प्रार्थना है कि इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द करते हैं तो इसमें ढिलाई पड़ जावेगी और आगे चल कर लाखों रुपये व करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं उसकी इससे हानि होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कर कहां पर लग रहा है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : यह अपीलों पर कोर्ट फीस के रूप में लगता है। वकीलों के लिये फैसला लिया है। वकालत की है। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ जब हमारे पर कुछ कर लगाये जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एजेन्ट बन कर अमेंडमेंट मूव कर देते हैं ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इन शब्दों से मुझे ऑब्जेक्शन है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप शब्दों को वापिस लें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं। प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पहले मूल को पढ़ने का कष्ट करना चाहिये। इसमें यह देखना है कि हमारी राज्य सरकार को इससे फायदा होगा या नहीं ? हम आए दिन नल, बिजली, अस्पताल आदि के लिये प्रावधान की बातें करते

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हैं, कहीं पब्लिक के लिये हाई स्कूल के बिल्डिंग्स के लिये तो कहीं अस्पताल के लिये राज्य सरकार से निवेदन करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें इसके लिये हिम्मत भी रखनी चाहिये। हम यहां पर पब्लिक के प्रतिनिधि बन कर आते हैं तो हमें यह देखना होगा कि इससे पब्लिक का कितना फायदा होगा, कोर्ट फीस नहीं लगेगी तो सरकार को आमदनी कहां से होगी? जब हमको पब्लिक चुन कर भेजती है तो हम उसके वकील बन कर अपनी राय को प्रस्तुत करें जिससे राज्य सरकार को फायदा हो और जनता को भी फायदा हो। इसलिये यह जो विधेयक लाया गया है उसको पास करना चाहिये। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का फायदा होगा और पब्लिक भी अपील करेगी तो उसको भी लाभ होगा।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। निवेदन यह है कि कस्टम के बजाय सेल्स टैक्स कायम किया गया और यह सेल्स टैक्स पहले ही इतना पेचीदा है कि इससे पब्लिक परेशान है खास तौर से वे लोग जो अनपढ़ हैं क्योंकि सेल्स टैक्स को देने के साथ साथ उनको प्राय: उसका हिसाब–किताब भी रखना पड़ता है और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। प्राय: उनसे गलतियां होती हैं। नतीजा यह होता है कि सेल्स टैक्स, जायज़ या नाजायज़ किसी प्रकार से सरकार उनसे वसूल कर लेती है। एक यह नियम बना दिया गया है कि यदि सैल्स टैक्स के बाबत कोई एतराज है तो पहले सैल्स टैक्स की मूल रकम एक मुश्त जमा करा दो और बाद में जो कुछ भी कहना हो कहो, जो भी एतराज हो वह बाद में पेश करो। यह कहने में तो बहुत ही सरल बात है। मूल एक्ट जब पास हुआ था तब ही यह बात आयी थी और उस वक्त भी यह कहा गया था कि एक मुश्त रकम सैल्स टैक्स की ले लेने में दिक्कत होगी लेकिन उस समय तो यह आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि उनके साथ न्याय होगा और उनको किसी प्रकार से उलझन में नहीं डाला जायेगा। लेकिन उस सही बात को अब पेचीदा और किया जा रहा है। लोगों को पहले यह भी विश्वास दिलाया गया था कि उनके एतराज को साधारण प्रार्थना पत्र से ही सुन लिया जायेगा। जब इस प्रकार के साधारण से एतराज को भी ज्युडिशिल रूप दिया जायेगा तो वहां पर कोर्ट फीस एक्ट लागू होगा और इससे कोर्ट फीस का जरूर सरकार को फायदा होगा। यदि कोर्ट फीस लगा कर उनकी अपीलें पेश होंगी तो उन पर सरकार को अधिक पैसा देना होगा। जितना कोर्ट फीस का देना होगा तो वकीलों को भी करीब करीब उतना ही पैसा फीस का नज़र करना होगा। इसलिए जनता पर न केवल कोर्ट फीस का भार पड़ेगा किन्तु साथ साथ वकीलों को फीस देने का भी भार उन पर पड़ेगा। वकीलों की भी यही दलील होगी कि जो ज्युडिशियल नेचर के मामलों में कायदे की फीस है वह उनको अदा करना होगा, नियमों के खिलाफ फीस नहीं ले सकते। जनता के प्रति इस प्रकार से यह न्याय नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने जनता को मूल एक्ट को पास करते समय विश्वास दिलाया था पहले के

(श्री रामचन्द्र)

लोग सैल्स टैक्स की रकम को एक मुश्त जमा करा दें और उनके विवाद को साधारण तरीके से ही सुन लिये जावेंगे। उस साधारण बात को अब ज्युडिशियल प्रणाली के रूप में बदला जा रहा है और अपीलों के माफिक ही उनको कोर्ट फीस अदा करने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है। यह लोगों के साथ न्याय नहीं बरता जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और यह पुन: निवेदन करूंगा कि इस एक प्रकार की मामूली सी बात को अब गंभीर बनाया जा रहा है। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये जो इस पर पहले उसके डिटेल्स को देख लेगी और वह फिर बाद में रिपोर्ट करने पर यदि वह हाउस में पास हो तो जनता के साथ न्याय होगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : चैयरमेन महोदय, सदन में राजस्थान सैल्स टैक्स संशोधन बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन आया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। यदि कोई भी बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये तो आखिर उसका कोई सिद्धान्त और आधार होना चाहिये। यदि बिल में ऐसी कोई खास चीज़ है, कोई पेचीदगी का मसला है जिससे कि उसको प्रवर समिति को सौंपा जाये और उस बिल पर सदन में ही स्पष्ट रूप से विचार न किया जा सके तो उसको प्रवर समिति को सौंपने की बात सामने आ सकती है। लेकिन यह तो साधारण सा संशोधन है। ऐसे बिल को प्रवर समिति को सौंपने का कोई आधार नहीं हो सकता। मसला यह है कि सैल्स टैक्स लिया जाये और कानून के अन्तर्गत जो अपील और नजरसानी होती है, मूल एक्ट में स्टाम्प लगाने का कोई प्रोवीज़न नहीं रखा गया था इसलिए इस पर भी स्टाम्प लगाया जाना चाहिये। इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में भी हवाला दिया गया है, बोम्बे के अन्दर इस प्रकार का अधिकार है कि इस प्रकार की अपीलों पर कोर्ट फीस लगायी जानी चाहिये और वह देनी पड़ती है, वहां अपीलों पर यह लागू होता है। या तो इस बिल का विरोध हो सकता है कि लगाना चाहिये या नहीं लगना चाहिये। इस पर प्रवर समिति क्या विचार करेगी। सदन के माननीय सदस्य एक प्रवर समिति के रूप में बैठे, उसमें समय लगे, इसका आखिर क्या आधार हो सकता है, यह समझ में नहीं आता। यह प्रश्न भी आया कि कोर्ट फीस लगनी नहीं चाहिये। क्यों नहीं लगे? कहा यह जाता है कि मामला और पेचीदा हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि दूसरे जितने भी कानून हैं, जो लोग अदालतों में पहुँचते हैं और उनको अपनी अपीलों पर कोर्ट फीस लगानी पड़ती है तो फिर सैल्स टैक्स की अर्जियों पर क्यों नहीं कोर्ट फीस लगायी जाय। या तो फिर ऐसा हो कि सब की कानूनों में कोर्ट फीस लगाने का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया जाये। लेकिन ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। फिर सेल्स टैक्स के लिए ऐसे क्या कारण हैं, रीज़निंग हैं, जिसके लिए कहा जाये कि कोर्ट फीस न लगायी जाये? सैल्स टैक्स लगाते हैं,

(श्री शंकरलाल)

कानून पास किया है, उनकी एप्लीकेशन्स पर भी जिस प्रकार से दूसरी अर्जियों पर टिकिट लगाने होते हैं उन पर भी टिकिट लगाने चाहिये। जितनी सीमा होगी, उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट बना हुआ है इसलिए इसके लिए भी उसको लागू करना चाहिये। इसके लिए कोई अलग सा प्रावधान नहीं बनाया जा रहा है कि सेल्स टैक्स की अर्जियों पर ज्यादा कोर्ट फीस लगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं बतायी गयी है कि जो सेल्स टैक्स के मुकदमे झगड़ने वाले हैं उनकी अर्जियों पर ज्यादा कोर्ट फीस ली जाय, ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं आती है। जो दूसरों पर लागू होता है उसी प्रकार इस पर भी लागू होगा। पहले ऐसा नहीं था इसीलिए इस पर शंकाएं पैदा हुई कि सेल्स टैक्स की अपीलों पर कोर्ट फीस लगनी चाहिये या नहीं और इसीलिए यह संशोधन बिल लाया गया है।

अब यह कहा गया कि वकीलों की फीस की मांग बढ़ेगी और इससे लोगों पर बोझ पड़ेगा। मैं कहता हूं कि कोर्ट फीस एक्ट में कोई फीस लगती है तो उल्टा वकीलों के फीस लेने का जो दायरा है वह कम होता है। सिविल मामलों में कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार ही वकीलों को फीस मिलती है, निश्चित दर से ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं जब कि सेल्स टैक्स में कोई कोर्ट फीस न लगने से कोई सीमा वकीलों के फीस की नहीं है, ज्यादा भी ले सकते हैं और कम भी। इस पर भी इसको लागू करने से वकीलों की फीस के लिए भी एक सीमा निश्चित हो जायगी। इसके लागू होने से यह जनता को मालूम हो जायगा कि कितनी कोर्ट फीस लगानी है और कितनी फीस वकीलों को देनी है, वे अधिक देंगे नहीं। यह जो बिल सदन में लाया गया है उससे अच्छी परम्परा और एक अच्छी चीज़ कायम की जा रही है। इससे सेल्स टैक्स देने वाले अच्छी तरह से समझ जावेंगे। यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द करने लायक नहीं है और जो संशोधन बिल लाया गया है वह स्वीकार होना चाहिये।

मैं इसको नहीं दोहराना चाहता कि एक व्यक्ति को कोर्ट फीस के रूप में थोड़ा सा अधिक देना पड़ेगा। इससे राजस्थान में कितना पैसा इकट्ठा होगा ? मान लीजिये कि कोर्ट फीस आठ आना आने वाली है और यदि राजस्थान में दस बीस हजार आदमी ऐसे होंगे जो फीस देंगे तो इससे सरकार के पास कितना रुपया आवेगा ? आखिर जनता की सरकार है। यदि कोर्ट फीस के रूप में पैसा आवेगा तो वह जनता पर ही तो खर्च होगा। यह कानून के अन्तर्गत लगा रहे हैं, जो वाजिब है। इसलिए कोई आधार नहीं है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूं और मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह बिल स्पष्ट है और इस संशोधन विधेयक को वे शीघ्र ही स्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो मोशन मूव किया है उसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, इस अमेण्डिंग बिल का मुख्य उद्दे-

Page No.67

(श्री पी० के० चौधरी)

श्य यह है : "Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Court Fees Act (Adaptation) Ordinance, 1950, appeals, applications and other proceedings under this Act shall require court fee stamps of such value as may be prescribed." मैं समझता हूं कि सेल्स टैक्स की प्रोसीडिंग ऐसी कोई कॉम्पलीकेटेड प्रोसीडिंग नहीं जिसकी रेट फीस के बारे में स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं कर सकते। इन्कम टैक्स की प्रोसीडिंग भी है जिसमें चाहे लाख रुपया हो, दो लाख रुपया हो उसके लिये भी प्रोविजन है। उतना रुपया देकर उसका असेसमेन्ट किया जा सकता है। हम जो भी बिल लाते हैं उसको हेस्टिली लाते हैं इस प्रकार का प्रोविजन एक्ट में नहीं था और इसलिये नहीं था कि हम हेस्टिली लेजिस्लेशन पास करते हैं उस समय भी यदि हमने देखा होता तो इसको प्रोवाइड कर सकते थे। मैं तो इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि फीस इम्पोज़ करने की ऑथरिटी एग्जीक्यूटिव को देदें उसके बजाय क्यों न एक शब्द में ही यहां उसको प्रोवाइड कर देते ? जहां सेल्स टैक्स की अपील होगी, रिवीज़न होगा, जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन के लिये हमने मुकर्रर कर दिया है दस रुपया फीस देने पर दरख्वास्त देने पर उसको सेल्स टैक्स का नंबर दे दिया जाता है उसी प्रकार क्यों न इस बिल में भी यह प्रेस्क्राइब कर देते कि इतना रुपया देकर कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे सकता है और अपील कर सकता है ? यह जो गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि वह इसको रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी कि फीस कितनी होगी, वह उचित नहीं है। मिनिस्टर-इन्चार्ज के दिमाग में यह बात साफ है कि इतनी फीस प्रेस्क्राइब करने के बाद में वह अपील कर सकता है उसको वे यहां प्रेसक्राइब कर दें। सैल्स टैक्स के बारे में अपील होगी उसके लिये दो रुपया या जो भी कुछ आप उचित समझें उसको यहां प्रोवाइड कर दें। आप जो क्वेन्टम ऑफ फीस चार्ज करना चाहते हैं उसका मतलब यह होगा कि आप इसको एलास्टिक रखना चाहते हैं। आज आपने दो रुपया रख दिया कल फिर इरादा होगा कि इसको बढ़ा कर चार कर दिया जाय, इस प्रकार के जो पॉवर्स रखने की बात है यह तो आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा; पांच, दस, बीस जो भी कुछ आप चाहेंगे रख सकेंगे; इसलिये मैं चाहता हूं कि यह आपकी मर्जी पर न रह कर यहां उसको प्रेस्क्राइब कर दें इसको आप इलास्टिक रखना क्यों चाहते हैं ? आप जो कुछ रखना चाहते हैं वह आपने सेल्स टैक्स सम्बन्धी जो रूल्स बनाये हैं उसमें आपने तय कर दिया होगा कि अपील के लिये इतना देना पड़ेगा इस चीज को यहां प्रेसक्राइब कर दीजिये ताकि आगे जब भी इस बारे में कन्ट्रोवर्सी पैदा हो तभी उसका रिवीज़न कर सकते हैं। हम यह नहीं चाहते कि आप अपने हाथ में यह रखें कि जब भी चाहें आप पांच रुपया, दस रुपया कर दें। स्टेच्युटरी प्रोवाइड कर देना चाहिये। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसमें आप कोटम ऑफ फीस प्रेस्क्राइब कर दें कि अपील पर इतनी कोर्ट फीस लगाई जायगी। अगर आपने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है तो फिर इसे सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये ताकि वहां एक्सपर्ट लोग बैठ कर इसके बारे में तय कर दें कि

(श्री पी. के. चौधरी)

इतनी फीस रहनी चाहिये। इतना ही कहकर मैं धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री लादूराम गुलाणियां (दूदू-सु०) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बिक्री कर द्वितीय संशोधन विधेयक, १६६० जो सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। हम जो सस्ते न्याय की आशा करते आये हैं वह आशा बिल्कुल मिटती जा रही है। जनता यह भली भांति जान चुकी है कि इस प्रकार के कानूनों से किसी प्रकार भी जनता का भला होने वाला नहीं। इसमें जो अपील करने की फीस का प्रोविज़न किया गया है वह फीस बढ़ाई जाय, यह बिल्कुल अनुचित है; विशेष कर जिस चीज़ के लिये कोर्ट फीस निर्धारित नहीं की गई उसके पहले ही कानून को सदन में रख देना, यह अनुचित ही प्रातीत होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो अनिश्चितता है उसको मिटा कर रेट फिक्स करके निर्धारित कर देनी चाहिये ताकि पब्लिक को यह मालूम हो जाय कि इतनी ही फीस लगने वाली है। कोर्ट फीस देने पर भी अदालत में जब जाते हैं, वकील करने की आवश्यकता रहती है उसको तो मेहनताना देना पड़ेगा, उसके बिना उसकी अपील नहीं हो सकती। जो फायदा सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करके लेना चाहती है उसके लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि कोर्ट फीस अपील के अन्दर नहीं लेनी चाहिये। अतः इस बिल को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इस बिल में कोई ऐसी पेचीदगी नहीं जिसके लिए इस बिल को प्रवर समिति में सौंपा जाय। पहले यह ख्याल था कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के तहत जो साधारण नियम हैं उनके मुताबिक राजस्थान सेल्स टैक्स के नीचे अपील या दरख्वास्त या अन्य कार्यवाही पर उसी के तहत कोर्ट फीस लग सकेगी। लेकिन बाद में कई अन्य स्टेट्स के, हाई कोर्ट के ऐसे फैसले हुए हैं जिनके अनुसार जब तक सेल्स टैक्स के नीचे स्पेसिफिक प्रोविज़न कोर्ट फीस का न हो तब तक कोर्ट फीस नहीं ली जा सकती। इस बात को ध्यान में रख कर यह अमेंडमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई नई चीज नहीं है और न वे शंकाएं ही उठ सकती हैं जो कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बताई। अब भी सेल्स टैक्स की अपील करनी पड़ती है उसके लिये एक वकील किया जाता है। उस पर भी जो सेल्स टैक्स की रकम उसमें रहती है उसको पे करना पड़ता है। उसके बाद अपील दाखिल करनी पड़ती है। आज भी अपील वगैरह और दूसरी कार्यवाही करने के लिये उनसे कोर्ट फीस चार्ज की जाती है। परन्तु कोर्ट फीस की बाबत कुछ शंकाएं पैदा हो सकती हैं इसलिये कानून में यह स्पेसिफिक प्रोविज़न प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिये प्रवर समिति को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं। इसमें सिर्फ यह करना है कि रूल मेकिंग पॉवर्स के नीचे कोर्ट फीस की रेट्स तय करने का प्रोविजन भी प्रोवाइड कर दिया जायेगा।

Page No.69

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

एक एतराज यह भी किया गया है कि अमेन्डिंग एक्ट है उसमें स्केल ऑफ कोर्ट फीस कायम कर दी जावे, यह तो एक बहुत ही कम्बरसम मेथड होगा जिसमें बहुत सी डिफीकल्टीज़ आती रहेंगी। इसीलिये अन्य स्टेट्स के सेल्स टैक्स को देख कर ही जितनी हमारे लिये वाजिब कोर्ट फीस बनती है उतनी ही कोर्ट फीस का स्केल बाद में मुकर्रर कर दिया जायगा। इसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं जिससे किसी माननीय सदस्य को एतराज का मौका मिले। बम्बई का जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें भी इसी प्रकार के रूल मेकिंग पॉवर्स दिये गये हैं और बाद में ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोर्ट फीस की दरें कायम की हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति को न भेज कर इसी रूप में जल्दी से जल्दी पारित किया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव डॉ. बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया।

(विराम)

क्लॉज़ २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

(विराम)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं क्लॉज़ ३ में यह अमेंडमेंट मूव करता हूं, "In line 2, substitute '(eee)' for '(e)', and the proposed part '(ee)' be re-lettered as '(eeee)'. सेक्शन २६ जो सेल्स टैक्स एक्ट का है उसमें रूल मेकिंग पॉवर्स दिये गये हैं जिसमें तीन ई तक तो प्रोविजन पहले से ही मौजूद है। चौथा प्रोवीजन हम कर रहे हैं इसलिये यह फोर '(ई)' होना चाहिये।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

यह एक तरह से फोर्मल अमेंडमेंट है, इसे मन्जूर किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ में माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज तीन, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस बिल को पारित किया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह : On a point of Order, Sir, नियमावली ८५ में व्यवस्था है कि जब एक संशोधन हो जावे तो बिल को उस दिन पारित न किया जावे।

श्री सभापति : I don't think the amendments are very substantial or material. It is just making two or three 'e' s instead of one.

Yes, anybody speaking ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०, पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६०

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

राजस्थान लैंड रैवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६०। इसके सम्बन्ध में सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री सोहनलाल भटनागर क्लॉज ३ के सम्बन्ध में अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे जिसके सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रकट किया है कि वे उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिये आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Chairman, I have submitted an amendment on the Land Revenue (Amendment) Bill. If you permit, I would like to move it.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): On what Clause ?

श्री सभापति : In what section ?

श्री पी० के० चौधरी : In Section 5 of the principal Act, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : But the same objection stands.

श्री सभापति : Is it some sort of antidote to that amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : I genuinely want to move it.

श्री सभापति : I am sorry, it cannot be permitted to be moved.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(श्री पी. के. चौधरी द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री सभापति : just a minute.

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : जिस प्रकार का ९१ पर ऑब्जेक्शन है वही दूसरे पर हो सकता है।

श्री सभापति : Now we have passed upto clause 4.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ वन, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ वन, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री पी. के. चौधरी : Mr. Chairman, Sir, you should give a decision whether my amendment is in Order or not.

श्री सभापति : Mr. Chaudhari, the very way in which you are making your speech shows that you are not very serious about your amendment.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ऑलरेडी फैसला दे दिया है।

(विराम)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जावे।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६६० आज द्वितीय वाचन के लिए पेश हुआ है। इसके द्वारा राजस्थान सरकार ने दो अधिकार लिये हैं : एक तो रेवेन्यू के पॉवर और दूसरे काश्त की जमीन को आबादी में बदलने के सम्बन्ध में पॉवर। इन दोनों के ही सम्बन्ध में सरकार ने कहा है कि यह तो साधारण बात है। पर मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है; जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है बड़ी महत्वपूर्ण है। यह साधारण मामला नहीं है जिसके सम्बन्ध में सरकार को ऑर्डिनेन्स जारी करने की गम्भीरता महसूस हुई। अगर कोई इस सम्बन्ध की सरकार के पास योजना होती तो हम मान सकते थे कि इस पॉवर के लेने की आवश्यकता के पीछे कोई खास उद्देश्य है; पर ऐसा लगता नहीं। किसी एक, दो मामलों को लेकर उनके आधार पर हम कोई इस तरह का निर्णय लें, यह उचित नहीं है। अगर एक, दो मामलों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता तो अध्यादेश द्वारा इसे लागू करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह मामला तो आज कई वर्षों से पेन्डिंग था। आज इस तरह के मामले नहीं हो गये हैं कि धड़ाधड़ लोग मकान बनाने लग गये हों और उनको रोकने के लिये अध्यादेश की जरूरत पड़ी हो। पर जिस विशेष मामले में सरकार की रूचि है और रुचि होने का कारण है यह सब जानते हैं।

अभी, माननीय सभापति महोदय, एक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और जिसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि उन पर विचार रखते हुए कानून बना है। पर ऐसी बात नहीं है; यह मेरी निश्चित जानकारी है। उनको दृष्टि में रखते हुए जैसे डिग्गी का मामला उठाया गया। विधेयक पांचवें में अभी धारा है कि लिखित अनुमति पहले प्राप्त की जावे तो अब इस कानून को सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेगी वर्ना तो डिग्गी हाउस की जमीनें बिक गईं, उनकी नींव भर गई। मकान बनने शुरू हुए कि ऑर्डर दिया और वे रुक गये। इसके बाद में लिखित अनुमति दे दी गई और लोगों ने मकान बना लिये। अब सरकार प्रीमियम मांगेगी तो कह देंगे: इसके क्लॉज़ (क) में मेरा मामला आता है। हमने राज्य सरकार से लिखित अनुमति ले ली थी। इस विधेयक को यही देख कर बनाया गया है कि इसमें कौनसी बात आती है, कौनसी नहीं आती है। तो यह उन सब मामलों को वेलीडेट करने वाला है उनको वेलीडेट करने के लिये यह बिल लाया गया है।

रेवेन्यू मिनिस्टर जितने कानून लाते हैं वे कहते हैं कि काश्तकारों के भले के लिये लाते हैं। सैकड़ों काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने खेतों पर मकान बनाये होंगे। इससे उनकी दिक्कतों को बचाया जायेगा।

लेकिन माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं कि काश्तकार कोई बड़ा महल नहीं खड़ा करते हैं। वह तो जो उनकी काश्त की भूमि होती है उसमें छोटी सी झोंपड़ी बनाते

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होंगे और वह इस प्रकार के कानून की लपेट में आते हैं। यह कानून तो कुछ लोगों के लिए जिनके पास बहुत जमीन थी और जिन्होंने धड़ाधड़ बेच दी और उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली या उन्होंने मकान बना लिए; तो इसको किस प्रकार से वेलीडेट किया जाये या जिसके लिए सरकार ने सोच रखा है और उनको किस प्रकार से इफेक्ट किया जाये, इसलिए यह कानून लाया गया है। बाकी सारे काश्तकारों को इससे लाभ होता हो. ऐसा दिखाई नहीं देता है। अभी क्रय-विक्रय संघ का मामला आया था तो इस क्रय-विक्रय संघ ने जो गोदाम बनाये वे और भी भूमि लेकर बना सकते थे। सभापति महोदय, मुझे जहां तक मालूम है केबिनेट लेवल पर यह मामला है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब चाहे जितने कानून बना लें पर जो गोदाम बने हैं वे उनसे टूटने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बड़े लोगों के झगड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि जो छोटे लोग हैं उनके मकान पर यह कानून लाग हो सकता है, उनकी जमीनों पर यह कानून लागू हो सकता है। डिग्गी हाउस की भूमि है वह इससे किसी प्रकार से भी असर में आने वाली नहीं है। उसका कारण केवल यही है कि वहां बड़े बड़े लोगों ने जमीनें ली हैं। तो केवल इस नाते से यह कहना कि हम गरीब काश्तकारों का भला करने के लिए कानून ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी कहा गया था कि गंगानगर, चुरू जो यह नहरी इलाके हैं वहां पर कई लोग जो पहले से काश्त करते आये हैं। उनको भूमि नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कुछ विशेष काश्तकारों के खिलाफ हैं और इसलिए ऐसे कानून बनाते हैं कि वहां पर जमीन की नीलामी की जायेगी। अगर वहां पर जमीन नीलाम की गई तो मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि छोटे काश्तकार वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते उसको तो बड़े आदमी ही खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संशोधन सदन में लाये जाते हैं वह निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर लाये जाते हैं और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाये जाते हैं। बाकी जो संशोधन इस कानून में किया गया है इससे आम काश्तकार का लाभ होता हो, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता है। ऐसे ही रिपील की पॉवर्स लाई गई हैं राजस्व मंत्रीजी ने इसके लिए कहा था और आज हमारे कृषि मंत्रीजी ने भी कहा कि सरकार को ऐसा अधिकार होना चाहिए। हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए कि जितने ऐसे मामले होते हैं, जिनमें कोई कानूनी बात आती है, जिनमें निर्णय लेने का सवाल आता है वहां राज्य सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पोलीटिकल मैटर्स आते हैं और पोलीटिकल मामले आने के बाद राज्य सरकार किसी मामले में निर्णय ले सके, यह सम्भव नहीं है। तो जब हमने रेवेन्यू बोर्ड बनाया है जो कि रेवेन्यू के मामलों में हाइयेस्ट ऑथोरिटी है और जिस समय हमने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया और इसके गठन का प्रश्न जिस समय हमारे सामने था उस समय भी सदन को एश्योरेन्स दिया गया था कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं करेगी। तो ऐसे कौन से मामले आते हैं कि जिनका राज्य सरकार स्वयं निर्णय करेगी ? किसका ट्रान्सफर, अपॉइन्टमेन्ट या से? कौन सी बात है कि अब तक जितने भी मामले रेवेन्यू बोर्ड के हैं वह करती थी और अब राज्य सरकार करेगी ? तो मामलों में राज्य सरकार यदि अपने हाथ में से रेवेन्यू बोर्ड को देदे तो उससे राज्य सरकार को हानि होने वाली नहीं। हमारे मंत्री मण्डल को, जिसको विकास के मामलों में ध्यान ज्यादा देना चाहिए उनको बोझा इससे कम होगा लेकिन जुडिशियल मामले भी सरकार अपने हाथ में ले लेती है और हाईकोर्ट इस प्रकार का निर्णय लेती है कि सरकार को रिव्यू करने का अधिकार नहीं था लेकिन चूंकि वह तो राज्य सरकार को रिव्यू करना था यानी राज्य सरकार के पक्ष में कोई फैसला नहीं होगा तो ऐसे मामलों को कैसे उल्टा आये तो रिव्यू का अधिकार सरकार लेना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये और जितने भी जुडीशियल मैटर्स हैं उनका निर्णय मिनिस्टीरियल लेवल पर सरकार न करे। सारे मामले रेवेन्यू बोर्ड को भेजे और यदि ऐसे मामले भेजे गये तो सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कम से कम सरकार को ऐसी आलोचना सदन में सुननी पड़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि मामलों के डिसीज़न रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर ही छोड़ दें और यदि इस प्रकार का जो अधिकार लेने का प्रश्न आया है सरकार के सामने इस प्रकार की बात सदन में नहीं आयेगी। इसलिए मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि इसके ऊपर एक बार फिर विचार करें और इस प्रकार के रेव्यू के पॉवर्स जो कि क, ख, ग में हैं उनको विलोपित कर दिया जाये। इस विधेयक को इस समय छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, सीकर से आनेवाले जनसंघ के माननीय सदस्य ने तीसरे वाचन के सिलसिले में करीब करीब वे ही मुद्दे उठाये हैं जो कि इन खण्डों को पास करते वक्त, जो संशोधन के प्रस्ताव पर बहस हुई, उससे मेल खाते हैं। मैं पहले भी इसका काफी डिटेल में जवाब दे चुका हूँ लेकिन फिर भी उनके यह कहने पर धारा ९० ए में जो संशोधन किये गये हैं वह छोटे काश्तकारों के लिए नहीं बल्कि कुछ ही लोगों को फायदा पहुँचाने के दृष्टिकोण से किये गये हैं। खैर वे कहते रहें, वे कहेंगे भी, चाहे मैं उनको कितना ही साफ कर दूं। लेकिन जैसा वे दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण से बहुत शिकायतें थीं और उन्हीं को दूर करने के लिए और जो आवश्यकतायें थीं उनकी पूर्ति करने के लिए यह संशोधन लाना जरूरी था। मैंने पहले बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो कि न केवल शहरों में बढ़ रही है बल्कि गांवों में भी बढ़ रही है और फिर उन्होंने यह भी कहा कि छोटे छोटे किसान छोटे मकान बनाते हैं वह तो फिर छोटे ही बनायेंगे। मैं नहीं कहता कि सबने बड़ी हवेलियां खड़ी की हैं लेकिन छोटे आदमियों के लिए उनका मकान गिराना भी बड़ी बात है। जो मकान उन्होंने बनाये हैं अगर वह काश्तकारी ज़मीन में बनाये हैं जो कि आबादी में नहीं है उनको हटाया जाता है तो वह चाहे एक आदमी कि जिसकी आमदनी १,०००रु. साल की हो और वह आदमी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अपनी आमदनी में यदि एक हज़ार या दो हज़ार का भी मकान उठाता है या एक आदमी वह कि जिसकी आमदनी लाख रुपया है वह लाख का मकान उठाता है तो दोनों को ही उसका दुःख होता है, यदि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है। इसलिए समस्या छोटे-बड़े की नहीं है बल्कि एक व्यापक समस्या जो कि सारे राजस्थान में है कि बढ़ती हुई जन-संख्या ने, मकानों की जरूरतों ने लोगों को मज़बूर किया कि वे नये मकान बनायें। अब भी नये मकान बनाने के लिए जो कि रेवेन्यू में एग्रीकल्चरल लैण्ड दर्ज है उनको पहले आबादी में परिवर्तित कराना जरूरी था और उसमें एक्ट के अन्दर कहीं कहीं प्रोविज़न्स थे लेकिन उनके मुताबिक ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं हुई यह फैक्ट है! इस-लिए उनको रेग्युलेराइज़ करने के लिए वह प्रोपर ढंग से एग्रीकल्चरल लैण्ड आबादी में परिवर्तित हो जाये और उनके ऊपर जो बनी हुई इमारतें हैं वह रीज़नेबल पैनेल्टी, कम्पेन्सेशन या प्रीमियम गवर्नमेंट को देने के बाद उनके मकान कायम रह सकें और लैण्ड का जो फायदा उन्होंने लिया है उस फायदे से भी महरूम न हों और सरकार को भी इससे कुछ फायदा मिल जाये; इस वजह से यह संशोधन जो प्रोविजो के रूप में या धारा ६० ए के रूप में पेश किया गया है वह बहुत जरूरी है।

फिर उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेन्स क्यों जारी करना चाहिए था, यह तो हाउस में भी किया जा सकता था। इसके लिए उन्हें याद होगा कि यह मामला पहले भी रेफर किया गया था कि धारा २१२ लैंड रेवेन्यू एक्ट पर बनाई है वह भी लागू है। वह इसलिए लागू की गई कि कुछ लोग लगातार यह कोशिश करते रहे और यह प्रोब्लम नोटिस में आई, यह प्रोब्लम रखी गई तो यह सोचा गया कि इसको प्रोपर तरीके से हल किया जाय। यह कोशिश की गई तो जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको व्यवस्थित रूप से आबादी की लैंड में कन्वर्ट किया जाय, व्यवस्थित तरीके से इमा-रतें बनें, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह जरूरी हो गया कि इस समस्या पर व्यापक रूप में विचार हो, जो डिस्ट्रिक्ट्स में केबिनेट मीटिंग्स हुई उनमें भी यह खास तौर से सोचा गया कि धारा २१२ को लागू करना चाहिए जिसके तहत इंजंक्शन ऑर्डर दिए जा सकते हैं, लोगों को मनमानी करने से रोका जा सके। इसलिए भी धारा २१२ लागू करना जरूरी था और इसीलिए आर्डि-नेंस का रूप देना भी जरूरी था। उनका यह कहना कि यह क्यों कर दिया; तो यह इसीलिए किया गया कि इस प्रोब्लम को व्यवस्थित रूप से हल किया जाय और इसी-लिए यह प्रावधान करना जरूरी था और इसी वजह से इसे ऑर्डिनेंस का रूप देना पड़ा।

इसके बाद उन्होंने डिस्क्रियेशनरी यूज़ करने की बात कही और उनका पर्टिकूलर जिक्र किया जिसके बारे में कि मैं पहले ही जवाब दे चुका था, सहकारी संघ के गोदाम के बारे में और डिग्गी हाउस के बारे में बातें कही गई हैं जिसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि इसमें किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह था कि उस सम-स्या से उनको भी हल मिल सके, गवर्नमेंट की जो वाजिब आमदनी होनी चाहिए वह उसको मिल जाय और इसीलिए प्रोपर तरीके

Page No.76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से मामले को देख कर उनके साथ एग्रीमेंट करने के बाद उन्हें इजाज़त दी गई है। गोदाम के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जब वाजिब समझा तो उसे रोक दिया था और उन्होंने भी पर्मिशन लेने के लिए प्रोपर तरीके से एप्लाई भी किया था लेकिन यह सही है कि पर्मिशन देने में डिले हुई और डिले हो जाने से उन्होंने कानूनी तरीके से मिलने वाली पर्मिशन की इन्तज़ार किए बिना ही कन्सट्रक्शन शुरू कर दिया। तो जो गोदाम के बारे में कहा गया उसका जवाब तो मैंने पहले भी दे दिया था और अभी भी मैंने आपको बता दिया कि उनकी समस्या भी थी लेकिन इसके साथ साथ जो बिल का खास मकसद है वह यह है कि लोग जो इस प्रोब्लम से पीड़ित हैं उन्हें राहत दी जाय। राज्य सरकार को भी उचित मुआवजा मिले और जिन लोगों ने बिना इजाजत मकान बना लिए हैं उनसे उचित प्रीमियम आदि लेकर छोड़ दिया जाय। जिन्होंने बहुत ज्यादा गड़बड़ी की हो उनसे पैनेल्टी भी वसूल कर ली जाय। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है आखिर वह भी तो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक के ही काम में आता है तो फिर इसमें हेरेसमेंट करने और हार्डशिप होने जैसी कोई बात नहीं है। हम यह भी नहीं चाहते कि जिन लोगों ने गल्ती से या जानबूझ कर मकान बना लिए हैं उनको तुड़वा कर लाखों रुपयों का नुकसान किया जाय। सरकार को उचित फायदा मिल जाय यह व्यवस्था करने के लिए ही धारा ६० ए जिसमें कि इस रुपये से फायदा मिलता है इसको किया गया है।

रिव्यू की पॉवर्स के बारे में कहा गया तो इसके लिए तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इस एक्ट के तहत में ही क्यों नॉन जुडिशियल मैटर्स में भी रिव्यू करने का अधिकार है। अगर सरकार यह महसूस करे कि इसमें किसी प्रकार की गल्ती रह गई है स्वयं अपने समझने के तरीके में या किसी के समझाने के तरीके में या किसी पार्टी के कहने पर कोई गल्ती हो गई है तो उस गल्ती को ठीक कर दे। सरकार प्राइमाफेसी यह समझ ले कि गल्ती हो गई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे पॉवर्स तो कोर्ट को भी हैं, जो जुडिशियल पॉवर्स हैं, उनको भी रिव्यू की पॉवर्स हैं; अपने आपके फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। जब कोर्ट के पास यह अधिकार मौजूद है तो फिर गवर्नमेंट के पास ही ऐसे अधिकार हो जाने से सब अन्याय हो जायेगा, सारे हुक्म हैं उन्हें अपनी पार्टी के लोगों के हक में बदल लेंगे या अपने पक्ष में करने के लिए फैसले बदल दिए जायेंगे; यह तो उचित प्रतीत नहीं होता। एक पार्टी के मेम्बर होने के नाते वे यह बात कह सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ परिवर्तन किया गया है यह उचित ही है। हम यह कभी मानने को तैयार नहीं कि पार्टी के लिए फैसले बदल दिए जायेंगे या किसी को फेवर या डिसफेवर में करने के लिए इस प्रकार के पॉवर्स सरकार लेना चाहती है। यह तो वाजिब तरीके से न्याय किया जा सके; इसीलिए किया गया है। क्योंकि गल्ती होना सम्भव है और गवर्नमेंट भी एबव नहीं है। यह सम्भव है कि उससे भी गल्ती हो जाय और प्राइमाफेसी ही मालूम हो जाय और वह गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाय तो उसे ठीक किया जा सके और इसीलिए ८५ में यह व्यवस्था की जा रही है। इस एक्ट पर जो बहस हुई और उस बहस में

Page No.77

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो दृष्टिकोण रखा गया जिसको वे चाहे वाजिब समझ सकते हैं लेकिन इस ओर बैठनेवाले हम लोग तो कभी वाजिब नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यह जो बिल पेश किया गया है और उस पर जो विचार माननीय सदस्यों के सामने रखे हैं उनकी भावना को दृष्टि में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि अब इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २.५६ बजे दिनांक २४.८.६० के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२६४	नायब-तहसीलदारों के विरुद्ध की गई शिकायतें ।	
अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु पंचायत, समितियों को प्रदत्त धन-राशि ।		जयपुर नगर में हार्ड कोक तथा सोफ्ट कोक का ठेका ।	
श्री के. सी. सत्संगी की पुनर्नियुक्ति ।		सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर को सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता ।	
जयपुर-पॉवर हाउस में वाष्प-कोयले को उतारने एवं स्टेकिंग हेतु टेण्डर ।		विकास खण्ड, सांगानेर द्वारा केन्द्रीय मन्त्री श्री एस. के. डे को कुंआ खुदवाने हेतु प्रदत्त तकावी ।	
तहसील शेरगढ़ के अग्नि पीड़ितों को सरकारी सहायता ।		चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिविल प्रोजेक्ट योजना की कार्यान्विति ।	
समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में ।		सेटलमेंट विभाग, जयपुर द्वारा नगरपालिका, जयपुर से सिटी सर्वे का खसरा रेकॉर्ड मंगाना ।	
बाला होटल छात्रावास, चांदपोल गेट, जयपुर के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल ।		माध्यमिक शालाएं खोलने के आधार तथा नियम ।	
राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षणालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट को मान्यता ।		ग्राम बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली के कृषकों से सेटलमेंट विभाग द्वारा लगान की वसूली ।	
रतनगढ़ और चुरू सब-डिविज़न के पटवारियों, गिरदावरों तथा		अनुसूचित जातियों एवं जन-	

Page No.79

स्कम्भ स्कम्भ

जातियों को कानूनी सहायता।

विकास अधिकारी, फागी (जयपुर) के कार्यालय में छुआछूत की शिकायत।

भरतपुर जिले की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत।

द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चे तथा प्राथमिक पाठशालाएं।

झुंझुनू-राजगढ़, पिलानी-बिसाऊ तथा बिसाऊ-मोगासर तक की सड़कों का निर्माण कार्य।

शिक्षा विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के अध्यापकों का विभागीय फिक्सेशन।

जयपुर शहर से १० मील की दूरी में काश्त के लिये दी गई भूमि की बकाया रकम।

छात्रावास मिडिल स्कूल, बास घासीराम, जिला झुंझुनूं को सरकारी अधिकार में करना।

कस्बा बसवा में मंडी बनाने की योजना।

जयपुर नगर में चम्बल जल विद्युत की प्राप्ति।

महाराजा कॉलेज, जयपुर में कुर्सियों की खरीद।

राजकीय पुस्तकालय, बीकानेर का ऑडिट।

धौलपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना।

पटवारियों को उनकी होम तहसील में नहीं रखने के आदेश।

जयपुर जिला परिषद् द्वारा जिला अथवा डिविज़न स्तर के अधिकारियों को परिषद् की बैठकों में सम्मिलित होने को बुलाया जाना।

सिरोही जिले में लघु उद्योगों हेतु आर्थिक व्यवस्था।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ३३४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने लोक सेवा आयोग का आठवां प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) मेमोरेन्डम सहित जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

स्कम्भ स्कम्भ

प्रतिवेदनों का उपस्थापन ३३५

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने, कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

२. श्री चन्दनमल वैद, सभापति ने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार ३३५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौहदवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० ३३६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाकर विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ व ३ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ४ :—नया जोड़ा गया।

खण्ड १ आदि :—स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० ३८५

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का जो प्रस्ताव मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग द्वारा दिनांक २२ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत किया गया था उस पर आज विचार किया गया। डॉ०-बहादुरसिंह ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का संशोधन रखा। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री जगदीशप्रशाद माथुर

Page No.81

स्कम्भ स्कम्भ

२. श्री हरिप्रसाद यादव

३. ,, रामचन्द्र

४. ,, शंकरलाल

५. ,, पी. के. चौधरी

६. ,, लादूराम मुलाणिया ।

प्रभारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ :—स्वीकार किया गया ।

खण्ड ३ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड १ आदि :—स्वीकार किये गये ।

तत्पश्चात् विधेयक को सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक २ बज कर ५५ मिनट पर बुधवार, दिनांक २४ अगस्त, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

बुधवार, दिनांक २४ अगस्त, १९६० की कार्य-सूची

(१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९६० (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

(२) राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९६० (प्रवर समिति को)

(३) राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६० (पारित)

(४) राजस्थान पेन्शन संशोधन विधेयक, १९६० (पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिए)

जिन पंचायत समितियों को सबसे कम व सबसे अधिक रकम प्रदान की गई उनकी सूची —

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	जिला	रकम
	सबसे कम		
१.	नगर पहाड़ी	भरतपुर	२५० रु०
२.	कामा	भरतपुर	२५० रु०
३.	मसूदा	अजमेर	२५० रु०
	सबसे अधिक		
१.	बौंली	सवाई माधोपुर	२२,२५० रु०
२.	गंगापुर	सवाई माधोपुर	२६,२५० रु०
३.	सुमेरपुर	पाली	२०,५०० रु०
४.	रेवदर	सिरोही	२२,२५० रु०
५.	प्रतापगढ़	चित्तौड़	२८,००० रु०

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

CONF. No. A9/3758 Dated 23. 10. 59.

From

The Chief Accounts Officer,
Rajasthan State Electricity Board,
New Hotel Building,
J A I P U R.

To

The Executive Engineer (G),
Rajasthan State Electricity Board,
J A I P U R.

Sub:—Final payment to M/s Mozu Deen Deep Chand Contractor's, Jaipur on account of unloading and stacking of coal.

It has been reported by Internal Auditor (Expenditure), Jaipur that the above named contractor is being paid on running account for only unloading steam coal @ Rs. O. 60 N. P. while in accordance with terms of agreement this rate included stacking upto a distance of 40 feet and also for carrying out other obligations on contract. These provisions have not been given effect to while enforcing terms of agreement and making payment on running account. It is, therefore, requested that the whole position be clarified and the excess payment made in the various bills may be calculated and intimated to this office.

2. Pending decision, the payment of the final bill may be held over.

sd/—
Audit Officer (Exp.)
for Chief Accounts Officer.

——— ———

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

No. F. A. 4272 Dated 20. 11. 1959.

From

The Chief Accounts Officer,
Rajasthan State Electoricity Board,
JAIPUR.

To

The Executive Engineer (G),
Rajasthan State Electricity Board,
JAIPUR.

Sub:—Final payment to M/s. Mozu Deen Deep Chand Contractors, Jaipur on account of unloading and Stacking of coal.

Ref:—Your Conf. D. O. 134 dt. 16. 11. 59.

The final payment to the above contractors may please be made after verifying the measurement entries relating to the description and quantities of unloading and stacking of coal from the Measurement Book and after adjusting the charges due from the Contractor for use of Water, Hutting and anitary Sarrangements etc. of the Board in terms of the agreement under intimation to this office. A separte certificate on the bill may be recorded by the Assistant Engineer that the Contractor had done stacking of the entire quantity of coal unloaded in accordance with the agreement.

2. This also disposes of your Conf. D.O. No. D. A. (G)/133 dated 12. 11. 1959 with which an attested copy of the certificate from the Shift Engineer to the effect that the stacking was done properly by the Contractor had been forwarded to this office.

sd/-
Audit Officer (Exp.)
for Chief Accounts Officer.

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर देखिये)

जिलाधीश के कार्यालय में सन् १६५२ से १६५५ तक के गांवों की सूची उपलब्ध नहीं है। सन् १६५५ से १६५६ तक की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है। सन् १६५६ से १६५६ तक तहसील शेरगढ़ में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए ३,०६३ ८६ न० पै० की धनराशि सूची के अनुसार वितरित की गई है :

सरकार द्वारा सहायता दी गई

नाम	सरकार द्वारा सहायता दी गई
१६५६-५७	
१. भूरसिंह	२००
१६५७-५८	
२. जसराज	२००
३. डोलाराम	२२५
४. मुकनाराम	३५०
५. बिरदसिंह	७५
१६५८-५६	
६. गजसिंह	१००
७. बदरीसिंह	४०
८. अचला	३०
६. खुशालसिंह	८२.१२
१०. गोपीलाल	१००
११. चींचा	१००

Page No.86

१	२
१२. घूड़ा	१००
१३. पैपाराम	७५
१४. काकू	५०
१५. बाघसिंह	६०
१६. प्रतापसिंह	५८.७७
१७. मंगला	५०
१८. रामसिंह	५०
१९. गोरधनसिंह	४५
२०. अचलाराम	५०
२१. तेजाराम	५०
२२. नगाराम	४५
२३. हरीगर	५०
२४. पीपाराम	५०
२५. आनन्दसिंह	५०
२६. पनेखां	५०
२७. लिछमन	४०
२८. रघुनाथ	४०
२९. कानसिंह	२६
१९५९–६०	
३०. सायरी	५०
३१. गोपीलाल	५०
३२. हरजी	५०

Page No.87

१	२
३३. कुम्भसिंह	५०
३४. आलाराम	५०
३५. गंगाराम	१८
३६. सोहनसिंह	५०
३७. अमोलकराम	५०
३८. लालसिंह	१७
३९. मगनीराम	५०
४०. बन्सीलाल	५०
४१. पुरखा	१४
४२. चुमाराम	५०
४३. गुमनाराम	५०
४४. भूराराम	५०

कुल———३,०९३.८९

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर देखिये)

सूची सब-डिविजन चुरू एवं रतनगढ़ के पटवारियान, गिरदावरान तथा नायब-तहसीलदारान जिनके विरुद्ध शिकायतें सन् १९५९ से अब तक पाई गई।

सं०	नाम कर्मचारी	किस्म शिकायत	जांच करने हेतु कहां और कब भेजी	जांच का विवरण
१. सब-डिवीजन चुरू				
१.	श्री दुर्गादत्त पटवारी, तहसील चुरू	रकम के १९) रु० अधिक ले लिए	त० चुरू में १६-१-५९ को।	पटवारी ने यह जवाब पेश किया है कि उसने सायल से रकम नहीं ली है इसलिए इत्मिनान के लिये जांच हेतु कागजात मौके पर रखे हुए हैं अतः जांच अभी जारी है।
२.	श्री लालूखां ,,	रिश्वत	त० चुरू को ७-१-५९ को	केस सिद्ध नहीं हो सका तथा केस को फाइल किया गया।
३.	श्री महावीर ,,	,,	त० चुरू को २३-७-५९ को।	केस सिद्ध नहीं हुआ तथा ३-८-५९ को फाइल किया गया।
४.	श्री मोहनलाल ,, सरदार शहर	पार्टीबाजी के कारण	एस. डी. ओ., चुरू को १८-७-५९ को।	केस सिद्ध होना पाया गया एवं पटवारी का एक वेतन वृद्धि बन्द किया गया मोअत्तली के समय बिना वेतन अवकाश में शुमार किया जाकर भविष्य के लिये वार्निंग दी गई।

१	२	३	४
२. सब-डिवीजन रतनगढ़			
५. श्री चुन्नीलाल पटवारी, डूंगरगढ़	भ्रष्टाचार	त० डूंगरगढ़	एक वेतन वृद्धि रोक कर फाइल किया गया ३०-३-६० ।
६. श्री बन्सीराम पटवारी ,,	,,	एस. डी. ओ., रतनगढ़	जांच जारी है ।
७. श्री प्रीतमसिंह ,, ,,	,,	,,	,,
८. श्री बद्रीप्रसाद ,, सुजानगढ़	,,	,,	,,
९. श्री रामकुमारसिंह ,,	,,	,,	जांच के उपरांत केस सिद्ध होना पाया गया तथा पटवारी को सेवा से अलग कर दिया गया ।
१०. श्री ठाकुरदत्त पटवारी, तहसील सुजानगढ़	कार्य पूर्ण न करने के बाबत	एस. डी. ओ., रतनगढ़ को १६-२-५६ को	कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका एवं केस को २२-७-६० को फाइल कर दिया गया ।
११. श्री लादूराम पटवारी तहसील रतनगढ़	भ्रष्टाचार	तहसील रतनगढ को जांच हेतु भेजा गया	तबादला किया जाकर केस फाइल किया गया ।
१२. श्री मोहम्मद यासी, तहसील रतनगढ़	हल्के में आम शिकायत	त० रतनगढ़ में जांच हुई ।	पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर देखिए)

मैसर्स जयपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति के सदस्यों की सूची

सदस्य सहकारी संस्थाएं :—

१. सामोद वीवर्स मल्टी पर्पज कॉपरेटिव सोसाइटी, सामोद
२. होली दरवाजा ,, ,, चौमूं
३. कारीगरों का बास ,, ,, ,,
४. चांदजी वाली ढाणी ,, ,, ,,
५. दूल्हासिंह की ढाणी ,, ,, ,,
६. उदयपुरिया ,, ,, ,,
७. चौमूं केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०, ,,
८. हाडोता सहकारी ग्राम बैंक लि०, चौमूं
९. चोढाणी सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
१०. जादमों की ढाणी मल्टी पर्पज कॉपरेटिव सो० लि०, चोमूं
११. जोधपुरा सहकारी ग्राम बैंक लि०, चौमूं
१२. अहीरी की ढाणी, सहकारी ग्राम बैंक लि०, चौमूं
१३. अणतपुरा मल्टी पर्पज कॉ० सो० लि०, ,,
१४. नरीका वास सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
१५. चिमनपुरा सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
१६. बड़ा गांव जाहोता सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
१७. भोजलायोंवाला सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
१८. वदनपुरा कॉपरेटिव ग्राम बैंक लि०, ,,
१९. खोरा सहकारी ग्राम बैंक लि०, ,,
२०. गोविन्दगढ़ मल्टी पर्पज कॉ० सो० लि०, गोविन्दगढ़

२१. बस्सी कॉ० ग्रामीण मल्टी पर्पज सो० लि०, बस्सी

२२. बोरा सह० ग्राम बैंक लि० बनेरा, तहसील, जयपुर

२३. बांसखो बहुद्देशीय सहकारी स० लि०, बांसको तहसील, बस्सी

२४. गढ ,, ,, बस्सी ,,

२५. चाकसू सहकारी ग्राम बैंक लि०, चाकसू

२६. खवाडा नया मौजा हरीजन मल्टी कॉ० सो०, चाकसू

२७. जोबनेर ग्रामीण बहुद्देशीय सह० स० लि०, जोबनेर

२८. सरगांव कॉ० बचत व कर्ज सो० लि०, सरगांव (बगरू)

२९. डीडवाना कॉ० ,, ,, डीडवाना (बगरू)

३०. तोला महला कॉ० सो० लि०, तोला महला

३१. उदयपुरिया काप० बचत व कर्ज सो० लि०, उदयपुरिया

३२. सिवोरा ,, ,,

३३. काठसुरा ,, ,,

३४. इन्डोली अल्पावास ,, ,,

३५. कायमपुरा ग्राम बैंक लि०

३६. कुचली कॉ० बचत व कर्ज सो० लि०

३७. चितरवारा ,,

३८. इलावटा ,,

३९. सुवारू ,,

४०. सिकारपुरा कॉ० ग्राम बैंक लि०

४१. कानोता ग्रामीण बहु सह० समिति लि०, कानोता

४२. सांभरिया ,, सांभरिया

४३. देवगांव ,, देवगांव

४४. तूंगा लार्ज सीज्ड मल्टी पर्पज कॉ० सो० लि०, तूंगा

४५. भांकरोटा ,, ,, भांकरोटा

४६. बरवा ,, ,, बरवा

४७. बीलवा मल्टी पर्पज कॉ० सो० लि०, बीलवा

४८. स्कीम एन्ड प्रोड्यूसर्स कॉ० सो० लि० रामगंज, जयपुर

४९. सांगानेर बहु० सह० स० लि०, सांगानेर

५०. बगरू ग्रामीण बहु० सह० स० लि०, बगरू

५१. लूणिया खासमहल लार्ज सीज्ड मल्टी कॉ० सो० लि०, लूणियावास

५२. वाटका ग्रामीण बहु० सह० स० लि०, वाटका

५३. जय श्री ,, सामोद

५४. लालपुरा ,, लालपुरा

५५. चाकसू तेल घानी कॉ० सो० लि०, चाकसू

५६. बेगस ऋण–दात्री कॉ० सो० स० लि०, बेगस

५७. आसोलाई बहु० सह० स० लि०, चतरपुरा

५८. निवारू वृहत ग्रामीण सह० स० लि०, निवारू

५९. ढोढसर बहु० सह० स० लि०, ढोढसर

६०. गिरोता बहु० सह० स० लि०, मालादाना (तहसील दौसा)

६१. खवा ,, ,, ,, खवा (तहसील जमवारामगढ)

६२. चतरपुरा ,, ,, ,, चतरपुरा

६३. लूणियावास बचत व साख सह० स० लि०, बधाल (तहसील फुलेरा)

६४. सैंथल बहु० सह० स० लि०, सैंथल (तहसील दौसा)

६५. निवाणा बहु० सह० स० लि०, निवाणा

६६. लोहारवारा ,, लोहारवारा

६७. जामरोली वृहत कृषि ऋण–दात्री सह० स० लि०, पुराना घाट

६८. रेनवाल ,, ,, रेनवाल

६९. माधोराजपुरा ,, ,, माधोराजपुरा

७०. चीतोडा ग्रामीण बहु० सह० स० लि०, चीतोडा

७०. चीतोरा ,, ,, चीतोरा

७१. चांदमा कला बहु० कृषि ऋणदात्री सह० स० लि०, माधोराजपुरा

७२. भातेडी ग्राम सेवा सह० स० लि०, लवाण

७३. अशोकनगर सह० भन्डार लि०, अशोकनगर, जयपुर

७४. लधाना बहु० सह० स० लि०, फागी

७५. साबा का बास कृषि सह० स० लि०, फागी

७६. सवाई जयसिंहपुरा	,,	,,
७७. भीमपुरा	,,	,,
७८. कान्डला	,,	,,
७९. परवन	,,	माधोराजपुरा
८०. गोकुलपुरा	,,	फागी
८१. पालावाला	,,	बस्सी
८२. किचोलिया	,,	बस्सी
८३. गोपालपुरा	,,	फागी
८४. बोरियन्डा	,,	,,
८५. शेरपुरा	,,	महुवा
८६. बसेव ग्राम सेवा संघ लि०,		फागी
८७. मोहनपुरा	,,	,,
८८. सिवारा	,,	मूंडिया (सामपुरा)
८९. राजपुरा	,,	जमवा रामगढ़
९०. रुंडल	,,	,,
९१. सालावास	,,	भोजवाडा
९२. भूलारामजी	,,	जमवा रामगढ़
९३. कल्यान	,,	नारेडा (कोटपुतली)
९४ खैखाल बहु०	,,	बस्सी
९५. सोलहना	,,	बैराठ
९६. मोदमपुरा	,,	लालसोट
९७. हीरापुरा	,,	

९८.	दीवारा बहु० सेवा संघ लि०,	फागी
९९.	मन्डोर ,,	फागी
१००.	मुकुन्दपुरा ,,	भांकरोटा

व्यक्तिगत सदस्य :—

१.	श्री कुन्दनलाल	पुत्र श्री लादूराम अग्रवाल	चाकसू
२.	,, कन्हैयालाल	,, ,, जीवनलाल जैन	पालेरा (तहसील जमवारामगढ़)
३.	,, भंवरलाल	,, ,, भंवरीलाल	,,
४.	,, छगनलाल	,, ,, भूंथालाल	,,
५.	,, मांगीलाल	,, ,, छगनलाल	,,
६.	,, मूलचन्द	,, ,, विजयलाल	,,
७.	,, मांगीलाल	,, ,, जयकिशन	,,
८.	,, भगवानसहाय	,, ,, रामानन्द	,,
९.	,, कन्हैयालाल	,, ,, गोपीराम	,,
१०.	,, छाजूलाल	,, ,, भूंथालाल	
११.	,, महादेव	,, ,, बिरदीचन्द	,,
१२.	,, कल्याण	,, ,, शिवनारायण	,,
१३.	,, बिरदीचन्द	,, ,, चन्दाराम	,,
१४.	,, रामनाथ हर	,, ,, हरबक्स	,,
१५.	,, रूपा	,, ,, रघुनाथ	,,
१६.	,, कन्हैयालाल	,, ,, देवालाल खुमार	,,
१७.	,, कन्हैयालाल	,, ,, सूवालाल	,,
१८.	,, गौरीशंकर	,, ,, रामपाल	देवगांव (तहसील बस्सी)
१९.	,, हनुमानसहाय	,, ,, सुवालाल	हीदा की मोरी, जयपुर
२०.	,, चौथमल	,, ,, रघुनाथ	कानोता
२१.	,, भंवरीलाल	,, ,, गोविन्दनारायण	चाकसू

२२. श्री भूरा	पुत्र श्री नानगराम	लालपुरा
२३. ,, रामगोपाल	,, ,, भींवाजी	जयसिंहपुरा (चाकसू)
२४. ,, मूलचन्द	,, ,, चुन्नीलाल	चाकसू
२५. ,, लल्लू	,, ,, कन्हैयालाल	जयपुर
२६. ,, जमनालाल	,, ,, देवाजी	दरीबापान
२७. ,, नाथूलाल	,, ,, कस्तूरमल	बधाल
२८. ,, सुरजाराम	,, ,, कानाराम	,,
२९. ,, सागरमल	,, ,, छाजूराम	,,
३०. ,, सून्डाराम	,, ,, नानगराम	जोबनेर
३१ ,, हरीरामदास	,, ,, तुलसीदासजी	,,
३२. ,, अम्बाप्रसाद	,, ,,	रामबाग रोड़, जयपुर
३३. ,, हुक्मीचन्द	,, ,, प्रभुलाल	गोविन्दगढ़
३४. ,, कल्याण	,, ,, बलदेवराम	जोबनेर
३५. ,, भदूराम	,, ,, लखाराम	चाकसू
३६. ,, भूराजी	,, ,, चिमनजी	,,
३७. ,, बन्सीधर	,, ,, रामकिशन	कालेरा
३८. ,, किन्डोरीलाल	,, ,, सूवालाल	सिकराय
३९. ,, गोपीराम	,, ,, कानाराम	सामोद
४०. ,, गोविन्दसहाय	,, ,, गंगासहाय	,,
४१. ,, लक्ष्मीनारायण	,, ,, शिवनाथ	,,
४२. ,, जगदीश	,, ,, नारायणदास	,,
४३. ,, मोतीराम	,, ,, कानाराम	,,
४४. ,, लादूराम	,, ,, रामनाथ	,,
४५. ,, भूरामल	,, ,, कानाराम	,,
४६. ,, रेखालाल	,, ,, पन्ना	,,
४७. ,, रामनाथ	,, ,, कानाराम	,,

Page No.96

४८. श्री डूंगाराम	पुत्र श्री कानाराम		सामोद
४९. ,, मूलाराम	,,	,, लच्छाराम	,,
५०. ,, चोखाराम	,,	,, कानाराम	,,
५१. ,, चन्द्राराम	,,	,, चिमनराम	,,
५२. ,, गोपाल	,,	,, रामसुख	,,
५३. ,, रामजीलाल	,,	,, गोरधनलाल	बरपा
५४. ,, सुखराम	,,	,, छोटूराम	सामोद
५५. ,, मुरलीधर	,,	,, शंकरलाल	जयपुर
५६. ,, जगदीशनारायण	,,	,, जयनारायण	बगरू
५७. ,, प्रतापसिंह	,,	,, विजयसिंह	,,
५८. ,, कुन्दनलाल	,,	,, छिगनलाल	,,
५९. ,, जग्गाराम	,,	,, मनाराम	सांगानेर
६०. ,, भंवरलाल	,,	,, मंगलसहाय	कैरोंसिंहपुरा
६१. ,, तेजाजी	,,	,, उमाराम	शेरसिंहपुरा
६२. ,, बल्लन	,,	,, देवाराम	,,
६३. ,, केसाराम	,,	,, धन्नाराम	मूंडेला
६४. ,, कन्हैयालाल	,,	,, घनश्याम	चाकसू
६५. ,, मंगलराम	,,	,, शिवनाथ	खेरलावास
६६. ,, घासीलाल	,,	,, बेथूलाल	हीरापुरा
६७. ,, बंशीधर	,,	,, नारायणसहाय	सैंथल
६८. ,, नाथूराम	,,	,, कानाराम	सामोद
६९. ,, रामेश्वर	,,	,, सोभागजी	,,
७०. ,, घासी	,,	,, भैरूजी	सैंथल
७१. ,, नाथू	,,	,, भंवरीलाल	जयसिंहपुरा
७२. ,, नन्दराम	,,	,, मोहनलाल	चाकसू

७३. श्री रामनाथ	पुत्र श्री मेवाराम	लालपुरा
७४. ,, मांगीलाल	,, ,, रामकंवार	,,
७५. ,, नानू	,, ,, बिरधा	,,
७६. ,, मूलचन्द	,, ,, गणेश	,,
७७. ,, घासी	,, ,, रूपा	,,
७८. ,, हानू	,, ,, गंगाराम	,,
७९. ,, जगन्नाथ	,, ,, नारायण	,,
८०. ,, मेघा	,, ,, भूरा	,,
८१. ,, मांगीलाल	,, ,, कालू	,,
८२. ,, हुकमा	,, ,, मांगीलाल	जयसिंहपुरा
८३. ,, रामकुमार	,, ,, पींवा	,,
८४. ,, किसना	,, ,, ढालू	,,
८५. ,, मूलचन्द	,, ,, पन्ना	,,
८६. ,, नारायण	,, ,, पन्ना	,,
८७. ,, रूपाशंकर	,, ,, शंकर	,,
८८. ,, नारायण	,, ,, सीताराम	,,
८९. ,, छीतर	,, ,, लूणा	,,
९०. ,, शंकर	,, ,, रामसुख	,,
९१. ,, सालगा	,, ,, जीवन	,,
९२. ,, माधो	,, ,, मूलचन्द	,,
९३. ,, ईसर	,, ,, नूना	,,
९४. ,, काना	,, ,, नानगराम	,,
९५. ,, जगन्नाथ	,, ,, नारायण	,,
९६. ,, कैलाशवती	पत्नी मेहरचन्द	रास्ता गोविन्दराजियान, जयपुर
९७. ,, कपूरचन्द	पुत्र श्री भैरूलाल	चाकसू

९८.	श्री भंवरीलाल	पुत्र श्री छीतरमल	लवाण
९९.	,, राधेश्याम	,, ,, धन्नालाल	खोखावास
१००.	,, नानगराम	,, ,, बद्रीनारायण	लेबर कॉलोनी, जयपुर
१०१.	,, धर्मचन्द	,, ,, मोहनलाल	बधाल
१०२.	,, बलवीरसिंह	,, ,, भैरूदत्त	बस्सी
१०३.	,, अमृतलाल	,, ,, चन्दनलाल	जयपुर
१०४.	,, विश्वेश्वरदयाल पारीक		जोबनेर
१०५.	,, विजयलाल	,, ,, गोपाल	जयपुर

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर देखिये)

LIST OF PRIMARY SCHOOLS TO BE UPGRADED
TO MIDDLE STANDARD-1960-61.

KOTA DIVISION.

1.	Samarania	Kotah.
2.	Ayana	—do—
3.	Kamolar	—do—
4.	Bharatpur City	Bharatpur.
5.	Bahaj	—do—
6.	Chandsen	Tonk.
7.	Khareda	—do—
8.	Mundia	—do—
9.	Walghat	Sawai Madhopur
10.	Chainpura	—do—
11.	Jajawar	Bundi.
12.	Sanidhi	—do—
13.	Gothara	—do—

JAIPUR DIVISION.

1.	Karansar	Jaipur (w)
2.	Bhabru	—do—
3.	Udaipuria	—do—
4.	Garudwasi	—do—
5.	Bhainswa	—do—
6.	Raisar	—do—
7.	Choru	—do—
8.	Kariri	—do—
9.	Khatipura	Jaipur (E)
10.	Peechupara	—do—

11.	Kalwar	Jaipur (E)
12.	Kuchil	—do—
13.	Ararka	Ajmer.
14.	Mehru Kalan	—do—
15.	Baghsuri	—do—
16.	Kabra	—do—
17.	Durgawas	—do—

BIKANER DIVISION.

1.	Shourran	Bikaner.
2.	Jhajju	—do—
3.	Sankhu	Churu.
4.	Kanota	—do—
5.	Satra	—do—
6.	Parlika	Ganganagar.
7.	Aryan	—do—
8.	Dujod	Sikar.
9.	Piprali	—do—
10.	Narhad	Jhunjhunu.
11.	Parasrampura	—do—
12.	Badau	—do—

JODHPUR DIVISION.

1.	Kawas	Barmer.
2.	Ajit	-do-
3.	Rano Gaon	-do-
4.	Barloot	Sirohi.
5.	Dantrai	-do-
6.	Ladariya	Nagaur.
7.	Nimod	-do-
8.	Badi Khatu	-do-
9.	Kunkunwali	-do-
10.	Edwa	-do-
11.	Harsolao	-do-

12.	Raniwara	Jalore.
13.	Gura Hema Ki Dhani	-do-
14.	Paderli	-do-
15.	Akeli	-do-
15.(A)	Beri	Nagaur.
16.	Roorawas	-do-
17.	Chanchori	Pali
18.	Latara	-do-
19.	Dhanla	-do-
20.	Narlai	-do-
21.	Chamundia	-do-
22.	Kosana	Jodhpur.
23.	Cherai	-do-
24.	Setrawa	Jodhpur.
25.	Bala	-do-
26.	Ramrawas Kalan	-do-
27.	Nachna	Jaisalmer.
28.	Nokh	-do-
29.	Bhaniyana	-do-
30	Sangar	-do-

If hostel is ready and 10 students are available.

UDAIPUR DIVISION.

1.	Ambamata	Udaipur.
2.	Dohinda	-do-
3.	Sakroda	-do-
4.	Sewantri	-do-
5.	Batharda Kalan	-do-
6.	Javas	-do-
7.	Thamla	-do-
8.	Naya Gaon	-do-

9.	Sadas	Chittore.
10.	Arnia Panth	
11.	Chechi	—do—
12.	Unand	—do—
13.	Khodip	Chittore.
14.	Saroopganj	—do—
15.	Kamblias	Bhilwara.
16.	Mod:Ka Nimbahera	—do—
17.	Barundani	—do—
18.	Bemali	—do—
19.	Borana	—do—
20.	Amil	—do—
21.	Bhinpur	Banswara.
22.	Daduka	—do—
23.	Metwala	—do—
24.	Mandav	Dungarpur.
25.	Karavada	—do—
26.	Bodigama	—do—
27.	Chikhli	—do—

GIRLS PRIMARY SCHOOLS TO BE UPGRADED
TO MIDDLE STANDARD.
AJMER RANGE.

1.	Laxmangarh	Alwar.
2.	Nadbai	Bharatpur.
3.	Mandawar (Mahwa)	S. Madhopur.
4.	Lakheri	Bundi.
5.	Todarai Singh	Tonk.
6.	Jaipur Rly. Stn.	Jaipur.
7.	Gulab Bari, Ajmer	Ajmer.
8.	Srinagar Road, Ajmer	—do—

JODHPUR RANGE.

1.	Bilara	Jodhpur.
2.	Sardarpura, Ju.	—do—
3.	Mt. Abu	Sirohi.
4.	Deshnok	Bikaner.
5.	Kanod	Udaipur.
6.	Gogunda	—do—
7.	Reengus	Sikar.
8.	B. P. Balika Vidhyalaya	Jhunjhunu.

LIST OF PRIMARY SCHOOLS TO MIDDLE STANDARD DURING THE YEAR, 1960-61.

1. JAIPUR RANGE.

1.	Deogaon.	Jaipur.
2.	Sawarda.	,,
3.	Prankheda.	Ajmer.
4.	Salemabad	,,
5.	Barna	,,
6.	Bamboli	Alwar.
7.	Sonkhari	,,
8.	Alwar.	,,
9.	Kishori.	,,

2. KOTAH RANGE

10.	Korir	Bharatpur.
11.	Kherligadusia	,,
12.	Kaithwada	,,
13.	Musepur.	,,
14.	Chhan	Tonk.
15.	Garhkera	Sawai Madhopur.
16.	Shahar	,,
17.	Gudha	Bundi.
18.	Deoli	Kota.
19.	Gadarwada Noorji	Jhalawar.
20.	Osaw	,,
21.	Sarda	,,
22.	Dudalia	,,

3. BIKANER RANGE

23.	Kakda	Bikaner.

24.	Kayamsar/Rasulpur	Sikar.
25.	Loharwara	"
26.	Kolinda	Jhunjhunu.
27.	Bhadonda (Chirawa)	"
28.	Daulatpur	Ganganagar.
29.	Peerkamaria	"
30.	Talwara Jhil	Churu.
31.	Dheerwas (Tarasagar)	"
32.	Thakuriasar	"
33.	Likhmadesar	"

4. JODHPUR RANGE

34.	Deoli	Pali.
35.		"
36.	Mandawala	Jalore.
37.	Chadi	Jodhpur.
38.	Khunkhuna	Nagaur.
39.	Sildar	Sirohi.

5. UDAIPUR RANGE

40.	Kaneohan	Bhilwara.
41.	Borao	Chittorgarh.
42.	Mangalwad	"
43.	Zawar Mines	Udaipur.
44.	Amet (Girls)	"
45.	Falonj.	Dungarpur.

Total No. of Primary Schools raised to Middle standard comes to 165 (116 already conveyed/-4 Private schools taken over/-45 in this list).

LIST OF 34 MIDDLE SCHOOLS SANCTIONED DURING THE YEAR, 1960-61.

JAIPUR RANGE

1.	Sadara	Ajmer.
2.	Dadia	,,
3.	Gola ka Bas	Alwar.
4.	Bhonkar	,,
5.	Bhonawar (Kotputli Teh.)	Jaipur.
6.	Moznabad (Girls)	,,
7.	Badnagar	,,
8.	Dholia	,,
9.	Ganpatinagar, Rly. Colony	,,
10.	Bhadwa	,,

JODHPUR RANGE

11.	Lunawas Kalm	Jodhpur.
12.	Rersos (Degana)	Nagaur.
13.	Deh (Jayal)	,,
14.	Atpara (Sojat)	Pali.
15.	Banta (Kharchi)	,,
16.	Giri	,,
17.	Abu Road (Sirohi)	Sirohi.

BIKANER RANGE

18.	Desalsar	Bikaner.
19.	Badesar Chota (Rajgarh)	Churu.
20.	Khandawa (Khetri)	Jhunjhunu.
21.	New Colony Jhunjhunu	,,
22.	Chiplata	Sikar.
23.	Samarathpura.	,,

UDAIPUR RANGE

24.	Khakhad (Phalasia)	Udaipur.
25.	Bomaniya	,,

26. Anwa — Bhilwara.
27. Hamiragarh (Girls) — ,,
28. Dabla (Banera Panchayat Samiti) — ,,
29. Deendoli — Chittorgarh.

KOTAH RANGE

30. Barkheda. — Bharatpur.
31. Neana — Bundi.
32. Pachela — Tonk.
33. Banam Baroda — Sawai Madhopur.
34. Kalmanda — Kotah.

P. S. Thus the total of Middle schools comes 198.

परिशिष्ट

CRIETERIA FOR THE UPGRADING OF PRIMARY SCHOOLS TO MIDDLE SCHOOLS.

1. Primary Schools having a total strength of 100 boys with 15 students in V class could upgraded provided :—

I. There should be no Middle or High Schools within the radius of 10 miles.

II. There should be about 5 feeder schools within the radius of 10 miles.

3. The number of students in class VI should be at least 20.

4. The public should be prepared to provide a suitable building.

5. If there is no Middle school at Tehsil Head Quarters that should be given first preference.

———

LIST OF PRIMARY SCHOOLS TO BE UP-GRADED TO MIDDLE STANDARED 1960-61.

		District.
1.	Chandsen.	Tonk.
2.	Khereda	-do-
3.	Mundia	-do-
4.	Chhan	-do-
5.	Pachela	-do-

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

LIST OF ROADS OF BHARATPUR DISTRICT.

1. Bharatpur—Jaipnr Road 16th Mile.
2. Bharatpur—Kumher Road 2 Mile.
3. Bharatpur Road 1 Mile.
4. Kaman Pahari—Road 11 Mile and 14 Mile.
5. Bharatpur—Nadbai Road 1 Mile.
6. Kaman Bye pass Road 1 Mile.
7. Kaman—Jurahra Road, 3, 4, 5, 10 Mile.
8. Deeg—Goverdhan Road 1 Mile and 1 Furlong.
9. Kaman—Nandgaon Road 1, 3, 4, 5 Miles.
10. Nagar—Nadbai Road Mile 12, 15, Miles.
11. Bayana—Hindaun Road 8 Miles.
12. Bayana—Weir Road 49, 52 Miles.
13. Bayana—Bharatpur Road 16, 23 Miles.
14. Dholpur—Rajakhera Road 1 and 2 Miles.
15. Agra Bayana—Road upto Nudawai 2 Furlong.
16. Dholpur—Bari Road 1 Mile.
17. Bari—Baseri Road 1 Mile.
18. Bharatpur—Mathura Road Mile 3rd and 9th.

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर देखिये)

सूची दस मील के दायरे में दी गई भूमि से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बारे में जिनमें रकम बकाया है

क्रम सं०	तहसील	गांव	नाम व्यक्ति	तादाद बकाया तकावी	कीमत कुआ व आधीन जमीन	लगान	कब से बाकी है	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	जयपुर	सहजपुरा	सतेन्द्रनाथ शर्मा	४,४५१॥)॥।			४९ से ५९ तक	५० रुपया माहवार जमा कराता है।
२.	,,	रामपुरा रूपा	शिवकुमार कोशिक	९००)			५४ से ५९ तक	पी. डी. आर. के तहत में कार्यवाही चल रही है।
३.	,,	खातीपुरा	कुं. बहादुरसिंह	———	———	९.३७ न. पै.	स० २०१४	
४.	,,	,,	लीलावती देवी			३१.८९		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५.	जयपुर	,,	रामदेव जैनारायण			७.५० न. पै.	स. २०१४	
६.	,,	,,	करनल प्रेमसिंह			२०) रु०	,,	
७.	,,	,	राधेश्याम			१५.६३ न. पै.	स. २०१३–१४	
८.	,,	,,	श्रीमती फूल कंवर			१८.७४ न. पै.	स. २०१४	
९.	,,	,,	श्रीमती सोहन कंवर			९.३७ न. पै.	,,	
१०.	,,	,,	भंवरसिंह			९.३७ न. पै.	,,	
११.	,,	,,	हरीसिंह			१५.६२ न. पै.	,,	
१२.	,,	,,	धोंकलसिंह			१५.६२ न. पै.	,,	
१३.	,,	,,	गिरधारीसिंह			१५.६२ न. पै.	,,	
१४.	,,	,,	नारायणसिंह			१५.६२ न. पै.	स. २०१३	
१५.	,,	,,	चावन्डसिंह			१५.६२ न. पै.	स. २०१४	
१६.	,,	गांव खातीपुरा	गिरधारीसिंह लालसिंह			१५.६२ न. पै.	,,	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१७.	जयपुर	बीड जेसेल्या	शिवबक्श माली			५.३७ न. पै.	सं० २०१४	
१८.	,,	,,	ब्रजेन्द्रनारायण काक		१०,१५६.४४ न. पै.	४०.१६ न. पै.	२०१० (४८ व ४६ तकावी)	
१९.	,,	कॉओपरेटिव सो०, झोटवाड़ा		५,८५७)			सन् ५५–५६ ल० ५६	
२०.	सांगानेर	बम्बाला	हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री	६५)			१–१२–५६	
२१.	,,	झालानाचोट	बालकृष्णानन्द किशोर, जयपुरा			४०.७३ न. पै.	स. २०१६	
२२.	,,	देवरी	भैरू पुत्र रामलाल	६६)			१–१२–५६	
२३.	,,	,,	भूथा पुत्र रामलाल	२६१)			१–१२–५८	
२४.	,,	,,	किशन पुत्र रामलाल	६६)			१–१२–५६	
२५.	,,	,,	भूथा चमार	२२१)			१–१२–५६	
२६.	,,	,,	मूलचन्द दीवान	५७१)		३१.६४ न. पै.	तकावी १–१२–५८ तीन किश्तें व लगान स० २०१५	

Page No.114

१	२	३	४
		७–जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर ८–जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	७–जिला पशुपालन अधिकारी
		९–जिला उद्योग अधिकारी, जयपुर १०–कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, जयपुर ११–सुपरिन्टेन्डिंग अभियन्ता (भवन व सड़क) १२–जिला समाज शिक्षा अधिकारी, जयपुर १३–जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर १४–जिला कृषि अधिकारी, जयपुर	
३.	१७–२–६०	१–अभियन्ता भवन व सड़क निर्माण २–सुपरिन्टेडिंग अभियन्ता, भवन व सड़क ३–उप संचालक, कृषि, भरतपुर ४–जिला कृषि अधिकारी, पश्चिम वृत्त ५–जिला कृषि अधिकारी, पूर्व वृत्त ६–खंड वन अधिकारी ७–जिला उद्योग अधिकारी ८–जिला पशुपालन अधिकारी ९–जिला जन सम्पर्क अधिकारी १०–निरीक्षक, शिक्षा विभाग (पूर्व व पश्चिम)	१–सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, भवन व सड़क निर्माण २–उप-संचालक, कृषि, भरतपुर ३–जिला कृषि अधिकारी, पूर्व व पश्चिम (वृत्त) ४–जिला जन-सम्पर्क अधिकारी, जयपुर ५–निरीक्षक, शिक्षा विभाग (पूर्व) ६–जिला समाज शिक्षा अधिकारी, जयपुर ७–जॉनल डवेलपमेंट आफिसर

१	२	३	४
		११–जिला समाज शिक्षा अधिकारी	
		१२–जॉनल विकास अधिकारी, अजमेर	
४.	२०–४–६०	१–जिला अधिशासी अभियन्ता, भवन	१–कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट
	व २१–४–६०	२–सहायक संचालक, कृषि, भरतपुर	ऑफिसर
		३–सहायक पंजीयक, सहकारी समिति	२–निरीक्षक, शिक्षा (पूर्व)
		४–कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर	३–अधिशासी अभियन्ता
		५–सुपरिन्टेन्डिंग अभियन्ता, भवन	पूर्व–पश्चिम
		व सड़क	४–जिला स्वास्थ्य एवं
		६–जिला कृषि अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी
		७–निरीक्षक, शिक्षा विभाग पश्चिम, पूर्व–वृत्त	पश्चिम–वृत
		८–जिला समाज शिक्षा अधिकारी	
		९–जिला उद्योग अधिकारी	
		१०–जिला अधिशासी अभियन्ता, पूर्व वृत्त	
		११–जिला अधिशासी अभियन्ता पश्चिम वृत	
		१२–जिला वन अधिकारी	
		१३–जिला पशुपालन अधिकारी	
		१४–जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	
		१५–जिला जन–सम्पर्क अधिकारी	
		१६–जिला विकास अधिकारी, जयपुर	
		१७–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई पूर्व वृत्त	
५.	१६–६–६०	१–जिला जन सम्पर्क अधिकारी	१–जिला जन–सम्पर्क
	एवं १७–६–६०		अधिकारी

१	२	३	४
		२–जिला पशुपालन अधिकारी	२–जिला वन अधिकारी
		३–जिला वन अधिकारी	३–जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी
		४–जिला अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई (पूर्व वृत्त)	
		५– ,, ,, ,, ,, (पश्चिम वृत)	
		६–शिक्षा निरीक्षक, पूर्व वृत्त	
		७–शिक्षा निरीक्षक, पश्चिम वृत्त	
		८–कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर	
		९–सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां	
		१०–जिला कृषि अधिकारी	
		११–जिला उद्योग अधिकारी	
		१२–जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	
		१३–जिला अधिशासी अभियन्ता, भवन व सड़क निर्माण	
		१४–जिला प्रोजेक्ट इवेल्युवेशन आफिसर	
		१५–उप संचालक, शिक्षा विभाग	
		१६–निरीक्षक आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर	
		१७–उप संचालक, कृषि विभाग, भरतपुर	
		१८–आचार्य अध्ययन केन्द्र, विद्याधर का बाग	
		१९–जॉनल पंचायत–कम–डवेलपमेन्ट ऑफिसर, अजमेर डिविजन	
		२०–जिला विकास अधिकारी, जयपुर	
६.	२०–७–६०	१–आचार्य अध्ययन केन्द्र विद्याधर का बाग	१–आचार्य अध्ययन केन्द्र विद्याधर का बाग
		२–जिला कृषि अधिकारी, पूर्वी–पश्चिमी वृत	

Page No.117

१	२	३	४
		३–जिला अधिशासी अभियन्ता सड़क व भवन निर्माण ४–जिला अधिशासी अभियन्ता सिंचाई पूर्व–पश्चिम वृत्त ५–सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई ६–जिला उद्योग अधिकारी ७–जिला पशु पालन अधिकारी ८–सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां ९–निरीक्षक, शिक्षा, पूर्व–पश्चिम वृत्त १०–जिला समाज शिक्षा अधिकारी ११–खंड वन अधिकारी १२–सहायक संचालक, समाज कल्याण १३–जिला विकास अधिकारी, जयपुर	२–जिला कृषि अधिकारी पूर्व–पश्चिम वृत्त ३–जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर। ४–निरीक्षक, शिक्षा पूर्व–पश्चिम वृत्त। ५–खण्ड वन अधिकारी। ६–सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग
७.	३०–७–६० व १–८–६०	१–अधिशासी अभियन्ता, सड़क व नक्शा खण्ड २–प्रोजेक्ट वेइल्युवेशन ऑफिसर ३–उप निरीक्षक शिक्षा ४–सुपरिन्टेन्डिग अभियन्ता भवन व सड़क ५–सहायक निरीक्षक, समाज कल्याण ६–खण्ड वन अधिकारी ७–निरीक्षक, शिक्षा ८–जिला समाज शिक्षा अधिकारी ९–निरीक्षक शिक्षा, पूर्व पश्चिम वृत्त १०–सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां	१–सुपरिन्टेन्डिग अभियन्ता, भवन व सड़क निर्माण २–सहायक निर्देशक, समाज कल्याण ३–निरीक्षक, शिक्षा ४–शिक्षा निरीक्षक (पूर्व वृत्त) ५–जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ६– अधिशासी अभियन्ता भवनव सड़क भरतपुर-अलवर ७–जिला कृषि अधिकारी, पूर्व वृत्त ८–उप—निर्देशक, कृषि भरतपुर

१	२	३
		११–जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी
		१२–जिला पशुपालन अधिकारी
		१३–जिला उद्योग अधिकारी
		१४–अधिशासी अभियन्ता, भवन व सड़क, जिला भरतपुर
		१५– ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, अलवर
		१६– ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, जयपुर
		१७–सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
		१८–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, पश्चिम वृत्त
		१९– ,, ,, ,, ,, ,, ,, पूर्व वृत्त
		२०–जिला कृषि अधिकारी, पश्चिम, वृत्त
		२१– ,, ,, ,, ,, ,, पूर्व वृत्त
		२२–उप-निर्देशक, कृषि, भरतपुर
		२३–आचार्य अध्ययन केन्द्र, विद्याधर का बाग
		२४–जिला विकास अधिकारी
		२५–कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
		२६–जिला जन सम्पर्क अधिकारी

———